लोकतंत्र के बढ़ते कदम

संबोधन (2021-2022)

लोकतंत्र के बढ़ते कदम

सत्यमेव जयते

ओम बिरला
लोक सभा अध्यक्ष

संबोधन (2021–2022)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2024

3-लार्डिस (ईएसए)/2021-22

मूल्य : चार सौ रुपए

© लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2024
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स प्रभात प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली 110002 द्वारा मुद्रित।

आमुख

भारत की संसद देशवासियों की संप्रभु इच्छा का मूर्त रूप है। देश की इस सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा एवं उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में लोक सभा अध्यक्ष को हमारे संसदीय लोकतंत्र में विशेष स्थान दिया गया है। लोक सभा अध्यक्ष अपनी नेतृत्व क्षमता, राजनैतिक सूझबूझ, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण आचरण से सभा के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन में धुरी की भूमिका निभाते हैं।

सत्रहवीं लोक सभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हमारे प्राचीन समाज में रचे-बसे लोकतांत्रिक मूल्यों के उत्फुल्लन के प्रतीकात्मक उदाहरण हैं। सहभागितापूर्ण राजनीति में अटूट विश्वास रखने वाले श्री ओम बिरला की राजनैतिक यात्रा छात्र और युवा राजनीति से आरंभ होकर सहकारी आंदोलन, राजस्थान विधान सभा और लोक सभा के मार्ग से अग्रसर होते हुए लोक सभा अध्यक्ष के उच्च दायित्व वाले आसन तक आ पहुंची है। जमीनी स्तर से लेकर शीर्षस्थ लोकतांत्रिक संगठनों में लगभग चार दशकों की सक्रिय भागीदारी का इनको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त है। यह अनुभव श्री बिरला को संविधान सम्मत तरीके से संसदीय कार्य संचालन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। उनका यह स्पष्ट मत है कि हमारी संसद राजनैतिक दलों तथा विचारधाराओं के बीच सकारात्मक चर्चा एवं विचार-विमर्श का उत्कृष्ट मंच है, अतः अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व इस संवाद के लिए सदन में अनुकूल वातावरण सृजित करना है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सांसदों को लोक सभा में जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर वाद-विवाद और खुली चर्चा के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर मिले, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान लोक सभा में सांसदों ने सभा की कार्यवाही में बढ़-चढ़कर भाग लिया है और सभा के कार्यनिष्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वर्तमान प्रकाशन माननीय अध्यक्ष श्री बिरला द्वारा अपने कार्यकाल के तृतीय वर्ष में महत्त्वपूर्ण विषयों पर अनेक मंचों से दिए गए भाषणों का संकलन है। ये वक्तव्य अत्यधिक प्रासंगिक और समसामयिक मुद्दों पर उनकी सोच एवं विचारों की अभिव्यक्ति हैं। इस

पुस्तक के भाग–एक में श्री ओम बिरला के जीवन–वृत्त की प्रस्तुति है और भाग–दो में उनके भाषणों का संकलन है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संकलन पाठकों, विशेष रूप से सांसदों, शिक्षाविदों, मीडिया और समसामयिक विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।

(**उत्पल कुमार सिंह**)
महासचिव, लोक सभा

नई दिल्ली
जनवरी 2024

अनुक्रम

पृष्ठ

आमुख *i*

भाग-एक

श्री ओम बिरला : जीवन-वृत्त 1

भाग-दो

उनके विचार

एक : संसदीय लोकतंत्र

1. **सशक्त स्थानीय निकाय : सशक्त लोकतंत्र** 11
   जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहुंच और परिचय कार्यक्रम,
   श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 31 अगस्त, 2021

2. **लोकतांत्रिक मूल्यों की पोषक, संरक्षक और संवर्धक हमारी विधायी संस्थाएँ** 17
   81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में
   वर्चुअल उद्‌बोधन, नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2021

3. **विधान मंडल : जनाकांक्षाओं की सजीव अभिव्यक्ति** 21
   कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में संबोधन,
   बेंगलुरु, कर्नाटक, 24 सितंबर, 2021

4. **विधायिका के संरक्षक : पीठासीन अधिकारी** 27
   82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का उद्‌घाटन समारोह,
   शिमला, हिमाचल प्रदेश, 17 नवंबर, 2021

5. **एक सदी की यात्रा संपन्न करता अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन** 31
   अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधन,
   शिमला, हिमाचल प्रदेश, 18 नवंबर, 2021

पृष्ठ

6. **विद्यार्थियों का विधायिका से साक्षात्कार** 35
विधि शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में संबोधन,
संसद भवन, नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2021

7. **अधिकारों और दायित्वों का जीवंत दस्तावेज : भारतीय संविधान** 39
संविधान दिवस के अवसर पर सम्बोधन, नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2021

8. **राजकोष की संरक्षक : लोक लेखा समिति** 42
'लोक लेखा समिति (PAC) के शताब्दी समारोह' का उद्घाटन समारोह,
नई दिल्ली, 4-5 दिसंबर, 2021

9. **विधायी पद्धतियों, प्रणालियों और परंपराओं का बोधन** 45
पुदुचेरी की 15वीं विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु आयोजित
प्रबोधन कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2021

10. **सफल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य आदर्श विधान मंडल** 49
असम विधान सभा में संबोधन, गुवाहाटी, असम, 24 दिसंबर, 2021

11. **बिहार में संसदीय लोकतंत्र के गौरवशाली सौ वर्ष** 53
बिहार विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधन,
पटना, बिहार, 17 फरवरी, 2022

12. **विधायी उत्कृष्टता का मान, संसदीय उत्कृष्टता सम्मान** 59
मध्य प्रदेश विधान सभा में आयोजित 'संसदीय उत्कृष्टता सम्मान' कार्यक्रम में संबोधन,
भोपाल, मध्य प्रदेश, 9 मार्च, 2022

13. **अपार संभावनाओं की भूमि—उत्तर पूर्वी क्षेत्र** 63
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन: 3 के 18वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण,
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 12 मई, 2022

14. **त्वरित विकास के पथ पर अग्रसर मणिपुर** 69
मणिपुर विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम,
संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 6 जून, 2022

दो : शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे

15. **ज्ञान और अनुभव के पुंज हमारे वरिष्ठ नागरिक** 77
वरिष्ठजन दिवस पर रोटरी क्लब कोटा द्वारा आयोजित कार्यक्रम,
कोटा, राजस्थान, 21 अगस्त, 2021

पृष्ठ

16. **ग्राम्य जीवन में समृद्धि का स्त्रोत : गोवंश** 81
कृष्ण नंदनी गौशाला के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, कोटा, राजस्थान, 15 अक्तूबर, 2021

17. **विकास का माध्यम तकनीकी शिक्षा** 83
IIIT, KOTA के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर संबोधन,
जयपुर, राजस्थान, 30 अक्तूबर, 2021

18. **संस्कृति पर्व—कपिलवस्तु महोत्सव** 86
'कपिलवस्तु महोत्सव' में संबोधन, कपिलवस्तु, उत्तर प्रदेश, 23 नवंबर, 2021

19. **रोजगारपरक शिक्षा में सहायक तकनीकी शिक्षा** 90
महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी कार्यक्रम में संबोधन,
नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

20. **नवभारत निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका** 94
सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संबोधन, सूरत, गुजरात, 17 अप्रैल, 2022

21. **शिक्षा से सशक्तीकरण** 98
माहेश्वरी समाज, जयपुर की शिक्षा समिति द्वारा बहुउद्देशीय शैक्षिक संस्था के
लोकार्पण समारोह में संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 25 मई, 2022

22. **शिक्षा का द्वार—प्रगति का मार्ग** 101
अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति, राजस्थान छात्रावास के
भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर संबोधन, कोटा, राजस्थान, 19 जून, 2022

तीन : पर्यावरण संबंधी मुद्दे

23. **हरित धरा : हमारा संकल्प** 107
तुगलक रोड क्रिसेंट के निवासियों द्वारा आयोजित फलदार वृक्ष पौधारोपण कार्यक्रम में संबोधन,
नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2021

चार : धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दे

24. **भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी** 113
श्री ज्ञानमती माता जी की 88वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित
विनयांजलि सभा में उद्बोधन, नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2021

25. **भक्ति-ज्ञान-कर्म की त्रिवेणी : गीता** 116
गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर संबोधन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा, 11 दिसंबर, 2021

26. **व्यक्तित्व-निर्माण से राष्ट्र-निर्माण की ओर** 120
ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर'
कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन, नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

पृष्ठ

27. **अहिंसा परमो धर्मः** 123
महाश्रमण जी की सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के समापन समारोह में उद्‌बोधन, नई दिल्ली, 27 मार्च, 2022

पाँच : राष्ट्रीय विकास

28. **विश्व पर्यटकों की पहली पसंद : भारत** 127
विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2021

29. **वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन** 131
श्रीराम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण समारोह में संबोधन, कोटा, राजस्थान, 2 अप्रैल, 2022

30. **कौशल उन्नयन : सतत विकास का आधार** 135
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठन संघ (IFTDO) के 49वें विश्व सम्मेलन और प्रदर्शनी, 2022 का उद्‌घाटन समारोह, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 19 मई, 2022

31. **मूलभूत सुविधाएँ—विकास का इंजन** 139
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह, नई दिल्ली, 28 जून, 2022

छह : मीडिया और लोकतंत्र

32. **विधायिका और मीडिया का अनूठा संगम : संसद टी.वी.** 144
संसद टी.वी. के उद्‌घाटन समारोह में संबोधन, नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2021

33. **पत्रकारिता प्रशिक्षण की प्रतिष्ठित संस्था : आईआईएमसी** 150
भारतीय जन संचार संस्थान के सत्रारंभ कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

34. **शासन और जनता के बीच सेतु मीडिया** 154
प्रभासाक्षी डॉट कॉम द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाषण, नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

35. **प्रतिभाओं का सम्मान—अचीवर्स अवाड्‌र्स** 158
असम के प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के अचीवर्स अवाड्‌र्स समारोह में संबोधन, गुवाहाटी, असम, 24 दिसंबर, 2021

सात : स्वास्थ्य संबंधी मुद्‌दे

36. **सुलभ-सस्ती स्वास्थ्य सेवा** 165
संत परमानंद अस्पताल परिसर के उद्‌घाटन के अवसर पर संबोधन, नई दिल्ली, 27 मार्च, 2022

37. **स्वस्थ तन-मन के लिए खेलों का महत्त्व** 169
जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के 'टैबलिंटन' कार्यक्रम में संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 25 मई, 2022

आठ : विविध

पृष्ठ

38. लोकतंत्र के बिरवा **175**
राजस्थान विधान सभा के 'विधान सभा बाल सत्र' में भाषण, जयपुर, राजस्थान, 14 नवंबर, 2021

39. ग्रामीण खेलों का महाकुंभ **179**
सांसद खेल महाकुंभ 2021, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, 23 नवंबर, 2021

40. भारत माँ के लाल—अमर शहीद हेमू कालानी **183**
अमर शहीद हेमू कालानी के जयंती शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर संबोधन,
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

भाग-एक

श्री ओम बिरला : जीवन-वृत्त

श्री ओम बिरला

माननीय अध्यक्ष, सत्रहवीं लोक सभा

श्री ओम बिरला : एक परिचय

भारत की 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर, 1962 को कोटा, राजस्थान में हुआ।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में श्री ओम बिरला ने वर्ष 2003 में प्रथम बार कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। 2008 व 2013 में भी जनता के सर्वमान्य सेवक के रूप में पुन: विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए। श्री बिरला राजस्थान विधान सभा के अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय सचिव पद पर भी रहे।

श्री बिरला वर्ष 2014 और 2019 में कोटा-बूँदी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: 16वीं तथा 17वीं लोक सभा के लिए चुने गए। श्री ओम बिरला 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

एक साधारण परिवेश से निकलकर देश की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था के अध्यक्ष पद पर पहुँचने की श्री बिरला की संघर्षपूर्ण यात्रा एक प्रेरक गाथा है।

जनता से उनका जुड़ाव और उनके प्रति समर्पण उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बनाता है। एक संवेदनशील, जिम्मेदार और निष्ठावान जनप्रतिनिधि के रूप में श्री बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति निरंतर समर्पित रहे हैं।

सहकारिता क्षेत्र में योगदान

श्री ओम बिरला का सहकारिता आंदोलन में दृढ़ विश्वास रहा है। वर्ष 1987 से 2003 तक कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने इस संकटग्रस्त सहकारी समिति को पुनर्जीवित कर नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। वर्ष 1992 से 1995 तक श्री बिरला राजस्थान राज्य

सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण राजस्थान राज्य में सहकारिता आंदोलन को गति दी। उसी अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के निदेशक का पदभार ग्रहण किया और देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। वह वर्ष 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में सुपर बाजार योजना को बढ़ावा दिया।

एक समाजसेवी

श्री ओम बिरला अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहकर गरीबों और समाज के दलित-वंचित वर्गों की सेवा करते रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने अनेकानेक जन-केंद्रित प्रकल्प संचालित किए जैसे कि **प्रसादम, परिधान, कंबल प्रकल्प, सुपोषित माँ अभियान, हर गाँव स्वस्थ-हर परिवार स्वस्थ, मोबाइल हेल्थ वैन, वृहत वृक्षारोपण अभियान, क्लीन कोटा-ग्रीन कोटा तथा एक मुट्ठी अन्न राहत अभियान** इत्यादि।

नवोन्मेषी-निष्पक्ष लोक सभा अध्यक्ष

जून, 2019 में 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात् से ही श्री ओम बिरला ने लोक सभा की कार्य प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य लेकर अनेकानेक प्रयास किए। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं—

- 17वीं लोक सभा की कार्य उत्पादकता में 14वीं, 15वीं, 16वीं लोक सभा की तुलना में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- नए सदस्यों को बोलने का अवसर देना।
- पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों को पहले सत्र में ही बोलने का अवसर देना।
- उपलब्ध संसाधनों और समय का इष्टतम उपयोग करना।
- सदस्यों की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना।
- कार्य निष्पादन में त्रुटि और विलंब को कम करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

- संसद सदस्यों के लिए 'शोध एवं सूचना सहायता' (प्रिज्म) की स्थापना।
- शोध सहायता के माध्यम से सदस्यों की कार्य-क्षमता को बढ़ाना।
- विषय विशेषज्ञों द्वारा माननीय संसद सदस्यों के लिए ब्रीफिंग सत्रों का आयोजन।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से माननीय सदस्यों को 40 भाषाओं में 5000 से अधिक पत्रिकाएँ और समाचार-पत्रों को पढ़ने की सुविधा।
- मूल संविधान सभा, संविधान सभा की चर्चाओं और लोक सभा की कार्यवाही का डिजिटलाइजेशन।
- ऑनलाइन संसद ग्रंथालय की शुरुआत।
- महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सदस्यों को विधायी और नीति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को संसद ग्रंथालय एवं संसद भवन के भ्रमण की व्यवस्था करना।
- छात्रों और युवाओं में संविधान एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'अपने संविधान को जानें' (केवाईसी) पहल की शुरुआत।
- संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हमारे राष्ट्रनायकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के युवाओं को आमंत्रित करना।
- सूचना और संचार केंद्र की स्थापना करना इत्यादि।

लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में श्री बिरला ने सदन के माध्यम से कार्यपालिका की पारदर्शिता और विधायिका के प्रति जवाबदेही को और अधिक प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया है। सदन के सभी माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से नए सदस्यों, महिला और युवा सदस्यों को उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया है।

श्री बिरला के विशेष प्रयासों एवं सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से ही कोविड वैश्विक महामारी के दौरान भी लोक सभा में बेहतर कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सका।

संसद का नया भवन

श्री ओम बिरला के कार्यकाल के दौरान ही एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर संसद के नए भवन का शिलान्यास, निर्माण और लोकार्पण हुआ। नए संसद भवन को अत्याधुनिक तकनीक से युक्त तथा पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है, ताकि माननीय सदस्यगण दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति

श्री ओम बिरला ने लोक सभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की महासभा, संसद के अध्यक्षों के वैश्विक सम्मेलन, जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (सीएसपीओसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में शिरकत की। इसके साथ-साथ अनेक देशों में जानेवाले भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का भी नेतृत्व किया। इस हेतु उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, सर्बिया, इटली, तुर्की, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, सूरीनाम, मालदीव, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यूरोपियन पार्लियामेंट, बेल्जियम, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, केन्या, तंजानिया और मंगोलिया इत्यादि।

पी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन

श्री ओम बिरला के नेतृत्व में अक्टूबर, 2023 में यशोभूमि, नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के नौवें पी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। जी-20 देशों तथा 10 आमंत्रित देशों की संसदों के 37 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईपीयू के अध्यक्ष और पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इनके अलावा, 48 माननीय संसद सदस्यों समेत कुल 436 प्रतिनिधियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था—**"एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य के लिए संसद"**। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से एसडीजी, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे इत्यादि विषयों पर विस्तृत, सफल एवं सारगर्भित चर्चा हुई।

श्री ओम बिरला ने संसद के बाहर विभिन्न अंतर-संसदीय मंचों, देश-विदेश के सामाजिक व सार्वजनिक समारोहों और अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक मंचों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया है। श्री ओम बिरला ने लोक महत्त्व के विषयों को जिस विद्वत्ता, तार्किकता एवं भावात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ना पाठकों के लिए एक समृद्धिकारक अनुभव रहेगा।

भाग-दो

उनके विचार

एक

संसदीय लोकतंत्र

1

सशक्त स्थानीय निकाय : सशक्त लोकतंत्र*

"हमारे गाँव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के महत्त्वपूर्ण आधार हैं। यदि हमारे ग्राम आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करें, तो इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को शक्ति मिलती है। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।"

कश्मीर की आकर्षक वादियों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम में आप सभी जनप्रतिनिधियों से मुखातिब होना एक सुखद अनुभव है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर जीवंतता, उत्साह और सुंदरता की भूमि है। इसकी प्राचीन लोक परंपराएँ और सांस्कृतिक विरासत इसे विशिष्टता प्रदान करती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यहाँ के निवासियों की ऊर्जा तथा विविध कठिनाइयों के बीच कार्य के प्रति संकल्प, शक्ति सबके लिए प्रेरणादायी है।

लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों के साथ स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ उपस्थित रही हैं। इससे पता चलता है कि चर्चा एवं संवाद से शासन चलाने की परंपरा हमारे देश में कितनी पुरानी रही है।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से इन्हीं प्राचीन परंपराओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए देश में विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश में सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त हों तथा विकास एवं समृद्धि को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने में समर्थ हों।

---

* जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 'पहुँच और परिचय कार्यक्रम', श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 31 अगस्त, 2021

इन संशोधनों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उनके विशेष दायित्व दिए गए हैं तथा उन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ भी दी गई हैं। इन कदमों के माध्यम से हम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को पूर्ण करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

आज हमारे देश में 2 लाख 60 हजार से अधिक पंचायतें हैं, जिनमें 31 लाख 80 हजार से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों में 14 लाख 54 हजार (45 प्रतिशत से अधिक) निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बारामुला जिले में पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए

इनमें से 21 राज्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने अपने राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है तथा 14 राज्य ऐसे हैं, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। इससे पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह एक अच्छा संकेत है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जम्मू-कश्मीर की जिला विकास परिषद के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों में 33 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

मुझे इस बात का एहसास है कि आप सभी कठिन परिस्थितियों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि वर्ष 2018 में हुए पंचायत आम चुनावों के बाद कई सरपंचों

तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है अथवा उन्हें निशाना बनाया गया है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद आप सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने लोगों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। आपकी प्रतिबद्धता तथा साहस सराहना योग्य है। आपके प्रयासों से अंतत: लोकतंत्र शक्तिशाली होगा एवं आपके क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा।

इन्हीं कठिन चुनौतियों के बीच उत्कृष्ट कार्यों के लिए बारामुला के कंगरुसा, बड़गाम के हकेरमुला ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार तथा राज्य की कई अन्य पंचायतों को अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में आप लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं।

हमारे गाँव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के महत्त्वपूर्ण आधार हैं। यदि हमारे ग्राम आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करें, तो इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को शक्ति मिलती है। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

आपके क्षेत्र की विशिष्ट शिल्पकला है, हस्तकला एवं अन्य उत्पाद हैं, जिन्हें प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। कश्मीर अपने वस्त्र उत्पादों, कालीनों तथा कृषि उत्पादों जैसे सेब, केसर, ड्राईफ्रूट इत्यादि के लिए विश्वप्रसिद्ध है। आपके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने में लोकतांत्रिक संस्थाएँ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वस्तुत: जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के पीछे यही उद्देश्य था कि किस प्रकार लोकल स्ट्रेंथ को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए तथा उनके माध्यम से समृद्धि को गाँव–गाँव तक पहुँचाया जा सके।

जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हम सीमाओं के भीतर बंधकर रह जाएँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम विकास के पथ पर नए अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें। हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करें, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी वस्तुओं की आपूर्ति करें। हमारा लक्ष्य वैश्विक सप्लाई चेन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनना है। हमारे स्किल्स, हमारी क्षमताएँ इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस वैश्विक चुनौती ने लोगों के जीवन के साथ–साथ आजीविकाओं पर भी गहरा असर डाला है। इस महामारी के नियंत्रण के लिए तथा भविष्य में इसकी फिर से कोई भयंकर लहर न आए, इसके लिए आपने गंभीर प्रयास किए हैं।

आपने न केवल प्रभावी तरीके से गाँवों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका है, अपितु इसके बारे में जागरूकता पैदा करने में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा आपसे आग्रह है कि कोरोना के टीकाकरण के विषय पर भी जनता में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर सभी व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें।

कोरोना ने हमारी आजीविका को प्रभावित तो किया ही है, परंतु उसने हमारे लिए नए अवसर भी उत्पन्न किए हैं। इन नए अवसरों का लाभ उठाने तथा इनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आपसे आग्रह है कि आप सरकार तथा निजी संगठनों के सहयोग से इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करें।

"अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बेहतर कार्यकरण के लिए परस्पर चर्चा और संवाद की एक पद्धति बने। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सकेंगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त होंगी।"

मेरा यह सदैव प्रयास रहा है कि देश भर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाए, संवाद हो ताकि हम परस्पर अपने विचारों तथा अनुभवों को साझा कर सकें।

संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बेहतर कार्यकरण के लिए परस्पर चर्चा और संवाद की एक पद्धति बने। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सकेंगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त होंगी।

हमारा यह दायित्व है कि स्थानीय स्वशासन का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचे। इस उद्देश्य से सभा में व्यापक चर्चा हो तथा कार्यपालिका की प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

आज का युग संचार का युग है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में संचार माध्यमों तथा आईटी के अधिक उपयोग से उनके कार्यों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। ई-पंचायत तथा 'ई-ग्राम स्वराज' जैसे एप्लीकेशन आरंभ किए गए हैं, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मेरा सुझाव है कि आप अपने कार्यों में आईसीटी के साधनों तथा डिजिटल नवाचारों का अधिक-से-अधिक प्रयोग करें, ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके।

इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी 2.5 लाख पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए, प्रत्येक गाँव में फाइबर नेट की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य भारतनेट प्रोजेक्ट के माध्यम से तेजी से हो रहा है।

पंचायती राज संस्थाएँ जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं के साथ-साथ समाधानों का भी ज्ञान होता है। यदि वे प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएँ, तो देश में लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायता मिलेगी।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बारामुला जिले में
पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए

यह आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाएँ अपने कार्यकरण में समावेशी एवं सतत विकास, सहयोग और सामूहिकता के आदर्शों को अपनाएँ। सभी पंचायतें और स्थानीय निकाय अपने ज्ञान, अनुभव और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित करें, ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके।

कोई भी व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। सभी व्यवस्थाओं में हम अपने अनुभवों तथा फीडबैक प्रणाली के आधार पर वांछित परिवर्तन करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को भी इसी प्रकार आवश्यकतानुसार संशोधित करने की पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। इस विषय पर व्यापक विचार एवं संवाद के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रभावी भागीदारी को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में पंचायत संस्थाओं के स्वरूप में भिन्नता है, परंतु उनका उद्देश्य जनता की सेवा और उनका कल्याण है। मुझे विश्वास है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, स्थानीय स्तर की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता से कश्मीर समृद्धि तथा विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा।

2

लोकतांत्रिक मूल्यों की पोषक, संरक्षक और संवर्धक हमारी विधायी संस्थाएँ*

"अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाएँ तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाएँ, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके।"

आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाएँ तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाएँ, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके।

आज इस अवसर पर विश्व के कई देशों की संसदों के अध्यक्ष भी वर्चुअल रूप से हम सबसे जुड़े हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सब भी आज लोकतंत्र दिवस पर अपने-अपने अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे, ताकि हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकें।

आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम वियना में विश्व की संसदों के अध्यक्षों के पाँचवें सम्मेलन में मिले थे। वहाँ हमने कुछ प्रस्ताव और संकल्प पारित किए थे और अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया था।

मेरा विचार है कि उन विचारों और अनुभवों के माध्यम से अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व प्रणालियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करना होगा।

---

* 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में वर्चुअल उद्‌बोधन, नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2021

हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएँगे।

इसी के साथ आज भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी है। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन वर्ष 1921 में शिमला में हुआ था। इस सम्मेलन के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं।

81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन करते हुए; साथ में राज्य सभा के माननीय उप सभापति, श्री हरिवंश और लोक सभा महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह

इन दस दशकों की यात्रा में हमने आजादी भी प्राप्त की और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अपना संविधान बनाया। संविधान निर्माताओं ने लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र की इस लंबी यात्रा में हमने अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत किया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी किए हैं।

संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी हुई है। विधान मंडल लोकतंत्र के ऐसे मंदिर हैं, जिनके माध्यम से हम जनकल्याण के कार्य करने का प्रयास करते हैं।

सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाएँ होने के कारण हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि देश में अन्य संस्थाओं और संगठनों के लिए हम आदर्श संस्थाओं के रूप में कार्य करें तथा कार्य, अनुशासन और शालीनता के उच्चतम मापदंडों को बनाए रखें।

किसी विधान मंडल की विश्वसनीयता उसके सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधान मंडल के अंदर और बाहर शालीनता के उच्चतम मानदंडों का पालन करें। दुर्भाग्य से, हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, जिससे इन संस्थाओं की छवि धूमिल होती जा रही है।

पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण के मापदंडों को उच्च बनाने के लिए हम किस प्रकार की कार्य योजना बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्था हमारे संविधान में परिकल्पित व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्य करने में सक्षम हो।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरे मन में कुछ कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में कुछ विचार हैं, जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इनके संबंध में आपके जो विचार और सुझाव हैं, जब हम शिमला में शताब्दी सम्मेलन में मिलेंगे, तब उन विचारों और सुझावों पर चर्चा करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे। हमने पिछले 100 वर्षों के अंदर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो निर्णय लिए हैं, जो संकल्प लिए हैं, उन निर्णयों पर विचार करेंगे और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।

आज देश के अंदर संसद और विधान मंडलों में अनुशासन और शालीनता के विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। पहले भी इस विषय पर वर्ष 1992, 1997 और 2001 में सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों में पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेता, राजनीतिक दलों के नेतागण और सचेतकों ने भी हिस्सा लिया था। उसमें कुछ विचार और संकल्प लिए गए थे।

क्यों नहीं हम 21 साल बाद वर्ष 2022 में फिर से बैठकर 'लोकतांत्रिक संस्थाओं में अनुशासन और शालीनता' विषय पर कुछ सामूहिक फैसले करें। मेरा सुझाव है कि देश भर में सांसदों और विधायकों के एक व्यापक और बड़े सम्मेलन का आयोजन हो। मेरा विचार है कि आजादी के 75 वर्ष होने के अवसर पर संसद में 75 वर्ष से ऊपर के वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसदों, जिनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा है, का सम्मेलन आयोजित किया जाए, ताकि उनके अनुभवों का लाभ हमें मिल सके। इसी तरह से आप भी अपने-अपने राज्यों में 75 वर्ष के ऊपर के सांसदों और विधायकों, चाहे वे वर्तमान हो या पूर्व, जिनका

दीर्घ संसदीय अनुभव रहा है, का सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, ताकि उनके अनुभवों का लाभ वर्तमान लोगों को मिल सके।

संसदीय व्यवस्था में लोक लेखा समिति महत्त्वपूर्ण समिति होती है, जो संपूर्ण लेखा पर नियंत्रण करती है और शासन में पारदर्शिता लाती है। यह वर्ष भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। इस उपलक्ष्य में आगामी 4-5 दिसंबर, 2021 को लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें देश के सभी विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारीगण, संसद एवं राज्यों की विधान मंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापति, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य गण्यमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन पर भी हमें विचार करना है।

'लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में महिला एवं युवा सांसदों और विधायकों की भूमिका' विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है। सभी विधान मंडल अपने-अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मेलन आयोजित करें, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना पर चर्चा हो।

मैं इन सभी विषयों पर आपके बहुमूल्य विचार और सुझाव आमंत्रित करता हूँ। हम सब शीघ्र ही पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में शिमला में मिलेंगे।

3

विधान मंडल : जनाकांक्षाओं की सजीव अभिव्यक्ति*

"हमारा शासन लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।"

कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ का विधान सभा भवन लोकतंत्र का अनुपम प्रतीक है, जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह ऐतिहासिक भवन और यहाँ की समृद्ध लोकतांत्रिक यात्रा हमें नई प्रेरणा देती है।

जब देश और दुनिया के लोग कर्नाटक आते हैं, तो पर्यटक के रूप में इस विधान सौध को भी देखने आते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

कर्नाटक का एक समृद्ध और गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर का 'अनुभव मंटपम्' आधुनिक अर्थों में एक लोक संसद ही था। आजादी की लड़ाई में रानी चेनम्मा का सर्वोच्च बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। कर्नाटक प्रांत की लोकतंत्र की यात्रा अत्यंत समृद्ध और गौरवपूर्ण रही है। इस लोकतांत्रिक यात्रा को समृद्ध बनाने में जिन राजनेताओं का योगदान रहा है, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

आज जिस विषय पर आपके साथ विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है, वह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र में आजादी के पिछले सात दशकों की यात्रा के अंदर

---

* कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में संबोधन, बेंगलुरु, कर्नाटक, 24 सितंबर, 2021

हमने संसदीय व्यवस्था से शासन चलाने की पद्धति अपनाई थी, उन संसदीय मूल्यों का संरक्षण करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने की दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, यही विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं।

आज संपूर्ण विश्व में संसदीय प्रजातंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। ऐसे में हमने 75 साल की यात्रा में संसदीय लोकतंत्र व विधायिका को और सशक्त किया है और विभिन्न आयामों में प्रगति की है।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री बसवराज बोम्मई से स्मृति-चिह्न स्वीकार करते हुए; साथ में कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष, श्री विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी और कर्नाटक विधान परिषद के सभापति, श्री बसवराज होरत्ती

हमारे लोकतंत्र के मूल में सदैव देश की जनता रही है। संविधान बनाने वाले हमारे मनीषियों ने जनता को ही केंद्र में रखकर संविधान का निर्माण किया था। यही कारण है कि भारत में अब तक 17 आम चुनाव एवं 300 से अधिक विधान सभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, जिनमें मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बढ़ी है। चुनावों के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण होना लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। इन्हीं विधान मंडलों से हम जनता की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं।

लेकिन आज 75 वर्षों की यात्रा में पुन: विवेचना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया

जाए। हमारा शासन लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी हुई है। संसद एवं विधान मंडलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहें तथा उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को इन विधान मंडलों के माध्यम से पूर्ण कर सकें।

हमारे विधान मंडल लोकतंत्र की आत्मा हैं। देश के लिए नीतियाँ और कानून बनाने का दायित्व विधान मंडलों के कंधों पर है। हम विधान मंडलों को अधिक जिम्मेदार तभी बना सकते हैं, जब इनके अंदर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो, संवाद हो।

आज हमारे विधायी निकाय बहुआयामी कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्या और शिकायतों को अभिव्यक्ति दी जाती है और कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय की जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों के कारण विधान मंडलों के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहें तथा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएँ।

संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार और कर्तव्य परिभाषित किए गए हैं तथा सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ भी तय की गई हैं।

लेकिन इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका विधायिका की है, क्योंकि यही वह संस्था है, जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाती है। संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों की भावना भी यही थी कि हमारी विधायिका अधिक जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जिम्मेदार हो, ताकि जनता की सामाजिक-आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कानून बना रहे हैं, उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो और विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो, ताकि जो कानून बने, उस पर कोई सवाल न उठे।

इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी विधायिका कानून बनाने में सक्षम और दक्ष हो। विधायकों की क्षमता और दक्षता को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विधान मंडलों को व्यापक रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग की कार्य-योजना बनानी चाहिए।

परंतु अभी देखने में आ रहा है कि कानून बनाते समय जितनी व्यापक चर्चा और संवाद विधान मंडलों में होना चाहिए, माननीय सदस्यों की जितनी भागीदारी होनी चाहिए,

उतनी व्यापक सहभागिता और चर्चा-संवाद नहीं हो पा रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

चूँकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं और उनके अभावों, समस्याओं और कठिनाइयों को निकटता से समझते हैं, इसलिए विधि निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभा का बहुमूल्य समय व्यवधान और शोरगुल के कारण नष्ट न हो। इसलिए आज फिर से विधान मंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। समय-समय पर इस संबंध में विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया जाता रहा है।

कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए

वर्ष 1992, 1997 तथा 2001 में इसके लिए अलग-अलग सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के पीठासीन अधिकारियों, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने विधान मंडलों में अनुशासन, शालीनता और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा और संवाद किया था और कुछ प्रस्ताव और संकल्प भी पारित किए थे। आज हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनेताओं के उन संकल्पों को फिर से अमल में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम सदन की उच्चतम गरिमा को बनाए रख सकें।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अपने अनुशासित व्यवहार और शालीन आचरण से सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। निजी जीवन में भी उनका कार्य एवं व्यवहार जनसाधारण के लिए अनुकरणीय होना चाहिए, जिससे सदन की गरिमा बढ़े। सदस्यों को अपने व्यवहार में शालीनता, परिपक्वता एवं सदाशयता लाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित करने होंगे, जिससे हमारा संसदीय लोकतंत्र गौरवान्वित हो सके।

जब भी सदन के कार्य में व्यवधान आता है, तो हम जनकल्याण के विषय सदन में नहीं उठा पाते हैं, सदन में महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है, जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना असंभव हो जाता है।

"सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रहे। यह तभी हो सकता है, जब जनप्रतिनिधि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे जिससे लोकतंत्र के प्रति जनमानस की आस्था बढ़े।"

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदन में विरोध, मतभेद, असहमति नहीं हो। वास्तव में विरोध, मतभेद, सहमति-असहमति, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और मतांतर हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इनसे हमारा लोकतंत्र और अधिक समृद्ध और जीवंत हुआ है। परंतु यह आवश्यक है कि विरोध गरिमामय हो और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो।

सभा में वाद-विवाद और विरोध के दौरान एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार, आदर और सम्मान बना रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर या बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो संसदीय लोकतंत्र की कार्यक्षमता और उसकी गरिमा को कम करे।

सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रहे। यह तभी हो सकता है, जब जनप्रतिनिधि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे जिससे लोकतंत्र के प्रति जनमानस की आस्था बढ़े।

आज भारत नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश का प्रत्येक वर्ग नए भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता चाहता है।

विधान मंडलों व लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत करना हमारा संकल्प है। सार्थक चर्चा और संवाद से हमें लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है, ताकि संपूर्ण विश्व में हम लोकतंत्र के मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें।

हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। देश के अंदर अलग-अलग विचारधारा और विविधताओं के बावजूद हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रदेश और देश की जनता की सेवा के लिए काम करते आए हैं।

मेरी कामना है कि हम देश-प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए सामूहिक भावना से काम करें, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम प्रदेश और देश की जनता के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली ला सकें तथा उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें।

मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा-संवाद के अच्छे परिणाम निकलेंगे और पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

4

विधायिका के संरक्षक : पीठासीन अधिकारी*

"विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित, सारगर्भित, गरिमामयी हो, संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाई जाए, बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन कर सकें।"

देश भर से आए आप सभी पीठासीन अधिकारियों का देवभूमि और प्राकृतिक सुंदरता के प्रदेश हिमाचल की ऐतिहासिक नगरी शिमला में हार्दिक स्वागत है।

शिमला हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है और आज हम इस शताब्दी समारोह के माध्यम से इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने जा रहे हैं।

मैं इस सम्मेलन में संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव रखने वाले माननीय प्रधानमंत्रीजी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो आज हमसे जुड़े हैं। उनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्रोत्साहित करता है।

देश की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यहीं हुआ था। हमारे लोकतंत्र की 75 वर्षों की यात्रा में इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने में यहाँ लिए गए निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

इस सम्मेलन में हम पिछले सौ वर्षों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेंगे। उनमें से जो निर्णय एक्जिक्यूट नहीं हो सके, उनके कारणों के संबंध में चर्चा करेंगे तथा उन निर्णयों में बदलाव लाने पर चर्चा करेंगे, ताकि उनका बेहतर एक्जिक्यूशन हो सके।

---

* 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का उद्घाटन समारोह, शिमला, हिमाचल प्रदेश, 17 नवंबर, 2021

देश के लोकतंत्र की इस यात्रा में आज विधान मंडलों के समक्ष ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएँ और समृद्ध हों।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व का समय हमारी विधायी संस्थाओं का आरंभिक काल था, जब नियम प्रक्रियाओं तथा विधायी परंपराओं को स्थापित करने पर विशेष ध्यान था। परंतु जब हमारा संविधान लागू हुआ और देश की विकास-यात्रा आरंभ हुई, तो इन संस्थाओं की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आए। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने अपने विधायी संस्थाओं में जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नियमों और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन किया है। हमारा उद्देश्य रहा है कि प्रगतिशील कानून बनाने में जनप्रतिनिधियों के साथ जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़े, ताकि हम जनता के आर्थिक, सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों के साथ

सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय श्री विट्ठलभाई पटेलजी, माननीय श्री गणेश मावलंकरजी एवं सम्मेलन के पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में विधान मंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है।

इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही है कि किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और सक्षम बनाया जाए। उनके स्वरूप में, उनकी नियम प्रक्रियाओं में बदलाव लाए

जाएँ, ताकि उन्हें जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का वाहक बनाया जा सके, देश में लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके।

यह संस्था संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परंपराओं को परिवेश के अनुसार बदलने तथा शासन के तीनों अंगों के बीच अपनी-अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखने जैसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयों पर भी चर्चा करती रही है।

82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए

हमारा ध्यान इस बात पर भी रहा है कि विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित, सारगर्भित, गरिमामयी हो, संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाई जाए, बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन कर सके।

आज हमारी यात्रा के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें विधान मंडलों के कार्यकरण की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सदन की कार्यवाही में अनुशासन, गरिमा और शालीनता में गिरावट हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर कई सम्मेलनों में चर्चा हुई है। लेकिन आज इस विषय पर सभी दलों से, सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करके हमें कुछ निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे, ताकि सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा और बढ़ाई जा सके।

इसी प्रकार विधान मंडलों की बैठकों की कम होती संख्या तथा कानूनों के निर्माण के समय चर्चा में कमी भी हमारे लिए चिंता का विषय है, इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा सामूहिक संकल्प हो, आज हम ऐसी शुरुआत करें कि जब हमारी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे हों, तब हमारे सदन पूर्ण रूप से जनता की आशाओं-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। साथ ही हमारी नियम-प्रक्रियाओं की भी समीक्षा हो, ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो, लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी हो तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका सशक्त, जवाबदेह एवं पारदर्शी हो। हमारा उद्देश्य हो कि सभी विधान मंडलों की नियम प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।

इस सम्मेलन में हम अगले 100 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य-योजना पर विचार करें। सभी स्टेकहोल्डर्स तथा एक्स्पर्ट्स के इनपुट लिए जाएँ तथा एक ऐसा मॉडल दस्तावेज तैयार हो, जिसके आधार पर जनता की आशाओं-आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतर विधायी संस्था का विकास किया जा सके।

विधायिका के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और सशक्त विधायिका के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप होने के साथ-साथ नई चुनौतियों का सामना करने में भी सफल हो।

5

एक सदी की यात्रा संपन्न करता अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन*

**"सदन में जनप्रतिनिधियों की प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हमने कितनी बार व्यवधान पैदा किए, शोरगुल किया...
बल्कि प्रतिस्पर्धा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र में कैसे नवाचार किए, कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर किया, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि भी प्रेरणा ले सकें।"**

देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं ऐतिहासिक शहर शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष सम्मेलन आज नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए निर्णयों के साथ संपन्न हो रहा है। इन 100 वर्षों की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए, कई फैसले किए।

आज वक्त आ गया है, वह समय आ गया है, जब हमारी आजादी के 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। आज देश में व्यापक परिवर्तन आए हैं। विकास की यात्रा में अब नए बदलाव आए हैं। बदलते परिप्रेक्ष्य में विधान मंडलों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो गई है।

जनप्रतिनिधि जनता की बढ़ती आशाओं और आकांक्षाओं को विधान मंडलों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सदन के माध्यम से ही सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं और लोगों की जिंदगी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं।

इसीलिए यह बात सही है कि हमें हमारी भूमिका के बारे में भी निर्णायक फैसले करने होंगे, क्योंकि अब देश की जनता की अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ जनप्रतिनिधियों और विधान

* अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधन, शिमला, हिमाचल प्रदेश, 18 नवंबर, 2021

मंडलों से बढ़ गई हैं। अत: हम विधान मंडलों को जवाबदेह बनाएँ, परिणाममूलक बनाएँ, ताकि जनता की हमसे जो आशाएँ और अपेक्षाएँ हैं, वे पूरी हो सकें।

इसके लिए आवश्यक है कि विधान मंडलों के सदन निर्बाध रूप से चलें। सदन में बढ़ती अनुशासनहीनता, व्यवधान, हंगामे की बढ़ती प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा, इसके लिए आवश्यकता होने पर सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे और यह अपेक्षा करेंगे कि सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चले।

82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए

इस सम्मेलन से पूरे देश को यह संदेश जाना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी के रूप में हम अपने कर्तव्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से निभाएँगे और सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है एवं इस कर्तव्य को हम निष्ठा से पूर्ण करेंगे। हमारी जिम्मेदारी सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने की है और यह कार्य हमें ही करना है, इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएँ।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि सभी विधान मंडलों की नियम-प्रक्रियाएँ एक जैसी हों और उन नियम-प्रक्रियाओं से सदन सुचारू रूप से चले, बिना किसी व्यवधान के चले, इसलिए विधान सभाओं के अंदर हमें अच्छी परंपराएँ और परिपाटियाँ स्थापित करनी होंगी, जिससे हमारे सदनों की गरिमा व प्रतिष्ठा और बढ़े।

सदन में जनप्रतिनिधियों की प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हमने कितनी बार व्यवधान पैदा किए, शोरगुल किया, कितनी बार सदन में तख्ती लेकर आए, बल्कि प्रतिस्पर्धा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र में कैसे नवाचार किए, कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर किया, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि भी प्रेरणा ले सकें और सदन में रचनात्मक कार्य के माध्यम से हम सकारात्मक बदलाव ला सकें।

बदलते परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी से विधान मंडलों की कार्यवाही को आधुनिक तकनीक से युक्त करने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफार्म' को निश्चित समय में तैयार करेंगे, ताकि सभी विधान मंडल सामूहिक प्रयासों से अपनी वर्तमान और पुरानी डिबेट तथा अन्य संसाधनों को एक स्थान पर उपलब्ध करा सकें। इससे एक विधान मंडल दूसरे विधान मंडल की कार्यवाही, विचार और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर सकें।

हमें प्रयास करना चाहिए कि विधान मंडलों की बैठकों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम एक निश्चित कार्य-योजना बनाएँ, ताकि हम माननीय सदस्यों को अधिकतम समय और अवसर उपलब्ध करा सकें, जिससे जनप्रतिनिधि अपने प्रदेश और देश के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा कर सकें।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी संसदीय समितियों का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। वे मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। हमारी संसदीय समितियों के कार्यकरण में भी वर्तमान समय के अनुसार व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस विषय पर भी व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। हमें एक ऐसी परिपाटी विकसित करनी होगी कि पीठासीन अधिकारी वर्ष में एक बार संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें और संसदीय समितियों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएँ। पीठासीन अधिकारी आवश्यकता होने पर समिति को आवश्यक सुझाव दें, ताकि समितियाँ जवाबदेही से काम करें, लंबित विषयों को समयबद्ध तरीके से निपटाएँ।

हमारी समितियों में दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने की उत्कृष्ट परंपरा है। हमें संसदीय समितियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि संसदीय समितियाँ अपने रचनात्मक सुझावों के माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाकर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

राज्यों की विधान सभाओं में हमें माननीय सदस्यों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए शून्य काल की परंपरा आरंभ करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने क्षेत्रों के त्वरित और ज्वलंत मुद्दे अपने सदन में उठा सकें। इसके लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है।

पीठासीन अधिकारियों को अपने प्रदेश में स्थित लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शक की भूमिका भी निभानी चाहिए। जब हम एक आदर्श विधान मंडल के रूप में काम करेंगे तो उस प्रदेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आदर्श मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा कर सकते हैं।

आज इस सम्मेलन के पूर्ण होने पर हम यहाँ से यह संकल्प लेकर जाएँ कि यहाँ लिए गए सभी निर्णय, सभी संकल्पों को निश्चित समय पर पूरा करेंगे। हमारा यह भी संकल्प हो कि जब देश की आजादी के सौ साल पूरे हों तो पीठासीन अधिकारियों के इस शताब्दी वर्ष के सम्मेलन को एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाए, जब हमने अपनी विधान मंडलों की भूमिका को एक नई दिशा दी, विधायिकाओं की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात किया तथा एक अधिक सशक्त, जवाबदेह और पारदर्शी विधायी संस्था के लिए कार्य-योजना बनाई जो जनता की हमसे बढ़ती आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो।

अगले 25 साल के बदलते परिवेश में हमारे विधान मंडल देश और प्रदेश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही के स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे, जो अधिक सशक्त, समर्थ, सजग, पारदर्शी होंगे। हमारे विधान मंडल अपनी संवैधानिक, नैतिक, सामाजिक और संसदीय कर्तव्यों के लिए संकल्पित भावना से कार्य करेंगे। ये विधान मंडल सारगर्भित चर्चा और संवाद के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के केंद्र बनेंगे।

6

विद्यार्थियों का विधायिका से साक्षात्कार*

"आज का युग नौजवानों का युग है। युवाओं में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की काबिलियत है और असीम क्षमता है। युवा हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने वाले की भूमिका निभा रहे हैं।"

संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हाल में विदेश से आए युवा सांसदों और आप सभी लॉ स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर्स और उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। आप सभी विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं। आपमें से कुछ युवा सांसद हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, प्रशासक हैं तथा आपमें से कुछ उद्यमी भी हैं।

आप अभी संसद भवन के जिस केंद्रीय कक्ष में बैठे हैं, उसी कक्ष में हमारे मनीषियों ने लगभग 3 वर्ष गहन विचार-मंथन तथा दुनिया के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया था और भारतीय संविधान के रूप में हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया, जिसने पिछले सात दशकों में हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ बैठकर आप उन गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों का अनुभव करेंगे, जिनकी वजह से भारत को 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' कहा जाता है। यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

देश की आजादी के बाद हमारे मनीषियों ने देश को हमारे संविधान के माध्यम से ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली दी, जिसमें सभी को समानता का अधिकार हो। लोकतांत्रिक पद्धति में शासन के तीन अंग होते हैं— विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका देश और प्रदेश की जनता के व्यापक कल्याण के लिए, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने

---

* विधि शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम में संबोधन, संसद भवन, नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2021

के लिए व्यापक चर्चा-संवाद करती है और कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों एवं नियमों को एक्जिक्यूट करने का काम करती है, जबकि न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना तथा नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना।

हमारे संविधान-निर्माताओं का विजन था कि शासन के सभी अंग अपनी-अपनी सीमाओं के अंदर रहकर देश और प्रदेश की जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं नागरिकों की समृद्धि के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करेंगे और नागरिकों का अधिकतम कल्याण करेंगे।

देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि युवाओं की, विशेष रूप से विद्यार्थियों की विधायिका के कार्यों में व्यापक भागीदारी हो, ताकि बेहतर और जनकल्याणकारी कानून बन सकें।

संसद के केंद्रीय कक्ष में विधि छात्रों को संबोधित करते हुए

आज हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगाँठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें यह भी संकल्प करना है कि आज से 25 वर्ष बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो हमारा देश सामाजिक-आर्थिक रूप से विकसित हो और दुनिया के अंदर भारत सर्वश्रेष्ठ हो, हम इस सपने को पूरा कर सकें। हमें यह मंथन करना है कि इसमें हमारी क्या भूमिका हो ?

मैं जब भी विदेशी दौरों पर जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ हमारे युवा नेतृत्व की भूमिका में हैं। आईटी हो या मेडिकल का क्षेत्र हो या अन्य प्रोफेशन, कोई भी क्षेत्र हो, भारत के

युवाओं ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण से एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। वे जिन देशों में काम कर रहे हैं, उनकी प्रगति में तो योगदान कर ही रहे हैं, अपनी योग्यता और कौशल से भारत के यश में भी वृद्धि कर रहे हैं।

आपकी बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास और ऊर्जा के बल पर देश आज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त बनाने तथा और समाज के कमजोर-अभावग्रस्त वर्ग के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएँ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के नौजवान देश और प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहाँ के लोगों के अभावों, समस्याओं की जानकारी दें। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि कानून निर्माण में भी आपकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आप अपने इनपुट अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दें, ताकि जनप्रतिनिधिगण विधान मंडलों में तार्किक चर्चा कर सकें।

आज आई.टी. के युग के कारण हम एक-दूसरे से अधिक कनेक्ट हुए हैं और दुनिया के अंदर देशों के बीच दूरियाँ कम हो गई हैं। आई.टी. के प्रयोग से हम वैश्विक आपदाओं एवं चुनौतियों का सामूहिकता के साथ सामना करने में और सक्षम हुए हैं। तकनीक के क्षेत्र में हमारे युवा पूरे विश्व में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। तकनीक के कारण ही आज हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको भी तकनीक को माध्यम बनाकर सामाजिक-आर्थिक बदलाव की दिशा में कार्य करना है।

आप अपने विचार अपने सहयोगियों तथा आपस में भी साझा करें, आपके देश में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको अपने यहाँ एडॉप्ट करने का प्रयास करें। इनके बारे में समाज में, क्षेत्र में, जनप्रतिनिधियों के बीच जागृति लाएँ। इससे ही हमारे जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी और लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त होंगी। जनप्रतिनिधिगण अच्छे इनोवेशन को सदन के माध्यम से एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे भी शासन में जवाबदेही और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

इस बार हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा और संवाद किया है कि किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में आई.टी. का उपयोग हो, ताकि हम सब विधान मंडल एक-दूसरे से वेल कनेक्टेड रहें, उनके अनुभवों, उनकी परिपाटियों और परंपराओं को साझा करें। उनकी सभी कार्यवाहियों को एक प्लेटफार्म पर ला सकें, ताकि देश की जनता और देश के नौजवान एक प्लेटफार्म पर संपूर्ण विधान मंडलों की कार्यवाही को देख सकें।

संसद की लाइब्रेरी भी इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें हमने 1858 से लेकर अब तक के रिकार्डस को डिजिटाइज करने का काम किया है। हम आने वाले समय में यह डिजिटल लाइब्रेरी भी और सभी विधान मंडलों की संसदीय कार्यवाही भी एक मेटा डाटा पर देखेंगे, ताकि संपूर्ण देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यवाहियाँ, वहाँ की कमेटी रिपोर्टस, कानून बनाने की चर्चा इत्यादि इसके माध्यम से आप बेहतर रिसर्च का काम कर पाएँगे।

भारतीय संस्कृति सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को बढ़ावा देती आई है, इसलिए आज भारत सारे विश्व के कल्याण और समृद्धि के लिए सामूहिकता के साथ सबके साथ मिलकर काम कर रहा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है।

आज का युग नौजवानों का युग है। युवाओं में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की काबिलियत है और असीम क्षमता है। युवा हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने वाले की भूमिका निभा रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि इस केंद्रीय कक्ष से, जो एक ऐतिहासिक कक्ष है, जहाँ पर बैठकर हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, निश्चय ही आप यहाँ से नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाएँगे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तीकरण में और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएँगे।

7

अधिकारों और दायित्वों का जीवंत दस्तावेज : भारतीय संविधान*

"संविधान हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे अधिकारों का स्त्रोत है, जो हमें हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है।"

देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 72 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी।

संविधान हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे अधिकारों का स्त्रोत है, जो हमें हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है, जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग दिखाता है।

हमारा संविधान देश की एकता-अखंडता एवं नागरिकों की डिगनिटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है।

यह ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्‌भुत संविधान का निर्माण करने वाले हमारे संविधान मनीषियों को सादर नमन।

हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है, जो हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है। यदि हम सभी जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएँ अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें, तो

---

* संविधान दिवस के अवसर पर संबोधन, नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2021

हम प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' को साकार कर सकते हैं।

हमारे प्रगतिशील संविधान को देश-विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक रही है।

हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन देश के लिए अपने कर्तव्यों पर विचार-मंथन करें।

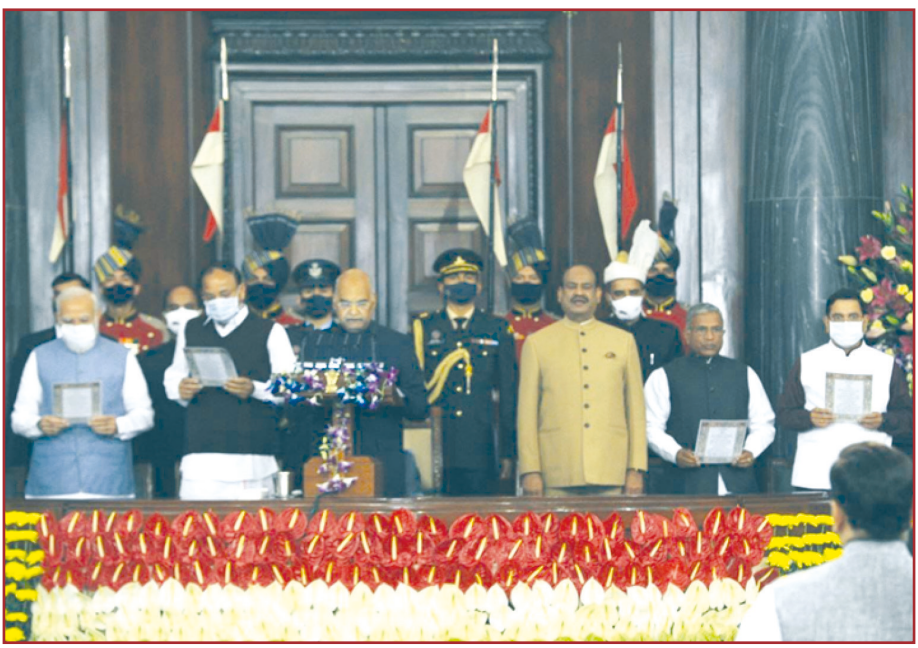

'संविधान दिवस' के अवसर पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद, तत्कालीन उप राष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य विशिष्टजनों के साथ

संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन-मनन से जो अमृत निकलेगा, उससे ही आमजन के जीवन में सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।

जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह भी दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र-हित में

सामूहिकता से काम करें, देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों का सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए हमें अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करना चाहिए।

आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।

8

राजकोष की संरक्षक : लोक लेखा समिति*

"जनता की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई है। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता की समस्याओं को हल करने तथा उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली एक प्रभावी संस्था के रूप में देखा जा रहा है।"

आज हमारी संसद एवं देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर है, जब हम भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली समितियों में से है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है।

आज से 75 वर्ष पहले जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से अभी तक देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त हुई हैं। इन सात दशकों में संसद ने जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। जनता की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई है। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता की समस्याओं को हल करने तथा उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली एक प्रभावी संस्था के रूप में देखा जा रहा है।

हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि कठिन समस्याओं के बावजूद इन सात दशकों में हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी लोकतंत्र के रूप में आगे आए हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व शासन को जनता के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार तथा पारदर्शी बनाना है। संसदीय समितियों ने अपने कार्यों से इसे संभव बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

---

* लोक लेखा समिति (पीएसी) के 'शताब्दी समारोह' का उद्घाटन समारोह, नई दिल्ली, 4-5 दिसंबर, 2021

सौ वर्षों का कालखंड एक दीर्घ कालखंड होता है, जब हम किसी संस्था के प्रभाव का आकलन करते हैं, उसके कार्यों की समीक्षा करते हैं। अपने कार्यकरण के 100 वर्षों में लोक लेखा समिति ने विधायिका तथा संसद की सर्वोच्चता को कायम रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

वर्ष 1921 में जब पीएसी की स्थापना हुई थी, तो देश स्वतंत्र नहीं था। पर स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से पीएसी की भूमिका में बड़े बदलाव आए हैं। हमारी प्रगति एवं उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से नई परंपराएँ, नई परिपाटियाँ आरंभ की गई हैं, ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण की प्रणाली को स्थापित किया जा सके।

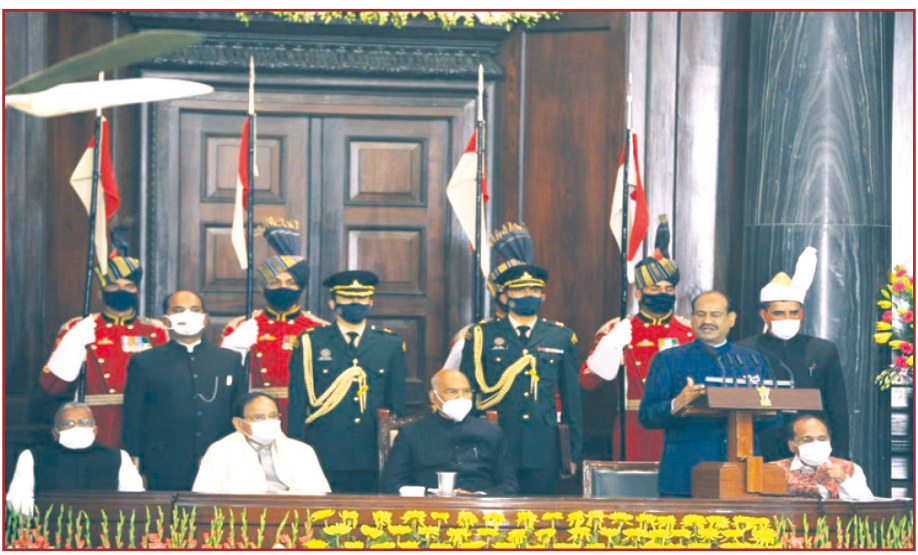

लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए

लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति है, जिसे नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता तथा मार्गदर्शन मिलता है। इसी कारण पीएसी प्रशासन में वित्तीय खामियों को दूर करने तथा सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सार्थक सिफारिशें दे पाती है। भारत जैसे विकासशील देश में इस समिति के रचनात्मक सुझावों ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ावा ही नहीं दिया है, बल्कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने में सहायता भी की है।

हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गहरी आस्था का परिणाम है कि इस महत्त्वपूर्ण समिति के सभापति के पद को प्रतिपक्ष को देने की परंपरा आरंभ की गई। समिति की

सिफारिशों को सरकार द्वारा सामान्यत: स्वीकार करने की परंपरा भी हमारी संसदीय व्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाती है।

इस परंपरा ने पीएसी को एक संसदीय व्यवस्था के अंदर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में विकसित किया है, जहाँ सभी निर्णय सामूहिक चर्चा एवं विचार-विमर्श से लिए जाते हैं। पीएसी के पिछले सौ वर्षों के कार्यकरण में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब इसके प्रतिवेदनों ने शासन में वित्तीय अनुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे देश की इस महत्त्वपूर्ण संसदीय समिति के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से पीठासीन अधिकारीगण तथा राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति हमारे साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके समृद्ध अनुभवों एवं विचारों से इस दो दिवसीय सम्मेलन के अंदर की जा रही चर्चाओं को सार्थक बनाया जा सकेगा।

संसद की लोक लेखा समिति व राज्यों की लोक लेखा समितियों के बीच साझे हित के अनेक मुद्दे हैं। हमारे उद्देश्य और समस्याओं दोनों में समानता है।

इस सम्मेलन में चार सत्र हो रहे हैं, जिनमें लोक लेखा समितियों के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस विचार-विमर्श से नए विचार सामने आएँगे, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोक लेखा समिति के कार्यकरण को बेहतर बनाया जा सकेगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजना बनाने का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मुझे यह भी विश्वास है कि सम्मेलन में हम समितियों के कार्यकरण में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग पर चर्चा करेंगे।

आज की आवश्यकता है कि सभी विधान मंडलों को एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाए, जहाँ हम अपनी उपलब्धियों, विचारों और अनुभवों को साझा कर सकें और साझी समस्याओं का साझा हल निकाल सकें।

अंत में मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य जनता की सेवा है, उनकी अपेक्षाओं, आशाओं को पूर्ण करना है। आपके सहयोग और सक्रिय सहभागिता से भारत की संसद नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी।

लोक लेखा समिति का यह शताब्दी समारोह एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी यह सामूहिक संकल्प लें कि हम समर्पण एवं प्रतिबद्धता से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से कार्य करेंगे।

9

विधायी पद्धतियों, प्रणालियों और परंपराओं का बोधन*

"जनता की लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था बढ़ी है। यह आस्था इसलिए बढ़ी है कि जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने दुखों एवं अभावों के समाधान का एक प्रभावी माध्यम मानती है।"

भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ। पुदुचेरी की 15वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ एवं बधाई देता हूँ।

इस तीन दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आपको संसदीय पद्धतियों, प्रणालियों, परंपराओं एवं परिपाटियों की जानकारी तो मिलेगी ही, आपको हमारे प्रतिष्ठित संसदविदों से संवाद करने का अवसर भी मिलेगा, उनके अनुभवों का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।

आप हमारे देश की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा के वाहक हैं। लोकतंत्र हमारी संस्कृति का अंग है, हमारी सोच में है, हमारी जीवन-शैली में है। इस वर्ष देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के इन सात दशकों की यात्रा में देश में लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है।

जनता की लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में आस्था बढ़ी है। यह आस्था इसलिए बढ़ी है कि जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने दुखों एवं अभावों के समाधान का एक प्रभावी माध्यम मानती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं को अभिव्यक्ति देने तथा उनके समाधान निकालने के प्रयास किए हैं।

---

* पुदुचेरी की 15वीं विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2021

पुदुचेरी अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ की टाउन प्लानिंग, वास्तुशिल्प, संस्कृति पर फ्रेंच प्रभाव के कारण इसे 'इंडिया का लिटिल फ्रांस' भी कहा जाता है। आप जिस संघ राज्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वह कई मायनों में विशिष्ट है। देश के अन्य राज्यों के विपरीत आपका यूनियन टेरिटरी तीन अलग-अलग क्षेत्रों में फैला है। आपके यूनियन टेरिटरी का एक विशिष्ट इतिहास रहा है।

वर्ष 1963 में प्रथम विधान सभा के गठन के समय से पुदुचेरी विधान सभा ने समय के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को ढाला है।

एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपका दायित्व है कि आप अपने क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें, जनता की बदलती उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करें तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करें। अपने मतदाताओं से आपका नियमित संपर्क आपके कार्य के लिए जरूरी है।

पुदुचेरी विधान सभा के सदस्यों के साथ

आपका कार्य इस प्रकार का होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में समाज का आखिरी व्यक्ति भी स्वयं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का भागीदार समझे तथा स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक समझे। उसके मन में यह भावना रहे कि उसकी आवाज भी सुनी जाती है, उसकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जाता है।

हमारा देश बहुलतावादी देश है। यहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर बड़ी विविधताएँ हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। आप अपने क्षेत्र की भौगोलिक तथा सामाजिक संरचना को

भली-भाँति समझते हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप अपने मतदाताओं के लिए ऐसी कार्य योजना बनाने में सहायता करें, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो।

आपका यह भी दायित्व है कि आप अपने नागरिकों और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करें, शासन को अच्छी नीतियाँ बनाने के लिए अपने इनपुट दें, ताकि आपके क्षेत्र के नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके।

जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन तभी कर सकते हैं, जब वे सभा में उपलब्ध सभी साधनों का अधिकतम उपयोग करें तथा सभा के विधायी, वित्तीय और अन्य कार्यों में सक्रियता से भाग लें। सभा में मामले उठाने के लिए सदस्यों के पास अनेक प्रक्रियात्मक साधन उपलब्ध हैं, जो सदन की नियम प्रक्रियाओं में वर्णित होते हैं। देश के संविधान में आपके विशेषाधिकार भी परिभाषित किए गए हैं, जिससे सदन में आपको अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है।

एक प्रभावी विधायक बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों, प्रश्नों, नोटिसों और अन्य प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी हो। इसमें आपको इस प्रबोधन कार्यक्रम से पूरी सहायता मिलेगी।

यह प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए एक प्रभावी जन-प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम से विधायी प्रक्रियाओं के बारे में आपकी जानकारी और बढ़ेगी तथा आप विधायक के रूप में और अधिक प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएँगे। मुझे विश्वास है कि यह प्रबोधन कार्यक्रम विशेष रूप से पहली बार निर्वाचित सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। विषयों की प्राथमिकता तय करके और समय के कुशल प्रबंधन से आप सभा में अच्छा प्रभाव छोड़ पाएँगे।

जनप्रतिनिधि के रूप में आपको यह समझना होगा कि आपको सदन में जनता द्वारा उनकी समस्याओं पर चर्चा-संवाद करने तथा उनका समाधान निकालने के लिए भेजा गया है। जनता की उम्मीद होती है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ गरिमापूर्ण तरीके से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करें। इसलिए इन संस्थाओं के सदस्यों का कर्तव्य है कि वह अपने मतदाताओं की उम्मीदों के अनुसार कार्य करे।

इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे सदन तथा सार्वजनिक जीवन में गरिमापूर्ण आचरण करें। जनता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए हमें सभा में पूरी तरह अनुशासन और शालीनता बनाए रखनी चाहिए तथा सभी नियमों, परंपराओं और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।

सभी संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं और परंपराओं का उद्देश्य यही है कि सभा के कार्य शीघ्र और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हों। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे

सभा में जाते समय एवं अपनी बात रखते समय सदैव आसन एवं सभा की गरिमा का ध्यान रखें। सभा में सदैव गरिमापूर्ण एवं शालीन आचरण बनाए रखें। सभा में व्यवधान उत्पन्न न करें; न तो वेल में जाएँ और न ही तख्तियाँ या प्लाक दिखाएँ।

सभा का समय कीमती होता है एवं इसका उपयोग महत्त्वपूर्ण विषयों पर संवाद-चर्चा, गंभीर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के लिए किया जाना चाहिए। सदन में मतभेद और विरोध तो होना चाहिए, पर गतिरोध नहीं होना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अनेक विधान मंडलों की कार्यवाहियों का अब सीधा प्रसारण किया जाता है और बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण यदि विधान मंडल अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इससे सभा की छवि धूमिल होती है। जन-प्रतिनिधि के रूप में हमसे जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि विधायकों को अपनी अभिरुचि के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। लोक सभा सचिवालय के समृद्ध संसद ग्रंथालय और शोध सेवा संसद सदस्यों को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा की लाइब्रेरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसके समृद्ध संसाधनों के सदुपयोग के लिए विधान सभा के सदस्यों के लिए भी सुविधा सुलभ करा दी गई है। लाइब्रेरी सेवा को और एक्सेसीबल बनाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी का पोर्टल सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत 45 लाख पृष्ठों को डिजिटाइज किया जा चुका है।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों की भी अपनी लाइब्रेरी होती है। आप विषयों को उनके सही संदर्भ में समझने के लिए अपने सचिवालय के ग्रंथालय तथा शोध एवं संदर्भ प्रभाग के अधिकारियों की भी सहायता ले सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हुई नवीनतम प्रगति की जानकारी होने से आप विश्व के किसी भाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

हमारे लोकतंत्र के केंद्र में जनता है और जनता ही जनार्दन है। इसलिए संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को मिलकर इस साझे उद्देश्य से कार्य करना चाहिए कि हमारे देश की जनता को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास संबंधी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

10

सफल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य आदर्श विधान मंडल*

"इसीलिए आजादी के समय हमारे देश के मनीषियों ने ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसमें लोकतंत्र और समानता को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है।"

लोकतंत्र के मंदिर असम विधान सभा के शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

आप सभी को राज्य की 15वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर मेरी हार्दिक बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएँ। राज्य की जनता ने आपको बहुत अपेक्षाओं-आकांक्षाओं के साथ यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मुझे विश्वास है कि आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे; उनकी अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करेंगे और राज्य की जनता के व्यापक कल्याण के लिए काम करेंगे।

असम विधान सभा अपने अस्तित्व के पिछले आठ दशकों के दौरान लोकतंत्र की सक्रिय और सतर्क प्रहरी रही है। असम को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्वार कहा जाता है। असम का अर्थ ही है, 'जिसके समान कोई अन्य न हो'। असम का प्राकृतिक सौंदर्य, ब्रह्मपुत्र नदी की जीवनधारा, जन-जन की आस्था का प्रतीक माता कामाख्या देवी का दिव्य मंदिर और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता इस राज्य को वास्तव में अतुलनीय बनाती है।

अभी राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75वें साल में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इन वर्षों में देश में संसदीय लोकतंत्र ने भी एक लंबी यात्रा तय की है और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। इन वर्षों में संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ लगातार सशक्त हुई हैं। हमारे देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बढ़ने के साथ-साथ उनसे

* असम विधान सभा में संबोधन, गुवाहाटी, असम, 24 दिसंबर, 2021

अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं। इन बढ़ी हुई अपेक्षाओं और आकांक्षाओं ने सभी विधि-निर्माताओं की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शासन प्रणाली पारदर्शी हो, सहभागितापूर्ण हो, हम इन्हें समावेशी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाएँ।

इसीलिए आजादी के समय हमारे देश के मनीषियों ने ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसमें लोकतंत्र और समानता को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। इसीलिए आज दुनिया के अधिकतम देश संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

असम विधान सभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए

हमारा देश विविधताओं और बहुलताओं का देश है। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हमारी अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग खान-पान, रहन-सहन और अलग-अलग संस्कृति है। फिर भी हमारा देश एक है। हमारा पूर्वोत्तर राज्य असम भी इसका एक सशक्त उदाहरण है, हम कह सकते हैं कि असम पूर्वोत्तर राज्यों की विविधताओं को भारत के साथ जोड़ता है। ये विविधताएँ हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करती हैं।

हमारे संविधान में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और लोगों की संप्रभुता को केंद्र में रखा गया है। इसलिए हमारे देश और राज्यों में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में लोगों का विश्वास और भरोसा है। जनता द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करता है।

हम विधान मंडलों में प्रांतों के सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं और संवाद के माध्यम से जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों के आधार पर जन-कल्याण की नीतियाँ बनाते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी विधान सभाओं को कानून बनाते समय सदन में व्यापक चर्चा करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस जनता के लिए हम कानून बना रहे हैं, उस जनता की कानून बनाने में ज्यादा-से-ज्यादा भागीदारी हो, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की भी अधिकतम भागीदारी हो, ताकि कानून के माध्यम से कल्याणकारी नीतियाँ बनें, जिससे लोगों का अधिकतम कल्याण हो, हम लोगों को अधिक-से-अधिक न्याय दे सकें।

संसदीय समितियाँ मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएँ बनाई जाती हैं, उसका राज्यों की जनता पर क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके लिए भी हमारी संसदीय तथा विधान मंडलों की समितियाँ व्यापक रूप से अध्ययन करें, परीक्षण करें और अपने रचनात्मक सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

असम विधान सभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए

विधायी संस्थाएँ चर्चा-संवाद के लिए बनी हैं। इन संस्थाओं में चर्चा-संवाद में कमी आना चिंताजनक है। विधि-निर्माण के समय भी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इसमें भी कमी आ रही है। सदनों में चर्चा-संवाद की कमी और विधायकों के आचरण में संसदीय मर्यादाओं की कमी चिंतनीय है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद-विवाद होना स्वाभाविक है। किसी विषय पर दोनों पक्षों में मतभेद का होना भी स्वाभाविक है। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। बस ध्यान इस बात

पर दिया जाना चाहिए कि यह मतभेद गतिरोध का रूप न ले।

सदन की कार्यवाही में बाधा डालना न तो नैतिक रूप से उचित है, न ही संवैधानिक रूप से। कई बार तो व्यवधान अनायास नहीं होता, बल्कि नियोजित तरीके से किया जाता है। ऐसा आचरण हमारे लिए और भी अधिक चिंता का विषय है।

हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी दलों को आपसी चर्चा करके, संवाद करके हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करें; सदन को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएँ, ताकि आम आदमी ने जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से हमें चुनकर भेजा है, हम उनकी अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। क्योंकि अगर इन संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कम होगा, भरोसा कम होगा, तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता की आस्था और विश्वास को कायम रखें। इसके लिए आवश्यक है कि सदनों में व्यापक चर्चा और संवाद से जनता के कल्याण के लिए निर्णायक फैसले लिए जाएँ। यही जनता के अधिकतम कल्याण का मार्ग है।

जब संसदीय लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और इसका कोई विकल्प नहीं है, तब आजादी के 75 वर्षों के बाद यह सभी जन-प्रतिनिधियों को और सभी दलों को विचार करना होगा, चिंतन-मंथन करना होगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया जाए।

सत्ता बदलती रहती है, अत: यह सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे विचार करें कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ढाँचे को और सशक्त तथा मजबूत कैसे कर सकते हैं?

हमारे देश और राज्य की इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता और हमारी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी क्षमताओं को निर्बाध रूप से कई बार स्थापित किया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र को आम आदमी के लिए सार्थक और उपयोगी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम संसदीय लोकतंत्र की परंपरा और सिद्धांतों का पालन करें तथा लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से चर्चा-संवाद करके हम आम जनता की बेहतरी के लिए कार्य करें और इन संस्थाओं को जनता के प्रति और पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाएँ।

यही रास्ता है, जिससे हम राज्य की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी संसद को, अपने विधान मंडलों को एक आदर्श संस्था बनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी हमारा लोकतंत्र सफल और सार्थक होगा।

11

बिहार में संसदीय लोकतंत्र के गौरवशाली सौ वर्ष*

"लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर नीतियों, कार्य-योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण में जनता की जितनी अधिक सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही अधिक हम लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएँगे, उनकी भावनाओं के अनुसार कार्य कर पाएँगे।"

बिहार विधान सभा के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय विधायी परिषद की पहली बैठक दिनांक 7 फरवरी, 1921 को इसी ऐतिहासिक भवन में हुई थी। बिहार विधान सभा का यह ऐतिहासिक भवन इस बात का साक्षी रहा है कि किस प्रकार पिछले कई दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा में हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है।

शताब्दी वर्ष समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार विधान सभा डिजिटल टी.वी. तथा विधान सभा पत्रिका के प्रकाशन के शुभारंभ की भी मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज से विधान मंडल के माननीय सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ।

बिहार की पावन भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रही है। यहाँ से आरंभ हुआ लोकतंत्र आज हमारी सोच, जीवन और कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। बिहार लोकतंत्र की ही नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, ज्ञान, अध्यात्म और चेतना की भी पुण्यभूमि है। भगवान बुद्ध का शांति, अहिंसा और प्रेम का शाश्वत संदेश बोधगया से ही संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ। भगवान महावीर का संदेश आज भी विश्व भर में लोगों

* बिहार विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में संबोधन, पटना, बिहार, 17 फरवरी, 2022

को जीवन जीने की राह दिखाता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

यदि मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। कला, संस्कृति, अध्यात्म और साहित्य की उत्कृष्टता तथा यहाँ की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता एवं बहुलता इस राज्य को अतुलनीय बनाती है।

बिहार प्रांत के लोग आज अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका में हैं। यहाँ के प्रतिभावान बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इसलिए मैं यहाँ के बच्चों की प्रतिभा और योग्यता से भली-भाँति परिचित हूँ।

चंपारण में बिहार की धरती पर ही महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के नए प्रयोग किए थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी।

पटना में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए

भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने समस्त देशवासियों को 'सादा जीवन, उच्च विचार' की प्रेरणा दी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को प्रभावित किया।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमने संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त किया है, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय

प्रगति की है। आज जब हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में हमें पुन: चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाए।

संसद एवं विधान मंडलों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को विधान मंडलों के माध्यम से पूर्ण कर सकें।

सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के आचरण से ही सदन की गरिमा और मर्यादा बनती है। हम सदन की जितनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखेंगे, इसे जितना अधिक चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएँगे, उतने ही इसके सुपरिणाम आएँगे। हम कार्यपालिका को उतना ही अधिक जवाबदेह बना पाएँगे और सरकार में पारदर्शिता ला सकेंगे।

बिहार विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए

इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम विधान मंडलों के अंदर हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चा करें, कानून बनाते समय व्यापक चर्चा-संवाद हो, और इस सामूहिक विचार-विमर्श के बाद सामूहिकता से जो निर्णय हो, सरकार भी सकारात्मक रूप से उसी दिशा में कार्य करे, ताकि अपेक्षित परिणाम आ सके।

सदन की घटती गरिमा, चर्चा-संवाद में कमी, नीति निर्माण में विचार-विमर्श की कमी होना और जन-भागीदारी में कमी होना गंभीर चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए हम सबको मिलकर चिंतन करने की आवश्यकता है।

बिहार विधान सभा के केंद्रीय कक्ष में बिहार विधान सभा पत्रिका का विमोचन करते हुए

हमारे यहाँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था है। सरकारें आती-जाती रहती हैं। चाहे कोई भी दल सत्ता में रहे, हर दल को सकारात्मक दिशा में काम करते हुए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त व मजबूत बनाने में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, ताकि हम आदर्श संस्थाएँ खड़ी कर सकें।

लोकतंत्र वाद-विवाद और संवाद पर आधारित पद्धति है। सदन वाद-विवाद और संवाद के लिए ही होता है। पक्ष विपक्ष में मतभेद होना, सहमति-असहमति होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में यह जरूरी भी है। परंतु विरोध के बावजूद गतिरोध नहीं होना चाहिए और नियोजित गतिरोध तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। हमें व्यवधान का नहीं, समाधान का रास्ता ढूँढ़ना चाहिए।

पिछले वर्ष शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और प्रभावी एवं सशक्त बनाने के विषय पर व्यापक चर्चा की थी। सम्मेलन में यह संकल्प भी पारित किया गया था कि देश के सभी विधान मंडल अपने कार्य संचालन नियम एवं प्रक्रियाओं में वांछित संशोधन करें, ताकि हमारे सदनों में अनुशासन और शालीनता आए।

हमें इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए कि अगले 25 वर्षों में जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएँ, तब हम अपने विधान मंडलों को सार्थक चर्चा और संवाद

का एक ऐसा केंद्र बना सकें, जहाँ चर्चा-संवाद और विचार-मंथन से निकलने वाले अमृत से जनता का कल्याण हो और हमारे ये विधान मंडल विश्व के अन्य देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आदर्श बनें। इसके लिए हमें सामूहिकता के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

बिहार की वर्तमान विधान सभा में लगभग 42 प्रतिशत सदस्य पहली बार चुन कर आए हैं। इसलिए यह प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आप निश्चित रूप से हमारे संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाएँगे तथा एक जन-प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का उत्तम निर्वहन कर पाएँगे। अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होना बड़े सम्मान और गर्व की बात है।

एक विधायक का प्राथमिक उद्देश्य जनता की मूलभूत समस्याओं, उनकी आशाओं-आकांक्षाओं को सदन के सामने रखना और उनका समाधान निकालना है। विधायक के रूप में आप दोहरी भूमिका में होते हैं। जहाँ एक तरफ आप जनता और विधायिका के बीच, वहीं दूसरी तरफ, विधायिका और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं।

जन-प्रतिनिधि के रूप में आपको सार्वजनिक और निजी जीवन में आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। आप एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था हैं। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, जो इस सदन की गरिमा को बढ़ाए, समाज को प्रेरित करे और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

पहली बार चुने गए सदस्यों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप विभिन्न संसदीय साधनों से अवगत हों। साथ ही आपको कार्य-संचालन के संबंध में सभा के नियम, प्रक्रिया और परंपराओं की गहन जानकारी भी होनी चाहिए।

इसमें प्रश्नकाल सबसे महत्त्वपूर्ण है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार से प्रश्न पूछना विधायकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। साथ ही आपके लिए अल्पकालिक चर्चा, शून्य काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे कई प्रक्रियागत साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप विभिन्न मुद्दों को सदन में उठा सकते हैं।

संसदीय समितियाँ भी कार्यपालिका की जवाबदेही तथा उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। समितियों में हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करते हैं। यह हमारी संसदीय प्रणाली की परिपक्वता को दर्शाता है।

माननीय सदस्यो, आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस बदलते परिदृश्य में यह आवश्यक है कि हम सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करें, जिसके

माध्यम से विधायकों का क्षमता-संवर्धन हो सके और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो। मुझे खुशी है कि आपने भी आज डिजिटल टेलीविजन शुरू किया है। भारतीय संसद ने भी हाल ही में अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन 'डिजिटल संसद' आरंभ किया है।

हमारा उद्देश्य है कि एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल बने, जिस पर केंद्र और राज्य के विधान मंडलों की कार्यवाहियाँ, संसदीय समितियों की रिपोर्ट, वहाँ की लाइब्रेरी की सामग्रियों को साझा किया जाए, ताकि देश की जनता एक ही प्लेटफार्म पर सभी विधान मंडलों की जानकारी प्राप्त कर सके। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है।

हमारा प्रयास है कि देश के सभी विधान मंडलों की नियम-प्रक्रियाओं में समरूपता हो। इसके लिए हमें अपने-अपने विधान मंडलों की नियम-प्रक्रियाओं में समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारा यह भी प्रयास है कि देश के सभी विधान मंडलों द्वारा अपने-अपने अनुभवों और विचारों को परस्पर साझा किया जाए, ताकि आपसी बेस्ट प्रैक्टिसेज, इनोवेशंस और परंपराओं को अपनाकर हमारे विधान मंडल उत्कृष्ट बन सकें।

हम सब देश-प्रदेश के विकास के लिए एवं राज्य की जनता की खुशहाली के लिए सदन में आए हैं। बिहार राज्य की विधायिका के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर हम सामूहिक संकल्प लें कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन करते हुए इस प्रदेश और देश के लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएँगे और राज्य के विकास के लिए निष्ठा एवं समर्पण के भाव से कार्य करेंगे।

12

विधायी उत्कृष्टता का मान, संसदीय उत्कृष्टता सम्मान*

"लोकतंत्र में प्रतिपक्ष जितना मजबूत होगा, सशक्त होगा, मुद्दों पर जितनी अधिक चर्चा करेगा, शासन उतनी ही जवाबदेही के साथ काम करेगा। एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रतिपक्ष अनिवार्य है।"

मध्य प्रदेश विधान सभा का एक गौरवपूर्ण संसदीय इतिहास रहा है। यहाँ की उच्च संसदीय परंपराओं ने हमेशा देश और राज्य को एक नई दिशा दी है।

आज मैं लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उन सभी महानुभावों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, जिन्हें 'संसदीय उत्कृष्टता सम्मान' से सम्मानित किया गया है। मैं आज इस अवसर पर राज्य के उन सभी पूर्व विधान सभा अध्यक्षों और पूर्व नेताओं का स्मरण करता हूँ जिनके योगदान से हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है और जिनके प्रयासों से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएँ समृद्ध हुई हैं।

इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास एवं भरोसा और अधिक बढ़े, इसके लिए हमें सामूहिकता के साथ मिलकर इन सदनों की मर्यादाओं व परंपराओं को और मजबूत करना होगा।

लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसके द्वारा हम जनता की समस्याओं, कठिनाइयों, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते हैं, ताकि सरकार उनकी समस्याओं एवं अभावों को दूर करे।

---

* मध्य प्रदेश विधान सभा में आयोजित 'संसदीय उत्कृष्टता सम्मान' कार्यक्रम में संबोधन, भोपाल, मध्य प्रदेश, 9 मार्च, 2022

विधान मंडलों के माध्यम से हम सरकार की जवाबदेही तय करते हैं और शासन में पारदर्शिता लाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन संस्थाओं को रचनात्मक चर्चा और संवाद का एक केंद्र बनाएँ, ताकि इन चर्चाओं और संवाद के माध्यम से हम एक अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें।

हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। सत्ताएँ आती हैं, जाती हैं, दलों की सत्ताएँ परिवर्तित होती रहती हैं। यह पक्ष-विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जहाँ शासन जन-कल्याण की योजनाएँ बनाए, विकास की योजनाएँ बनाए, वहीं प्रतिपक्ष शासन की जवाबदेही तय करे और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की भूमिका निभाए।

विधान मंडलों का काम कानून बनाने का भी है। कानून बनाते समय सदनों में व्यापक चर्चा हो, संवाद हो। जिस जनता के लिए कानून बनाया जाता है, उनसे व्यापक स्तर पर परामर्श हो, जन-प्रतिनिधि उनका दृष्टिकोण भी सदन में रखें। कानून बनाते समय उसके प्रभाव का आकलन भी हमें करना चाहिए, ताकि कानून सकारात्मक बने और उससे जनता का कल्याण हो।

मेरा माननीय विधायकों से आग्रह है कि आप केवल एक विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको पूरे राज्य की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों से आपको अवगत होना चाहिए। हमारे विधायकों का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, ताकि जब आप विधान सभा में अपनी बात रखें, तो अपने विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के सर्वांगीण विकास और वहाँ के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय करने में आपका योगदान हो।

मंत्रिपरिषद का सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को भी अपने विभागों के साथ-साथ सरकार के सभी विभागों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब वे सदन में प्रश्नों का उत्तर दें अथवा चर्चा-संवाद का जवाब दें, तो व्यापक और वृहद् दृष्टिकोण से वे अपनी बात सदन में रखें।

कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों, या प्रतिपक्ष के हों, यदि सदन में सकारात्मक बात रखते हैं, तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके सकारात्मक सुझावों को अमल में लाने का काम करना चाहिए।

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब सदनों में गिरती हुई मर्यादा, शालीनता और गरिमा हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का संवैधानिक दायित्व होता है। मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि उनके अभिभाषणों के दौरान भी व्यवधान उत्पन्न

करने, सदनों में गतिरोध पैदा करने तथा अभिभाषण के बहिष्कार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह हमारा संसदीय आचरण उचित नहीं है। इससे हमारी सदनों की मर्यादाएँ कम हो रही हैं। हमें सदन की गरिमा एवं सर्वोच्च परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।

दलों की सत्ताएँ परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन सदनों की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी दलों का दायित्व है। इसके लिए सभी दलों को बैठकर अपने-अपने विधान मंडलों में व्यापक चर्चा और संवाद करके यह नीतिगत फैसला करना चाहिए कि किस तरीके से हम सदनों की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखें। किस प्रकार उच्चकोटि की चर्चा और संवाद हो, ताकि सर्वसम्मति से और सामूहिकता के साथ लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश विधान सभा में संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने के अवसर पर विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए

लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि नियोजित तरीके से सदनों में व्यवधान किया जाता है, गतिरोध उत्पन्न किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, तख्तियाँ दिखाई जाती हैं। सदनों में ऐसे नियोजित गतिरोध हमारी संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं।

मैं यह भी आग्रह करूँगा कि हमारे सदस्यों की कार्य क्षमता संवर्धन की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएँ। उसके लिए माननीय सदस्यों को सदनों की पुरानी डिबेट्स और चर्चाओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे सदन में वाद-विवाद की गुणवत्ता बढ़ेगी और जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

आज समय की माँग है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ एवं जनप्रतिनिधि अपने कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक माध्यमों का अधिकतम उपयोग करें और सोशल मीडिया के माध्यम से विधायिका के कामकाज की जानकारी जनता तक भी पहुँचाएँ। जनता को जब सदन के कामकाज के विषय में समुचित जानकारी रहेगी, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनका भरोसा और अधिक बढ़ेगा।

"सूचना प्रौद्योगिकी जनसंपर्क का एक सशक्त माध्यम है। इसके अधिकतम उपयोग से हमारे सदनों की चर्चा को जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है और उनके अच्छे सुझावों पर सदन में व्यापक चर्चा के माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।"

मैं मध्य प्रदेश विधान सभा की सराहना करता हूँ कि आपने पेपरलेस विधान सभा की दिशा में बेहतरीन काम किया है और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया है।

मुझे आशा है कि हम सब सामूहिकता के साथ एक स्वस्थ चर्चा-संवाद से इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ के लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए और यहाँ के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करेंगे, एक समृद्ध एवं विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प पूर्ण करेंगे।

13

अपार संभावनाओं की भूमि–उत्तर पूर्वी क्षेत्र*

"भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशाल पर्वतों का क्षेत्र है, विशाल नदियों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यह अत्यधिक भौगोलिक एवं जनजातीय विविधताओं का भी क्षेत्र है, जिसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कई चुनौतियाँ आ रही हैं।"

उगते सूरज की धरती, महान अरुणाचल प्रदेश की भूमि को नमन करता हूँ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन-3 का यह 18वां सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, यह बड़ा सुखद है। इस प्रदेश की विविधता, समृद्ध संस्कृति और मनोहारी सुंदरता देश-विदेश के लोगों का मन मोहती रही है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिक संयोजन अद्भुत है। यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताएँ, जनजातीय संस्कृति, यहाँ के लोगों की सरलता और कर्मठता देश को एक सकारात्मक संदेश देती है।

आज हम सब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र, जोन-3 के इस 18वें सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सामने अपने संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए चर्चा और विमर्श का यह सुअवसर है।

सीपीए की बैठकों में हमें अवसर मिलता है, जब विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों के प्रतिनिधिगण आपस में बैठते हैं तथा संसदीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए, संसदीय प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने के लिए आपस में चर्चा-संवाद करते हैं, नई तकनीक, नई विधाओं और नई सोच के साथ हम अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र हाल के समय में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गहन विचार विनिमय का केंद्र रहा है।

---

* राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन-3 के 18वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 12 मई, 2022

आपको स्मरण होगा कि अभी पिछले महीने सीपीए की कार्यकारिणी समिति की मध्य वर्षीय बैठक तथा 8वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन उत्तर पूर्व क्षेत्र में ही गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जिसमें देश-विदेश की विधान मंडलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

स्वतंत्रता के उपरांत हमारे देश की 75 वर्षों की यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित करना था, जो भारत की विविधता को प्रतिबिंबित करते हुए सबको साथ लेकर चले और सामूहिकता के साथ विकास के लिए कार्य करे।

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में अत्याधुनिक संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए

हमारे संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकरजी ने इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि हमें केवल राजनैतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश में राजनैतिक के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का भी प्रयास करना चाहिए।

आज हमारे लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और कानूनी परिस्थितियों का सृजन किया जाए, जो हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को शासन प्रक्रिया में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भाग लेने में समर्थ बनाए। संसद, विधान सभा अथवा पंचायत, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर निर्णय प्रक्रिया में जनता की

और अधिक सक्रिय भागीदारी किस प्रकार हो, हमारी संस्थाएँ जनता की समस्याओं के प्रति किस प्रकार और अधिक संवेदनशील हों, इस पर हमें विचार-मंथन करना होगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना हमारा दायित्व है।

आज सीपीए की जोन-3 की बैठक भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में आयोजित की जा रही है, जिसमें हम 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ और उनका समाधान' तथा 'आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति के संरक्षण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका' विषय पर गहन चर्चा व संवाद करेंगे, विचार मंथन करेंगे।

ये दोनों ही विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता से जोड़ने से संबंधित हैं, जनप्रतिनिधियों को प्रभावी बनाने से संबंधित हैं, इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशाल पर्वतों का क्षेत्र है, विशाल नदियों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यह अत्यधिक भौगोलिक एवं जनजातीय विविधताओं का भी क्षेत्र है, जिसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कई चुनौतियाँ आ रही हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में यहाँ भी विकास कार्य हुआ है, परंतु विभिन्न कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज भी कई गैप हैं, जिनको दूर किए जाने की आवश्यकता है।

राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र के राज्यों की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग रही है। यहाँ स्थित अधिकतर राज्यों तथा विधान सभाओं का गठन 5 दशक पहले हुआ है। यहाँ की विशिष्ट राजनीतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में विकास के लिए कठिन चुनौतियाँ रही हैं।

परंतु यदि नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, तो इसकी कई शक्तियाँ भी हैं जिनके आधार पर इन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही यहाँ के लोगों की कर्मठता, परिश्रम करने की क्षमता और प्रतिभा के बल पर चुनौतियों को हल किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी शक्तियों के आधार पर कार्य योजना बनानी होगी। कृषि क्षेत्र में आज पूरे विश्व में जैविक खेती एवं जैविक उत्पादों की डिमांड है। हमें जनता के साथ संवाद के द्वारा इन उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी होगी, ताकि हमारे उत्पाद पूरी दुनिया में निर्यात किए जाएँ।

इसके अतिरिक्त नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों के विशिष्ट हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जिनकी डिमांड पूरे विश्व में है। इन उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए इनकी मार्केटिंग की व्यापक कार्य योजना बननी चाहिए।

संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है। यहाँ के लोगों के अंदर अतिथि-सत्कार की परंपरा है। इसलिए यहाँ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई प्रदेशों के अंदर 90 प्रतिशत से अधिक साक्षरता है। यहाँ के मानव संसाधन की क्षमता का क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी उपयोग करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेष भूमिका है। इस क्षेत्र की विशिष्टताओं को देखते हुए हमारे संविधान में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था की गई है, जिनके पास स्थानीय स्वशासन के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं। ये जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, इसलिए ये जनता की जरूरतों के अनुसार, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार नीतियों का निर्माण कर सकती हैं, ताकि जनता का अधिकतम कल्याण हो और उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आए।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में जितना अधिक विचार मंथन होगा, उतना ही अधिक जनता के विचारों के अनुसार कार्य-योजना बनाते हुए इन चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं।

हमारी संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है, जिनको संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश के अंदर सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासन रहा, फिर भी वे हमारी संस्कृति, परंपराओं एवं जीवन-शैली को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति अत्यंत जीवंत और शक्तिशाली थी।

हमें विचार करना है कि हम किस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखते हुए जनभागीदारी और जन सहयोग से इस क्षेत्र के विकास की योजना बनाएँ, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनमें समृद्धि आए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद एवं आतंकवाद से प्रभावित रहा है। जितना हम राज्यों के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाएँगे, जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करेंगे, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार विकास की कार्य योजना बनाएँगे, उतना ही हम उग्रवाद एवं आतंकवाद को समाप्त कर पाएँगे।

आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थितियाँ बदल रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास किया जा रहा है। शासन में जनता की भागीदारी बढ़ रही है। आज सभी लोग यह मान रहे हैं कि उग्रवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है।

ऐसे में हमें यह मानना होगा कि शासन यदि नीति–निर्माण में जनता के विचारों को स्थान दें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करे, तो उनके अंदर असंतोष नहीं होगा। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दायित्व है कि वे जनता को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों पर अधिकतम चर्चा–संवाद करें, ताकि जनता की लोकतंत्र में आस्था और विश्वास और बढ़े।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन III के 18वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए

सीपीए ऐसा ही एक प्लेटफार्म है, जहाँ हम क्षेत्र के अंदर उपस्थित गंभीर विषयों पर गहन चर्चा–संवाद करते हैं और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने का काम करते हैं। यह सही है कि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र भौगोलिक एवं जनजातीय दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र है। परंतु यहाँ कई समानताएँ भी हैं। इसलिए यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य–योजना का निर्माण इन समानताओं एवं विषमताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का इंजन है। इसलिए भारत सरकार ने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत अवसंरचना विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का एकमात्र क्षेत्र है, जिसके समेकित विकास के लिए भारत सरकार ने विशेष मंत्रालय का गठन किया है। केंद्र सरकार ने अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के

माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सभी मंत्रालयों को निर्देश है कि वे अपने बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय करेंगे।

इसके परिणाम दिखने लगे हैं। पिछले वर्षों में नॉर्थ-ईस्ट में पावर, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, एयरपोर्ट, रेल, रोड, टेलीकॉम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। जैसे-जैसे यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आवागमन के साधन सुलभ होंगे, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ विकास होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा लोगों में समृद्धि आएगी। मुझे कोई संदेह नहीं कि पूर्वोत्तर भारत एक स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार पुन: अभिनंदन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि सीपीए की इस बैठक से नॉर्थ-ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि हम किस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का अधिकतम जनकल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

यह कॉन्फ्रेंस हमारी लोकतांत्रिक रीतियों और संसदीय नीतियों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के नए आयाम विकसित करे, मैं यही शुभकामनाएँ आप सबको देता हूँ।

14

त्वरित विकास के पथ पर अग्रसर मणिपुर*

"मणिपुर को मणियों की भूमि भी कहा जाता है। यह भारत का वह प्रदेश है, जो सुंदर है, शांत है और प्रकृति के उपहार से सजा है। मणिपुर असीम संभावनाओं की भूमि है। समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की भूमि है।"

भारत के अनूठे प्रदेश मणिपुर की विधान सभा के नवनिर्वाचित विधायक गणों के साथ यह भेंट और प्रबोधन कार्यक्रम अत्यंत सुखद है। आप लोग उस महान भूमि से आए हैं, जिसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। मणिपुर को मणियों की भूमि भी कहा जाता है। यह भारत का वह प्रदेश है, जो सुंदर है, शांत है और प्रकृति के उपहार से सजा है। मणिपुर असीम संभावनाओं की भूमि है। समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं की भूमि है।

माननीय विधायकगण, सबसे पहले मैं मणिपुर की 12वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपमें से 21 सदस्य नवनिर्वाचित हैं। शेष सदस्यों के पास पूर्व विधायी अनुभव है।

आपको मणिपुर की जनता का स्नेहपूर्ण जनादेश मिला है। अब यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता, विशेषकर समाज के कमजोर तबकों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए यथासंभव प्रयास करें। आप प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों को साकार करें, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएँ देता हूँ।

वर्ष 1972 में मणिपुर में पहली विधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। आपकी विधान सभा ने 50 सफल वर्ष पूरे किए हैं। मैं आपको मणिपुर राज्य विधान मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अगर हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखें

* मणिपुर विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 6 जून, 2022

तो मणिपुर भारत का एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन देश के विकास में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। मणिपुर दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

मणिपुर विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए

बीते 50 वर्षों में मणिपुर विधान सभा ने अपनी रीति और आचरण से देश की विधायी परंपरा को मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। अनेक जनहितकारी फैसलों और साझा सहमतियों से आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का काम इन वर्षों में मणिपुर विधान सभा द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ।

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश का शासन चलाने के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को चुना था।

देश की आजादी के समय दुनिया भर के राजनीतिज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाएगा। मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के मूल में थी। परस्पर सहयोग और सहमति से काम करना यहाँ लोगों के व्यवहार का हिस्सा रहा है।

आजादी के बाद के इन 75 सालों में हमने अपने व्यवहार-विचार से दुनिया भर के सामने यह साबित कर दिया कि हमारी शासन-पद्धति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आज दुनिया भी मानती है कि लोकतांत्रिक विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है।

हम ऐसे मानक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र फॉलो करें तथा भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा, इसका मान और अधिक बढ़े। इसके लिए सबसे जरूरी विषय जो हमें ध्यान में रखना है, वह है सदन में हमारा आचरण। सदन में हम जनप्रतिनिधियों का आचरण सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है। वर्ल्ड मीडिया में भी इसकी रिपोर्टिंग होती है। इन वर्षों में हमारे संसदीय दल ने यूएई, वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर सहित कई देशों की यात्रा की है। कई देशों के स्पीकर और डेलीगेशन भी भारत आए हैं। इन यात्राओं के दौरान अन्य देश भारत की संसदीय परंपराओं को लेकर उत्सुक रहे हैं, उन्होंने हमसे सीखा है।

"जनता और जनप्रतिनिधियों में डिजिटल लिटरेसी जितनी अधिक होगी, शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और आमजन का संबंध उतना ही घनिष्ठ और पारदर्शी संबंध होगा।"

इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शासन के निचले स्तरों, जैसे विकास परिषदों, पंचायतों, नगर-निकायों के प्रतिनिधि सदन पर भी हम जनप्रतिनिधियों के आचरण-अनुशासन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जनता में भी सीधा संदेश जाता है। जनता को भरोसा होता है कि उनके जनप्रतिनिधि सदन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सदन में अनुशासन और मर्यादा हमारे व्यवहार के अनिवार्य अंग होने चाहिए।

इसी के साथ मेरा मानना है कि हमें विधि निर्माण करते समय उसमें सभी पक्षों, सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जब सभी स्टेकहोल्डर्स की सहमति से कानून का निर्माण होता है, तभी लोकतंत्र अधिक स्वस्थ एवं पुष्ट होता है।

यदि हम महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कानून बनाएँ, तो जरूरी है कि उस पर चर्चा-संवाद में महिलाओं की प्रमुख भागीदारी हो। इसी तरह अगर हम रोजगार, खेल या शिक्षा पर विधान निर्माण करें, तो उसमें जरूरी है कि युवाओं का पक्ष जाना जाए। हम जो भी कानून बनाएँ, तो उसमें उस जनता और उस वर्ग का पक्ष जरूर सुना जाना चाहिए, जिनके लिए कानून का निर्माण हो रहा है।

जनप्रतिनिधि इसके लिए एक और महत्त्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सदन में जब कोई प्रस्ताव लाया जाए, तो हम अपने-अपने स्तर पर अपने क्षेत्रवासियों से उस पर संवाद करें। क्षेत्र के लोगों से उस बिल के ड्राफ्ट या प्रस्ताव पर राय जानें। इस तरह एक विधायक किसी बिल पर अपने क्षेत्र के हजार लोगों की राय भी जान लेते हैं, तो आपके सदन में 60 विधायकों के माध्यम से 60 हजार से अधिक लोगों की बात सीधे तौर पर पहुँच जाती है।

आप सोचकर देखिए कि इस तरह से जब कानून का निर्माण होगा, तो कितने बेहतर कानून का निर्माण होगा!

सदन के अंदर नियम प्रक्रियाओं में प्रावधान है कि आप जनहित के विषय सदन में प्रभावी तरीके से उठा सकते हैं। आप इन नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन करें, संविधान का अध्ययन करें, इससे आप एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में अपना कार्य कर पाएँगे। आप अपने सदन के पूर्व के वाद-विवाद का भी अध्ययन करें, ताकि राज्य के विविध विषयों पर आपकी जानकारी और समृद्ध हो।

जनता को विधायिका से जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बहुत कारगर हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस वर्ष केंद्रीय बजट पारित होने के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में बजट के हितधारकों, यानी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कर रहे हैं। बजट वेबिनार तकनीक के द्वारा सभी से संवाद किया जा रहा है। यह आमजन को लोकतंत्र में बराबर का भागीदार बनाने का अच्छा तरीका है।

दुनिया तेजी से बदल रही है। आज डिजिटल और ऑनलाइन तकनीकी का दौर है। ऐसे में जरूरी है कि हमारी विधायिका भी बदलती दुनिया के साथ अपडेट रहे। मणिपुर की विधान सभा ने कौन सा बिल पास किया, किन विषयों पर चर्चा की, बजट में क्या-क्या प्रावधान किए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जनता को जितनी सुगमता से दे सकेंगे, आमजन का लोकतंत्र पर भरोसा उतना ही मजबूत होगा। लोगों को सरल और सुगम व्यवस्था देने की प्रमुख जिम्मेदारी विधायिका की होती है। संसद ने पहल करके इन वर्षों में कई छोटे-मोटे गैर-जरूरी कानून निरस्त किए हैं, ताकि लोगों को आसानी हो।

मैं राज्य विधान सभाओं से भी आग्रह करूँगा कि वे भी अनावश्यक नियम-कानूनों को खत्म कर जनता के लिए सिंपल सिस्टम बनाने की दिशा में काम करें। आम नागरिकों को परेशान करने वाले बैरियर्स हटाने के लिए काम करें।

आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 'एक देश-एक विधायी प्लेटफॉर्म' अर्थात् e-vidhan की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत पूरे देश के विधान मंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है। यह एक ऐसा पोर्टल होगा, जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करेगा, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को परस्पर जोड़ने का कार्य भी करेगा।

हमारी विधायी व्यवस्था को डिजिटल और समरूप करने की दिशा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन भी एक उत्कृष्ट पहल है। वर्तमान में देश के करीब 20 प्रदेशों में यह व्यवस्था काम कर रही है।

मैं देख रहा हूँ कि मणिपुर विधान सभा में युवा और अनुभवी विधायकों का मिश्रण है। युवा और पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को चाहिए कि वे सदन के अनुभवी और वरिष्ठ विधायकों से उनके अनुभव का लाभ लें। नियम-कानून निर्माण की बारीकियाँ उनसे समझें। सदन का किस तरह जनता के हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए वरिष्ठ विधायक नए विधायकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

इसी के साथ आज जो तकनीकी विषय होते हैं, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के जो विषय हैं, उनको युवा पीढ़ी ज्यादा अच्छे से समझती है। ऐसे विषयों पर युवा विधायक वरिष्ठ विधायकों की हेल्प कर सकते हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों में डिजिटल लिटरेसी जितनी अधिक होगी, शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और आमजन का संबंध उतना ही घनिष्ठ और पारदर्शी संबंध होगा।

बीते कुछ वर्षों में भारत ने प्रगति की नई दिशा तय की है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में रोड ट्रांसपोर्ट, संचार, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में कामकाज हुआ है। आज पूर्वोत्तर भारत, शेष भारत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है। लोगों में शासन के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। इन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास की सहभागिता को गति मिली है। लोकतंत्र के प्रति लोग अधिक आस्थावान हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संवाद में बढ़ोतरी हुई है तथा

यहाँ स्थायी शांति के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता को जितना अधिक जोड़ेंगे, उग्रवाद का प्रभाव उतना ही कम होगा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना काफी हद तक इस दिशा में प्रभावी रही है। आज हम देखते हैं कि 'राष्ट्रीय बाँस मिशन' और 'जल जीवन मिशन' भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह विधान निर्माताओं के प्रयास और इच्छाशक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

"सामान्यत: यह आम धारणा रही है कि संस्कृति और विकास एक-दूसरे के सहयोगी नहीं हो सकते, मगर मेरा मानना है कि हमें विकास और संस्कृति दोनों को साथ-साथ लेकर चलना होगा। हमें संस्कृति के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा।"

सामान्यत: यह आम धारणा रही है कि संस्कृति और विकास एक-दूसरे के सहयोगी नहीं हो सकते, मगर मेरा मानना है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए न तो हम विकास से समझौता कर सकते हैं और न ही यहाँ की अद्भुत संस्कृति से। हमें विकास और संस्कृति दोनों को साथ-साथ लेकर चलना होगा। हमें संस्कृति के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा।

आजादी के बाद के इन 75 वर्षों में केंद्र और राज्यों ने अपने संयुक्त प्रयासों से लंबा रास्ता तय किया है। हमारी केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं ने समय के साथ-साथ अपने आप को बदला है।

आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब मैं कहूँगा कि अभी हमें मीलों का सफर तय करना है। विकास को हर क्षेत्र में कुछ लोगों की बजाय शत-प्रतिशत लोगों तक लेकर जाना है। जो सुधार अभी बाकी रह गए हैं, उन्हें संपूर्ण बनाने की दिशा में हमें सामूहिकता के साथ काम करना है।

मणिपुर विधान सभा के आप निष्ठावान विधायक पूरी क्षमता से प्रदेश और देश के लिए काम करें। जो लाखों लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप उनकी उम्मीदों को पूरा करें। मैं इसके लिए आपको अनेक शुभकामनाएँ देता हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि मणिपुर विधान सभा अनुशासन और परस्पर सहभागिता के साथ कार्य करते हुए देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगी। वंचित और आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

दो

शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे

15

ज्ञान और अनुभव के पुंज हमारे वरिष्ठ नागरिक*

"भारत की ताकत यहाँ की संयुक्त परिवार प्रणाली, एक-दूसरे के लिए प्यार, भाईचारा और स्नेह है। 'मिल-जुलकर रहना और एक-दूसरे का ख्याल रखना' ही परिवारों को एक-साथ जोड़कर रखने का आधार है।"

आज रोटरी क्लब द्वारा आयोजित विशिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह में आपके बीच आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आप सभी के राष्ट्र-निर्माण में अपने-अपने स्तर से योगदान करने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने जिन परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति को अपना जीवन-मंत्र बनाया है, वास्तव में यह भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। आप ज्ञान और अनुभव के ऐसे पुंज हैं, जिनसे हमें जानकारी और निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है।

मेरे शहर कोटा में रोटरी क्लब समाज सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणी और समर्पित संगठन है। आप सब रोटेरियन ने कोरोना के कठिन काल में कोटा के लोगों की विशेष सेवा की है। चाहे वह सैनेटाइजर, मास्क, फूड पैकेट जैसी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराना हो या जनजागृति रैली निकालनी हो। जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाना हो या कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन करना हो, आप सबने बढ़-चढ़कर सेवा का व्रत लिया है।

रोटरी क्लब से लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन भी हैं, जिन्हें नि:शुल्क सहायता उपकरण दिए गए हैं। अभी जनवरी में ही मैंने दो संबल रथों को हरी झंडी दिखाई थी, जिन्होंने कोटा-बूँदी संभाग में प्रत्येक दिव्यांग का पंजीकरण किया था। आपकी यह सेवा अत्यंत सराहनीय है और अन्य संस्थाओं के लिए अनुकरणीय भी है।

---

* वरिष्ठजन दिवस पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम, कोटा, राजस्थान, 21 अगस्त, 2021

आज के इस समय में भारत में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं सम्मान बहुत प्रासंगिक है। विश्व में आठ वरिष्ठ नागरिकों में से एक भारत में रहता है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग साढ़े 10 करोड़ है और अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी।

हमारे 70 प्रतिशत से अधिक वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी के बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में पलायन करने या काम की तलाश में दूसरी जगह जाने के कारण बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याएँ और गंभीर हो गई हैं। उन्हें उपेक्षा, भेदभाव, बेदखली, अकेलापन और दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में बुजुर्गों की कुल जनसंख्या में से 70 प्रतिशत, अर्थात् लगभग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों की आय इतनी कम है और वे इतने निर्धन हैं कि अपनी वृद्धावस्था के लिए बिल्कुल भी बचत नहीं कर पाते हैं। उनके पास मौजूद संसाधन उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में ही समाप्त हो जाते हैं।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों से अपनी वृद्धावस्था के लिए लंबे समय वाली बचत योजनाओं में बचत करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों में गरीबी बढ़ रही है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सरकार से उन्हें जो पेंशन मिलती है, वह बहुत कम है। हालाँकि, हाल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना लागू होने से बड़े पैमाने पर इस समस्या का समाधान हुआ है, परंतु अभी भी इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों को व्यापक रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा यह मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों में भी हमें बुजुर्ग महिलाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्ग, जाति, नि:शक्तता, निरक्षरता, बेरोजगारी और वैवाहिक स्थिति के आधार पर होने वाले सामाजिक भेदभाव के कारण समस्याएँ जटिल हो जाती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, अर्थात् वृद्धावस्था में सरकारी सहायता के अधिकार के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।

संविधान द्वारा समानता के अधिकार की गारंटी एक मूल अधिकार के रूप में दी गई है। सामाजिक सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकार—दोनों की जिम्मेदारी होती है ।

भारत में ज्यादातर लोगों की उम्र 30 साल से कम है, इस कारण से यहाँ बुजुर्गों की समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु हमें यह ध्यान में रखना है कि एक अंतराल के बाद ये युवा प्रौढ़ बनेंगे। अत: हमें अभी से उनकी देखभाल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाएँ तैयार किए जाने की भी आवश्यकता है।

यह सच है कि राष्ट्र का तीव्र विकास सुनिश्चित करने एवं डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के उद्देश्य से हम मुख्य रूप से बच्चों, युवाओं तथा उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। परंतु हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों का भी उतना ही ध्यान रखना है।

भारत की ताकत यहाँ की संयुक्त परिवार प्रणाली, एक-दूसरे के लिए प्यार, भाईचारा और स्नेह है। 'मिल-जुलकर रहना और एक-दूसरे का ख्याल रखना' ही परिवारों को एक साथ जोड़कर रखने का आधार है। संयुक्त परिवार बुजुर्गों के लिए एक पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करते रहे हैं। परंतु सामाजिक और आर्थिक परिवेश में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण लोग शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार के अवसरों की खोज करने और विवाह के कारण भी बहुत से संयुक्त परिवार धीरे-धीरे टूटते जा रहे हैं और वे एकल परिवार में बदल रहे हैं, जिसके कारण एवं परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ते अलगाव के कारण बुजुर्गों को भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

अब सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और बुजुर्ग तेजी से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनके कल्याण और सम्मान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही सच्चाई है और इसे बदलने के लिए हमें नैतिक रूप से ठोस कदम उठाने होंगे एवं ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें बुजुर्गों का सम्मान हो, उन्हें आदर मिले।

केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर नीति-निर्माताओं तथा प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसाइटी का ध्यान इस ओर गया है। हमें किफायती स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, व्यक्तिगत सुरक्षा, दुर्व्यवहार से बचाव, बहुउद्देशीय डे केयर केंद्रों की स्थापना, वृद्धजन-गृहों की व्यवस्था, अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए वार्डों की व्यवस्था और परित्यक्तों के लिए आश्रयों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 पारित किया गया है, जिसे और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही हमारे अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। इस संबंध में 'आयुष्मान भारत योजना' एक प्रभावी योजना है, जो बुजुर्गों को किफायती दरों पर इलाज उपलब्ध कराती है।

यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने बुजुर्गों को अपेक्षित शारीरिक, वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करें। बुजुर्गों का जीवन आरामदेह और सम्मानजनक होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि वे सक्रिय रहें और किसी-न-किसी काम से जुड़े रहें। रिटायरमेंट के बाद काम करने के इच्छुक लोगों को काम के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह बुजुर्गों को बढ़ती उम्र में भी सक्रिय और उत्पादक बनाए रखने का सुनिश्चित तरीका है।

भारत तेजी से आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारी गिनती तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में होती है। यह प्रगति समावेशी होनी चाहिए। विकास के बारे में गांधी जी का विचार 'अंत्योदय के द्वारा सर्वोदय' का था।

आगे चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता भी इस विचार से प्रभावित हुए और यह विचार आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक तथा महत्त्वपूर्ण हो गया है। अंत्योदय का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान है और सर्वोदय का व्यापक अर्थ सभी का विकास करना है। एक बार जब अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाता है, तो सरकार को सामाजिक सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ सरकार और अधिक सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करेगी ।

हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर गर्व होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बुजुर्गों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल में हमेशा वृद्धि होती रहती है एवं उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। हमने हमेशा अपने बुजुर्गों को समाज में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक स्थान दिया है।

मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने माता-पिता का ध्यान रखें; क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि एक दिन सभी बूढ़े होते हैं। अपने माता-पिता, अपने बुजुर्गों की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी संस्कृति, मूल्य और परंपरा पर हमें गर्व है।

इसे कानून बनाकर लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि विचारों में परिवर्तन लाकर बदला जा सकता है और इसी से अपने बुजुर्गों की देखभाल करने की हमारी यह परंपरा हमेशा बनी रहेगी ।

16

ग्राम्य जीवन में समृद्धि का स्रोत : गोवंश*

**"गौमाता हमारे सांस्कृतिक जीवन का,
हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रही है।
हम इनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते।"**

आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपने नगर कोटा में आप सभी गौ- सेवकों के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आप सभी महानुभावों को विजयादशमी-दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरी कामना है कि भगवान श्रीराम और माँ दुर्गा आपका एवं आपके प्रियजनों का कल्याण करें, आपके सभी कार्य सिद्ध करें।

आज बहुत शुभ अवसर है, जब दशहरा के पावन पर्व के दिन गौमाता की सेवा एवं उनकी देखभाल के लिए समर्पित सेवकों द्वारा बनाई गई गौशाला 'कृष्ण नंदिनी गौशाला' का शुभारंभ हो रहा है। कोटा नगर वैसे भी अपनी सेवा और सत्कार के लिए जाना जाता है। इसलिए यहाँ इस प्रकार के सेवा-स्थल का निर्माण स्वाभाविक ही है।

गौमाता हमारे सांस्कृतिक जीवन का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रही है। हम इनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। गौ वंश का हमारे लिए क्या महत्त्व है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इन्हें माता का दर्जा दिया है। हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। गौमाता भारतीय संस्कृति की आत्मा है।

आज संपूर्ण विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। पूरा विश्व इस बात को मान गया है कि मानव जाति तभी आगे बढ़ सकती है, जब हमारी विकास प्रक्रिया में प्रकृति को साथ लेकर चला जाए। हमारे सतत विकास के लिए बायो डायवर्सिटी को बनाए रखना, उसे और समृद्ध बनाना अत्यंत आवश्यक है।

---

* कृष्ण नंदिनी गौशाला के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, कोटा, राजस्थान, 15 अक्तूबर, 2021

परंतु हमारी संस्कृति में प्रकृति के महत्त्व को हजारों वर्ष पूर्व ही मान लिया गया था। यही कारण है कि हमारी जीवन-पद्धति प्रकृति के साथ हार्मनी में है। ग्रामीण इलाकों में आज भी गौमाता हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे शास्त्रों में गौमाता का 'कामधेनु' के रूप में उल्लेख किया गया है। भगवान श्रीकृष्ण का गायों के प्रति प्रेम सर्व विदित है।

गाय हमारी सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली है। वे मात्र पोषण का स्रोत नहीं होतीं, बल्कि ईंधन, कृषि, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य का भी स्रोत होती हैं। उनसे मिलने वाला प्रत्येक पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को गायों की संख्या के अनुसार देखा जाता है।

आज से हजारों वर्ष पहले महान विद्वान पाणिनि ने कहा था कि हमारा देश इसलिए समृद्ध है, क्योंकि यहाँ गाय अधिक हैं। गौ के राष्ट्रीय महत्त्व को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि उनके लिए ऐसे स्वराज का कोई अर्थ नहीं, जहाँ गायों को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाए। बापू गौमाता को प्रकृति की अनुपम देन मानते थे। उनके लिए गाय हमारी सृष्टि का सबसे पवित्र जीव है। वे मानते थे कि गौ के रूप में हमारे धर्म ने विश्व को एक अद्‌भुत उपहार दिया है। मानव जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ माता का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है।

आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है कि आपने कोटा में गौसेवा के उद्‌देश्य से कृष्ण नंदिनी गौशाला आरंभ करने का कार्य किया है। इस गौशाला के समुचित प्रबंधन के लिए सभी निवासियों को सामूहिक रूप से काम करना होगा। आपको मुझसे कोई भी सहयोग चाहिए, उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ।

मुझे विश्वास है कि इस गौशाला के माध्यम से हमारे नगर में गौ माता की सेवा के पुनीत कार्य में अधिक-से-अधिक लोग जुड़ेंगे।

साथियो, गौ, गंगा और गायत्री मंत्र हमारी सभ्यता के मूलाधार हैं, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान हैं। इन पर ही हमारा अस्तित्व निर्भर करता है। इन सभी की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। इस पुनीत कार्य को आरंभ करने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।

17

विकास का माध्यम तकनीकी शिक्षा*

"आज का भारत एक नया भारत है, नई सोच वाला भारत है। आज हमारी जरूरतें, हमारी एस्पिरेशंस बदल गई हैं। हम एक ऐसा विकास चाहते हैं, जिसमें सभी भागीदार हों और जिसका लाभ सभी को मिले। यह सबके प्रयास और सबके विश्वास का भारत है।"

आईआईआईटी, कोटा अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। आठ वर्ष पहले 26 छात्रों से इसकी शुरुआत हुई थी और आज आपके यहाँ 620 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

आपने अब बी.टेक. के साथ एम.टेक. एवं पीएच.डी. की पढ़ाई भी आरंभ की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साईंस जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज भी आरंभ किए हैं। इससे पता चलता है कि यह संस्थान तेजी से उन्नति कर रहा है एवं छात्रों में लोकप्रिय भी हो रहा है।

इस संस्थान से मेरे नगर कोटा का नाम जुड़ा है। कोटा नगर वस्तुत: शिक्षा की काशी है, जहाँ उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से देश के नवनिर्माण के लिए मानव संसाधन तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में तो यह संस्थान एमएनआईटी, जयपुर से चलाया जा रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इसका अपना सर्व सुविधा युक्त कैंपस तैयार हो जाएगा और आईआईआईटी को कोटा स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आप एक ऐसे महान देश के नागरिक हैं, प्राचीन सभ्यता-संस्कृति के वाहक हैं, जो हजारों वर्षों से अपने ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के लिए जाना जाता रहा है। आपका दायित्व उस महान सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाना है, देश का पुनर्निर्माण करना है।

---

* आई.आई.आई.टी., कोटा के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 30 अक्तूबर, 2021

आज आपके जीवन का एक यादगार दिन है। आप अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त करके जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के दिशा-निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आपको यहाँ से निकलकर अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव लाने वाला स्टार्ट अप भी बनना है।

आप यहाँ से निकलकर अपने कॅरियर का मार्ग चुनेंगे। आपके सामने कई सवाल भी आएँगे, कई विषय आपके सामने उपस्थित होंगे। उस समय आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मशक्ति और आपका सामर्थ्य ही आपको सही मार्ग दिखाएगा।

यहाँ पर आपके शिक्षक हर समय आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर रहे थे, परंतु अब आप जिस युग में जा रहे हैं, वहाँ आपका शिक्षक जीवन स्वयं होगा, वही आपको शिक्षा देगा, अनुभव देगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा।

आज का विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है। प्रौद्योगिकी इस परिवर्तन का कारण तथा परिणाम भी है। एक टेक्नोक्रेट के रूप में आपका दायित्व है कि आप अपने देश को या अपनी कंपनी को हर परिवर्तन के लिए तैयार रखें। इसके लिए आपको नई विधाओं, नए विचारों और नए व्यवहारों के साथ कार्य करना होगा, अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग करना होगा।

आप कहीं भी काम करें, देश में करें या विदेश में करें, आपको अपनी मातृभूमि, अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। अपने कार्यों में आप इसका विचार रखें कि कैसे आपका काम, आपका इनोवेशन, आपका रिसर्च आपके देश की मदद कर सकता है, आपके देश को मजबूत बना सकता है।

आज का भारत एक नया भारत है, नई सोच वाला भारत है। आज हमारी जरूरतें, हमारी एस्पिरेशंस बदल गई हैं। हम एक ऐसा विकास चाहते हैं, जिसमें सभी भागीदार हों और जिसका लाभ सभी को मिले। यह सबके प्रयास और सबके विश्वास का भारत है। आप इसी नए भारत के अग्रदूत हैं।

आप जिस संस्थान के विद्यार्थी हैं, वह संस्थान इसी नए सोच का परिणाम है। हमारे आईआईआईटीज की स्थापना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाया जा सके, भारत को विश्व का आईटी हब बनाया जा सके। इस सोच को अब हम आकृति दे रहे हैं।

आज देश हर क्षेत्र के पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए नए तौर-तरीकों से काम कर रहा है। यदि आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको अपने काम की क्वालिटी, रिलायबिलिटी तथा एक्सेसिबिलिटी, तीनों का ध्यान रखना होगा।

कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें सिखाया है कि एक कनेक्टेड एवं इंटरडिपेंडेंट विश्व में भी आत्मनिर्भरता आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भरता का विजन एक व्यापक विजन है, जिसमें देश को प्रोडक्शन, इनफोर्मेशन, इनोवेशन तथा कम्युनिकेशन का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। आपको इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आपकी सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के देश के सपने को एक नई गति दे सकती है।

देश में जो नए प्रयास किए जा रहे हैं, आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन के लिए जो कार्यनीतियाँ बनाई जा रही हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा देंगी और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के समान अवसर देंगी। इस कार्यनीति की सफलता में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

एक उद्यमी, रोजगार देने वाले के रूप में आपकी क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए देश में कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ बनाई गई हैं, ताकि आपकी प्रतिभा का राष्ट्र-निर्माण के लिए उपयोग किया जा सके।

आज का युवा नौकरियाँ खोजने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आगे आए। आपके पास वर्तमान के साथ ही भविष्य के भारत का निर्माण करने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

देश-विदेश में आपके लिए अपार संभावनाएँ हैं, तो कई चुनौतियाँ भी हैं, जिसके समाधान आप ही दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सतत विकास जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए आपके नवाचारों की आवश्यकता है। आप सभी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। आपके रिसर्च एवं इनोवेशन में देश के लिए, देशवासियों के लिए, किसानों के लिए, हमारे गाँवों के लिए अपार संभावनाएँ हैं।

आज देश को आप जैसी बौद्धिक संपदा मिल रही है। आपने अपने परिश्रम से जो इस संस्थान में सीखा है और राष्ट्र-निर्माण के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, उस मंजिल के लिए, नई यात्रा के लिए भी शुभकामनाएँ।

हमारा हर काम राष्ट्र के नाम हो, इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आप अपने कौशल और अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे।

आपका ज्ञान, आपकी विशेषज्ञता, आपका सामर्थ्य देश के काम आए, इसी विश्वास के साथ फिर से आप सभी को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके माता-पिता की आशा-अपेक्षाओं के अनुकूल आपके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हो, आपके गुरुजनों ने जो आपको शिक्षा-दीक्षा दी है, वह निरंतर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे।

18

संस्कृति पर्व–कपिलवस्तु महोत्सव*

"हमारे देश को 'बुद्ध की भूमि' भी कहा जाता है। हमारे यहाँ लगभग 2500 से 2600 साल पुरानी बौद्ध विरासत मौजूद है, जिनमें से कई पुरातात्त्विक स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं और सिद्धार्थनगर जिले में ही मौजूद हैं।"

हमारे देश को 'बुद्ध की भूमि' भी कहा जाता है। हमारे यहाँ लगभग 2500 से 2600 साल पुरानी बौद्ध विरासत मौजूद है, जिनमें से कई पुरातात्त्विक स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं और सिद्धार्थनगर जिले में ही मौजूद हैं। इस जिले का नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया है—जो भगवान बुद्ध का ज्ञान-प्राप्ति से पहले का नाम था। इस क्षेत्र में मौजूद कपिलवस्तु नगर का नाम कपिल ऋषि के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ ध्यान किया था, और यहीं युवा सिद्धार्थ ने अपने जीवन के शुरुआती 29 वर्ष बिताए थे, उसके पश्चात् 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।

तथागत ने समस्त मानवजाति के कल्याण के लिए शांति, अहिंसा और करुणा के गुणों का प्रचार-प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसे भगवान तथागत के सम्मान में इस स्थान पर हर वर्ष मनाए जा रहे इस उत्सव की परंपरा को जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का उत्साह और इस दिशा में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। मुझे यह बताया गया है कि वर्ष 1988 में सिद्धार्थनगर जिला बनाया गया और संबंधित विधान सभा का नाम कपिलस्तु विधान सभा रखा गया। तभी से यह उत्सव मनाया जा रहा है।

इसके अलावा मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रगतिशील भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल का उत्सव मनाने की भारत सरकार की वर्तमान पहल 'आजादी

---

* 'कपिलवस्तु महोत्सव', में संबोधन, कपिलवस्तु, उत्तर प्रदेश, 23 नवंबर, 2021

का अमृत महोत्सव' को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने इस महोत्सव को बहुत ही सूझबूझ से इस पूरे उत्सव की अवधारणा और योजना के साथ जोड़ा है।

मुझे आशा है कि जैसी परिकल्पना की गई है, इस पर्व से निश्चित रूप से लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उनकी आशाएँ एवं आकांक्षाएँ सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि वे भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में और अधिक मनोयोग एवं सक्रियता से जुड़ सकेंगे।

यदि मैं उत्तर प्रदेश राज्य की इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों और चालू वर्ष के दौरान मनाए गए पर्वों व उत्सवों को स्मरण करूँ, तो यह साफ पता चलता है कि इनका उद्देश्य राज्य के किसानों के हितों को आगे बढ़ाना रहा है। राज्य भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान और लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद योजना' के भाग के रूप में मुख्यत: चुनिंदा उत्पादों का संवर्धन, विपणन और ब्रैंडिंग कर इस मार्ग पर सफलतापूर्वक अग्रसर हुआ है।

"'कपिलवस्तु' का बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्त्व है। इस उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन योजना' और 'प्रसाद योजना' के अंतर्गत इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में बौद्ध सर्किट स्थापित करने के लिए धनराशि जारी की है।"

वस्तुत: इन उत्पादों को बढ़ावा देने से किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस सूची में इस वर्ष के आरंभ में झाँसी में आयोजित 'स्ट्राबेरी फेस्टिबल' तथा मार्च 2021 में लखनऊ में आयोजित 'गुड़ फेस्टिवल' और सिद्धार्थनगर में आयोजित 'काला नमक राइस फेस्टिवल' शामिल हैं। मैं इस मंच का उपयोग उन नए प्रयोगों का उल्लेख करने के लिए करना चाहता हूँ, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे किसानों ने कृषिक्षेत्र में शुरू कर संभावनाओं के नए क्षितिज बना दिए हैं।

इस सूखी भूमि पर स्ट्राबेरी की खेती करने का विचार पहले कभी नहीं आया। जबकि आज यह एक वास्तविकता है और इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की मृदा होने के कारण यह संभव हो पाया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, स्ट्राबेरी फेस्टिवल के माध्यम से राज्य ने इस संकल्पना को साकार किया है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि ये उल्लेखनीय माइलस्टोन और उपलब्धियाँ अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं।

जहाँ तक काला नमक चावल का संबंध है, मैं इस चावल की किस्म के इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानकर आश्चर्यचकित हूँ। भारत के उच्च गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल के रूप में प्रसिद्ध इस चावल के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे सिद्धार्थ ने लोगों को प्रसाद के रूप में दिया था और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 'इस चावल में एक विशिष्ट सुगंध होगी, जिससे लोग उन्हें सदैव याद रखेंगे।' आवश्यक पोषक तत्त्वों से भरपूर चावल की इस किस्म के अद्‌भुत स्वास्थ्य लाभ हैं। इसलिए एक प्रकार से इस चावल की सुगंध को भगवान बुद्ध का आशीर्वाद माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने यह भी कहा था कि यदि चावल की इस किस्म को कहीं और बोया जाए, तो इसकी सुगंध और गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी।

जहाँ इस फसल को सर्वप्रथम उगाया गया था, उस बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और इस फसल को बनाए रखने के लिए वर्ष 2013 में इस किस्म को जी.आई. का टैग दिया गया। इस पर केंद्रित शोध और प्रौद्योगिकीय पहलों के माध्यम से राज्य ने चावल की इस किस्म की उपज और गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं।

'कपिलवस्तु' का बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्त्व है। इस उद्‌देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन योजना' और 'प्रसाद योजना' के अंतर्गत इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में बौद्ध सर्किट स्थापित करने के लिए धनराशि जारी की है। इस क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने जिले में विश्वविद्यालय और संग्रहालय की स्थापना जैसी विकासात्मक पहल की है।

सिद्धार्थनगर जिले के पुरातात्त्विक स्थलों से खुदाई के पश्चात् मिले बौद्ध काल के अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है और प्रदर्शित किया गया है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि इस क्षेत्र तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने सहित जिले में अनेक अन्य पहलों पर कार्य जारी है। मुझे आशा है, निस्संदेह इस क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल होगा।

कपिलवस्तु महोत्सव 2021 के सांस्कृतिक, साहित्यिक और मनोरंजक कार्यक्रमों में कई प्रकार के सूचनाप्रद और प्रेरणादायी कार्यक्रम तथा वर्कशॉप शामिल हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन समारोहों में लगभग सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेंगे। इस महोत्सव में विशेष तौर पर स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम भी हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान कर रहे हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस समय को ध्यान में रखते हुए और देश के हर हिस्से तथा जनसंख्या के हर आयु वर्ग एवं तबकों की सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच

को देखते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकों ने ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फिल्म-निर्माण, ऑनलाइन मीडिया सामग्री सृजन, प्रश्नोत्तरी आदि जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा तथा हिस्सेदारी के लिए समुचित योजना बनाकर ऑनलाइन एंट्री की व्यवस्था की है। इससे देश के अलग-अलग हिस्से के लोग भागीदारी कर सकेंगे, साथ ही नवीन विचारों की उत्पत्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

इस समारोह के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान से लोग लाभान्वित होंगे और उन्हें एक समाज के रूप में फलने-फूलने का अवसर मिलेगा तथा उभरती प्रतिभाओं के संवर्धन का मार्ग मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि विभिन्न सरकारी विभागीय जोन्स के आकर्षक स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक होने का अवसर मिलेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन मेलों और उत्सवों के माध्यम से कॉमर्शियल जोन स्टॉल की प्रतिभागी व्यावसायिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा और वहाँ जाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूँ।

19

रोजगारपरक शिक्षा में सहायक तकनीकी शिक्षा*

"युवा देश की सबसे महत्त्वपूर्ण संपत्ति हैं। ये देश की शक्ति, जीवंतता और ओजस्विता के प्रतीक हैं, स्वर्णिम भविष्य की आशा हैं। इनके सामर्थ्य, ऊर्जा और उत्साह को राष्ट्र-निर्माण और जनकल्याण के लिए उपयोग करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

किसी भी शिक्षण संस्थान में जाना हमेशा एक अद्‌भुत एवं सुखद अनुभव रहता है। ये एक अवसर होता है युवा साथियों से अपने विचार साझा करने का व उनके विचारों से अवगत होने का। आप विद्यार्थीगण हमारे देश के कर्णधार हैं, देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं। हमारे राष्ट्र निर्माताओं का देश के विकास के लिए जो विजन था, उन्होंने जो सपने देखे थे, उस विजन को और उन सपनों को पूरा करने का दायित्व हमारे युवा साथियों के कंधों पर ही है।

आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी संस्था का नाम महाराजा अग्रसेन जैसे महापुरुष के नाम पर है, जो त्याग, करुणा, अहिंसा, शांति, समृद्धि और समता के लिए जाने जाते हैं। वे न सिर्फ एक श्रेष्ठ शासक थे, बल्कि एक उत्कृष्ट प्रशासक भी थे। उनका जीवन ही उनका संदेश था। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उनके जीवन का, उनके दर्शन का, उनके विचारों का गहन अध्ययन करें और उनके मानवीय मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएँ।

महाराजा अग्रसेन सोसाइटी द्वारा बुनियादी और व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में दी जा रही बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य को और उज्ज्वल बना रहे हैं।

---

* महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

आप एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, जिसका शिक्षा, विज्ञान, अध्यात्म और कला जैसे क्षेत्रों में अमूल्य योगदान रहा है। लोकतंत्र का जन्म भी हमारे देश में ही हुआ है। नया करने की, नया सोचने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। आपको भी अपने जीवन में इसी प्रवृत्ति को अपनाना है।

हमारा देश एक विकासशील देश है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो, एक ऐसे समाज का निर्माण हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का अधिकार हो और उसके लिए उस व्यक्ति के पास पर्याप्त अवसर हों।

हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब हमारी युवा पीढ़ी को उच्च कोटि की शिक्षा मिले और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, तो हमारे युवा समर्पित भाव से, संकल्पित होकर राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रयासरत हों।

महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान में मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए

देश के अंदर निर्धनता, निरक्षरता, पिछड़ेपन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए समग्र राष्ट्र को एकजुट और प्रतिबद्ध होना आवश्यक है, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक विकसित, समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकें। राष्ट्र-निर्माण के इस पुनीत कार्य में आप सभी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

हमारे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। देश में तेजी से सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके केंद्र में शिक्षा

और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अद्‌भुत समन्वयन है। इन बदलावों के परिणाम भी दिखने लगे हैं। पिछले वर्षों में सरकार के प्रयासों से स्टार्ट अप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, हमारा देश यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान पर है।

आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन-शैली को और कार्य-शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। आप युवा हैं और समाज में आए इस परिवर्तन को बेहतर तरीके से समझते हैं। आपके विचारों में ऊर्जा है, आप नई सोच रखते हैं और आप समाज को नई दिशा दे सकते हैं।

महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के वार्षिक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए

आज मानव समुदाय के समक्ष महामारी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य जैसी कई वैश्विक समस्याएँ भी हैं, जिनका समाधान हमारे साझे भविष्य के लिए आवश्यक है। आपका दायित्व है कि आप इन समस्याओं का ऐसा समाधान लाएँ, जो जनता के लिए सरल हो और सुगम हो। इसके लिए आपको इनोवेशन करने होंगे और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा।

हमारी सरकार ने इन सॉल्यूशंस का मार्ग आसान बनाने के लिए स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास तो किया है, पर यह आपका दायित्व है, और आपको मंथन करना है कि आप किस प्रकार इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आपको निश्चित रूप से यह समझना होगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल उसी दशा में होगा, जब हमारा देश एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में सामने आएगा।

लोकतंत्र सही अर्थों में उसी दशा में आ सकता है, जब एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो। नागरिक और प्रशासन जब सामूहिक रूप से समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, तभी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है।

महाराजा अग्रसेन जी ने इस सत्य को मानते हुए अपने राज्य को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया था और आज के आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य भी यही है।

अंत में मैं यहाँ उपस्थित अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि युवा देश की सबसे महत्त्वपूर्ण संपत्ति हैं। ये देश की शक्ति, जीवंतता और ओजस्विता के प्रतीक हैं, स्वर्णिम भविष्य की आशा हैं। इनके सामर्थ्य, ऊर्जा और उत्साह को राष्ट्र-निर्माण और जनकल्याण के लिए उपयोग करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

शैक्षणिक संस्थानों का भी दायित्व है कि वे उन्हें न सिर्फ शैक्षणिक रूप से समर्थ बनाएँ, बल्कि सामाजिक तौर पर उपयोगी भी बनाएँ।

मैं आशा करता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जैसे मनीषी के नाम पर बना यह संस्थान प्रतिबद्ध, जिम्मेदार, अनुशासित, ईमानदार और सामाजिक रूप से संवेदनशील नागरिकों का निर्माण करता रहेगा, ताकि हमारे राष्ट्र की उन्नति को और गति मिल सके।

20

नवभारत निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका*

"मरुधरा के लोग अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर नवाचार करते हैं, काम-धंधों को विस्तार देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं तथा 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करते हैं।"

विश्व में आज सूरत नगर को सभी जानते हैं, क्योंकि विश्व के कुल डायमंड तथा कीमती स्टोन्स के 90 प्रतिशत की पॉलिशिंग एवं फिनिशिंग का काम इसी नगर में होता है। इसलिए एक प्रकार से आपका नगर 'विश्व का ज्वेलरी कैपिटल' है।

आज सूरत की जो पहचान है, उसे दिलाने में विभिन्न राज्यों से आने वाले कारीगरों तथा उद्यमियों की भूमिका है। आप सभी देश के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ आए और अपनी प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर सफलता अर्जित की।

मेरे प्रदेश राजस्थान से भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और अपनी मेहनत तथा योग्यता के कारण सफल हुए। राजस्थान के समाज की यही विशेषता है—हम जहाँ भी जाते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। हमने देश के अन्य हिस्सों की संस्कृतियों से सीखा भी है और उन्हें समृद्ध भी किया है। अपने परिश्रम से हमने प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध की है।

देश का ऐसा कोई राज्य और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा, जहाँ हमें राजस्थानी भाई-बंधु नहीं मिलें! कोई भी जगह हो, कोई भी देश-प्रदेश हो, हमें कोई-न-कोई राजस्थानी भाई जरूर मिल जाते हैं और मैंने देखा है कि जो कोई राज्य व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, अर्थव्यवस्था में उन्नति करता है, उसमें राजस्थान के बंधु-बांधवों की भी भूमिका जरूर रहती है।

---

* सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में संबोधन, सूरत, गुजरात, 17 अप्रैल, 2022

मरुधरा के लोग अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर नवाचार करते हैं, काम-धंधों को विस्तार देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं तथा 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करते हैं।

इस नगर में विकास एवं उन्नति के इतने अवसर उपलब्ध हैं कि इसने राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से परिश्रमी एवं प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया है और उन्हें फलने-फूलने का अनुकूल अवसर दिया है। इसके लिए यहाँ के प्रशासन तथा नागरिकों की भी सराहना की जानी चाहिए।

मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सिंधी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। सिंधी लोगों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ रही हैं। मात्र व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्होंने देश में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्री ओम बिरला सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जनसमूह को संबोधित करते हुए

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का ऐसा विजन था कि एक ऐसे देश का निर्माण हो, जहाँ सभी के बीच समानता हो, समान अवसर हों, समान अधिकार हों, समान कर्तव्य हों और भारतीयता की भावना सबके अंदर समान रूप से विद्यमान हो।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' की भावना से काम किया है और देश को सभी क्षेत्रों में आगे ले जाने का काम किया है।

यही कारण है कि वैश्विक महामारी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद हमारा देश आर्थिक-सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में आर्थिक कठिनाइयाँ रही हैं।

यह सब केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों से ही संभव हो पाया है। परंतु किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक संगठन जनता के साथ अधिक निकट संपर्क में होते हैं, जनता को दैनिक रूप से होने वाले कष्टों एवं समस्याओं का उन्हें अधिक ज्ञान होता है।

"जागरूक नागरिकों की और समाज के भामाशाहों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचें, उनका कल्याण सुनिश्चित करें। लास्ट माइल कनेक्टिविटी सामाजिक संगठनों की शक्ति है, जिससे सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है।"

अभी हमने देखा कि कोविड महामारी के दौरान किस प्रकार सरकार के साथ सामाजिक संगठनों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर काम किया और जनता के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो या अस्पताल में भर्ती करना हो, सामाजिक संगठनों ने इसमें उल्लेखनीय कार्य किए।

यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। जिस प्रकार प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं के समय पूरा देश एक हो जाता है, सभी मिल-जुलकर सामूहिकता की भावना से संकट का सामना करते हैं, सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी सहायता करते हैं, यह उल्लेखनीय है।

शिक्षा, पोषण, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर देश और राज्यों की सरकारें योजनाएँ बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज का कोई-न-कोई व्यक्ति ऐसा रह जाता है, जिसे जरूरत होती है, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में जागरूक नागरिकों की और समाज के भामाशाहों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचें, उनका कल्याण सुनिश्चित करें। लास्ट माइल कनेक्टिविटी सामाजिक संगठनों की शक्ति है, जिससे सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है।

आप सभी सामाजिक संगठनों को मेरा सुझाव रहेगा, आप अपने-अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से निकट संपर्क रखें। चाहे ग्राम पंचायत स्तर का जनप्रतिनिधि हो, अथवा नगरपालिका का, विधान सभा का सदस्य हो या संसद का सदस्य हो, आप उनके कार्यों को देखें तथा उन्हें निरंतर अपने सुझाव देते रहें। इससे न सिर्फ जनता की समस्याओं का

त्वरित समाधान निकलेगा, बल्कि शासन की जवाबदेही बढ़ेगी और शासन में पारदर्शिता भी आएगी।

आप जनता के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में भी सबको जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि वे अपने राष्ट्रीय दायित्वों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। सरकार तथा संसद द्वारा नागरिकों के बीच संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि के लिए देशव्यापी 'नो योर कांस्टीट्यूशन' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता में आपका योगदान भी आवश्यक है।

जब हम 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो हमें इसी भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है। सामूहिकता के भाव के साथ नवभारत के निर्माण मिशन में हमें जुटना होगा।

भारत इस वर्ष अपनी आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम अपनी स्वाधीनता की सालगिरह को उत्सव रूप में मना रहे हैं। आजादी के इस 75वें वर्ष से 25 साल बाद आजादी की 100वीं वर्षगाँठ तक का समय देश के लिए अमृतकाल की तरह है, जब हम अपने समर्पण और परिश्रम से देश के विकास में नए आयाम विकसित कर सकते हैं, नए अध्याय जोड़ सकते हैं।

पूरे देश को मिलकर सामूहिकता से यह विचार करना होगा कि अपने प्रयासों से हम अगले 25 वर्षों में भारत को किस ऊँचाई पर लेकर जा सकते हैं। आजादी के 75वें वर्ष से शताब्दी वर्ष की यात्रा का आगामी 25 वर्षों का समय हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्र और समाज की बेहतरी में आप गण्यमान्यजनों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आप संकल्प लीजिए कि देशहित में आपके कार्यों, आपकी भूमिका का और अधिक विस्तार हो। 2047 में जब हम अपनी आजादी की 100वीं वर्षगाँठ मनाएँ, तो आपकी भूमिका उसमें प्रमुख रूप से सामने आए।

मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएँ देता हूँ। आप भविष्य में और बेहतर काम कर सकें, जनहित में आपके कार्य और प्रयास सफल हों, ऐसी अभिलाषा करता हूँ।

21

शिक्षा से सशक्तीकरण*

"शिक्षा से ही सही मायने में सशक्तीकरण होता है। आज के ज्ञान आधारित समाज में यदि आप साक्षर और शिक्षित नहीं हैं, तो आप सशक्तीकरण के लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए, यह आवश्यक है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए हम जो भी प्रयास करें, वे समावेशी हों और उनसे लोगों का सशक्तीकरण भी हो।"

माहेश्वरी समाज शिक्षा समिति वर्ष पिछले 85 वर्षों से भी अधिक समय से अर्थात् 1936 से ही पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाज के सभी वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने का कल्याणकारी कार्य कर रही है। समाज की यह बेहतरीन पहल वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

हमारे माहेश्वरी समाज का सदैव यह प्रयास रहता है कि किस प्रकार समाज के सभी वर्गों का हित हो, समाज में उन्नति और समृद्धि आए। भगवान महेश के आशीर्वाद से मानव सेवा की भावना हमारे अंदर समाहित है। हम यह समझते हैं कि समाज और राष्ट्र का हित उसी स्थिति में हो सकता है, जब समाज के सभी वर्गों तक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य तथा समृद्धि का प्रसार हो। इसलिए हम जहाँ भी रहते हैं, अपने समुदाय को बिना किसी भेदभाव के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर यह भावना भगवान महेश के आशीर्वाद से आरंभ से ही रही है।

माहेश्वरी समाज के ऊँचे आदर्शों के अनुरूप आपकी संस्था का दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्य राष्ट्र का नवनिर्माण करना, शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करना और लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करनी है।

वास्तव में यह समिति एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है कि लोगों के लिए समर्पण भाव से किस तरह काम किया जाए। जयपुर में माहेश्वरी समाज की शिक्षा समिति

* माहेश्वरी समाज, जयपुर की शिक्षा समिति द्वारा निर्मित बहुद्देशीय शैक्षिक संस्था के लोकार्पण समारोह में संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 25 मई, 2022

के तत्त्वावधान में कई शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, जो इस महान संस्थान द्वारा वर्षों से की जा रही सेवा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

विशेष रूप से जयपुर का माहेश्वरी समाज अपने धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपकी संस्था लंबे समय से कई परोपकारी और मानवीय कार्यकलापों से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है।

माहेश्वरी समाज ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों की सदैव मदद की है। इनके कार्यकलाप केवल माहेश्वरी समुदाय तक ही सीमित नहीं हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सेवा करने का इनका एक प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है।

राष्ट्र-निर्माण में माहेश्वरी समाज की सदा से ही अग्रणी भूमिका रही है। इस समुदाय के लोगों ने व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संगीत, खेलकूद, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

स्वतंत्रता संग्राम में भी इस समुदाय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज, सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में माहेश्वरी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। आपने अपने धैर्य और कठिन परिश्रम से हम सबको गौरवान्वित किया है तथा सफलता की उत्कृष्ट मिसाल कायम की है।

किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यह जनता, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। आज से 97 वर्ष पूर्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर ने शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 'नाइट स्कूल' की शुरुआत की थी।

अब तक संस्था द्वारा 25 हजार से भी अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा चुकी है और राज्य के विभिन्न भागों में 12 विद्यालयों और 1 महाविद्यालय की स्थापना की गई है, ताकि विद्या का प्रकाश समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। आज माहेश्वरी समाज, जयपुर की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान है।

शिक्षा से ही सही मायने में सशक्तीकरण होता है। आज के ज्ञान-आधारित समाज में यदि आप साक्षर और शिक्षित नहीं हैं, तो आप सशक्तीकरण के लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए हम जो भी प्रयास करें, वह समावेशी हों और उनसे लोगों का सशक्तीकरण भी हो।

देश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए युवाओं को तैयार करने में सरकार के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

गांधीजी ने कहा था कि "लोकतंत्र को कार्यशील बनाए रखने के लिए सही शिक्षा की आवश्यकता है।" उन्होंने यह भी कहा था कि "शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए।" मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माहेश्वरी समाज शिक्षा समिति इस दिशा में अथक प्रयास कर रही है।

हमें शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में देखना चाहिए, जिसके जरिए मनुष्य अपने भीतर मौजूद क्षमताओं को साकार कर सकता है और अपना नैतिक एवं बौद्धिक विकास कर सकता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी में उत्साह और रचनात्मक ऊर्जा को जागृत् करना होगा कि वह आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। आज के विद्यार्थी ही कल के नेता भी हैं।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ने दुनिया में सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। हमारे विद्यार्थियों को हमारे लोकतंत्र के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना होगा और इसके कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के नए तरीके तथा साधन खोजने होंगे। चूँकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है, इसलिए शिक्षा का इस संदर्भ में अत्यधिक महत्त्व है।

देश की नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य यही है कि शिक्षा को अपनी संस्कृति से जोड़ें। शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श नागरिक का निर्माण होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवर्निमित भवन ऐसे ही आदर्श शिक्षा के लिए प्रयास करेगा।

इस बहुद्देशीय शैक्षिक संस्था का 7 मंजिला भवन साठ हजार वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। मुझे बताया गया है कि यहाँ विभिन्न व्यावसायिक कोर्स चलाए जाएँगे ताकि युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिल सके तथा आगे चलकर वे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकें।

मुझे विश्वास है कि यह बहुद्देशीय शैक्षिक संस्था इस इलाके में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी। आप सबने इस संबंध में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबकी हृदय से सराहना करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि माहेश्वरी समाज की शिक्षा समिति आने वाले वर्षों में और उपलब्धियाँ प्राप्त करेगी। इसके साथ ही मैं इस बहुद्देशीय संस्था के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।

22

शिक्षा का द्वार–प्रगति का मार्ग*

"जनजातीय समाज के कई युवाओं ने तरक्की की है, मगर उनकी संख्या कम है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा को लेकर हमारी जागरूकता अभी और बढ़ाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चे जब आगे जाएँगे, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो कोई आईएएस-आईपीएस भी बनेगा।"

अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति एक बहुत उत्तम सोच के साथ कोटा में समाज के छात्रावास का निर्माण करने जा रही है। शिक्षा को लेकर मेरा मानना है कि ये सबसे जरूरी काम है, जिसके लिए समाज को संगठित होकर काम करना चाहिए। आप दूसरी कई चीजों को अनदेखा कर सकते हो, मगर आज के युग में शिक्षा को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भील समाज के सुधीजनों ने इस विषय को गंभीरता से लेकर समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण के लिए कदम बढ़ाया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ।

पूरे भारत में भील समाज के लोग कई प्रदेशों में रहते हैं। भील समाज का बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। महाराणा प्रताप जब अपनी मातृभूमि, अपने मेवाड़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भील योद्धाओं ने उनका साथ दिया था। हम पूँजा भील के बारे में पढ़ते हैं, जो महाराणा प्रताप के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्होंने संकट के समय में महाराणा का सहयोग किया और देश के इतिहास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

हम इतिहास में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई के बारे में भी पढ़ते हैं। डूँगरपुर के एक गाँव की बालिका कालीबाई ने अपने अध्यापक का जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुई कालीबाई सबसे कम उम्र के

* अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति द्वारा निर्मित किए जा रहे छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर संबोधन, कोटा, राजस्थान, 19 जून, 2022

शहीदों में से एक थी। मैं चाहूँगा कि हर बालक-बालिका और समाज के लोगों को वीरबाला कालीबाई की जीवनी पढ़नी चाहिए।

माता शबरी, तांत्या भील, नानक भील, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत जी जैसे महान पुरुष भील समाज में हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज को नई दिशा दी। इन लोगों ने समाज को जागरूक किया और देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। न सिर्फ भील समाज को, बल्कि सभी लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है।

पर्यावरण संरक्षण में भी भील समुदाय की भूमिका बड़ी प्रमुख रही है। भील समाज जल-जंगल और वायु की स्वच्छता के लिए समर्पित समुदाय रहा है। पर्यावरण और प्रकृति से आपको अगाध प्रेम है। आपके लिए प्रकृति घर की तरह है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रदूषण नियंत्रण कठिन होता जा रहा है। तब मैं समझता हूँ कि अनमोल पर्यावरण को बचाने के लिए आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण बड़ा सार्थक सिद्ध हो सकता है।

आज का समय शिक्षा का है, विज्ञान का है। मैं देखता हूँ कि समाज के युवा भी अब पढ़-लिखकर उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि समाज में चेतना आई है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने लगे हैं। पहले लड़के और लड़की में भेद किया जाता था, उसमें भी कमी आई है। समाज की लड़कियों को भी शिक्षा का अवसर मिल रहा है। लेकिन चिंता का कारण यह है कि अभी यह जागरूकता समाज के सभी लोगों में नहीं आई है।

जनजातीय समाज के कई युवाओं ने तरक्की की है, मगर उनकी संख्या कम है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा को लेकर हमारी जागरूकता अभी और बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों को केवल साक्षरता के लिए नहीं पढ़ाएँ, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा दें। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चे जब आगे जाएँगे, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो कोई आईएएस-आईपीएस भी बनेगा।

बाबा साहब अंबेडकरजी ने कहा था—'शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो'। बाबा साहब के ये विचार पूरे समाज के लिए आदर्श होने चाहिए। इन विचारों को समाज के युवाओं को आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि 'सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। वास्तविक लोकतंत्र को साकार करने के लिए जरूरी है कि सभी समाज और समूहों की भागीदारी हो, सभी की सक्रियता हो।'

आजादी के बाद के इन 75 वर्षों में देश इस दिशा में आगे बढ़ा है। देश ने आधारभूत विकास के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी प्रगति की है। विविधताओं से भरे हमारे देश में जो

जातियाँ, जनजातियाँ, जो समूह शिक्षा और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे, इन 75 वर्षों में उन वर्गों को बराबरी पर लाने के प्रयास हमने सामूहिक तौर पर किए हैं। देश की सरकारों और सभी लोगों ने मिलकर इस दिशा में काम किया है।

यह वर्ष भारत की आजादी का 75वाँ वर्ष है। इस अवसर पर देश बड़े उत्साह से 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। यह वह समय है, जब हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। इन दशकों में हमने जो हासिल किया है, उस पर विचार कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पर भी चिंतन करना है कि आने वाले 25 वर्षों के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगाँठ मनाए, तब हमारी उसमें क्या भूमिका हो! हमारे भील समाज की उसमें क्या भूमिका हो! हमारे युवाओं का, हमारे समाज के सुधी जनों का देश के लिए क्या महत्त्वपूर्ण योगदान हो! हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए।

"हमारा कोटा शहर आज पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए देश भर से छात्र-छात्राएँ कोटा आते हैं। यहाँ प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। समय के साथ-साथ भील समाज के बालक-बालिकाएँ भी मेडिकल, इंजीनियरिंग के कोर्स करने लगे हैं।"

भील समाज के सम्मानित प्रबुद्ध जनो! आज इस हॉस्टल की नींव रखकर आपने समाज के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का मजबूत आधार तैयार कर दिया है। हॉस्टल से समाज के उन विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, जो प्रतिभावान होते हैं, मगर पैसों की तंगी से दूर स्थानों पर पढ़ने और रहने का प्रबंध नहीं कर पाते। हॉस्टल से सामूहिकता की भावना का विकास भी होता है। एकता और अनुशासन का विकास होता है।

हमारा कोटा शहर आज पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए देश भर से छात्र-छात्राएँ कोटा आते हैं। यहाँ प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। समय के साथ-साथ भील समाज के बालक-बालिकाएँ भी मेडिकल, इंजीनियरिंग के कोर्स करने लगे हैं। इन क्षेत्रों में समाज के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि इस भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए यह हॉस्टल अति सहायक सिद्ध होगा।

राजस्थान के किसी भी जिले या देश के किसी हिस्से से जब कोई भील समाज के छात्र-छात्राएँ यहाँ कोटा में पढ़ाई करने आएँगे, तो हॉस्टल बन जाने के बाद उसे रहने-खाने

की ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। वह पूरे मनोयोग से पढ़ाई कर अपना कॅरियर बना पाएगा। समाज और देश का नाम रोशन कर पाएगा।

मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश और बल्कि देश से भी भील समाज के गण्यमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग संकल्प लें कि हम अपनी इस युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षित और संस्कारित बनाएँगे। एक बार समाज के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर लें, उसके बाद मुझे यकीन है कि ये अपनी मंजिल खुद हासिल कर लेंगे। ये समर्थ हो जाएँगे। एक पीढ़ी पर हमने इस तरह ध्यान दिया, तो आप यकीन कीजिए, भविष्य में भील समाज देश और प्रदेश का सबसे संपन्न और सक्षम समाज होगा।

भील समाज के युवा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। उच्च शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में युवा उपलब्धियाँ हासिल करें। समाज के बड़े-बुजुर्ग युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें। समाज के युवा अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ने के लिए काम करें। अपनी परंपराओं और संस्कृति को साथ लेकर आधुनिकता से जुड़ें। समाज को आगे बढ़ाते हुए देश की उन्नति में भी अपना योगदान दें, अपनी भूमिका निभाएँ, मैं ऐसी शुभकामनाएँ आप सभी को देता हूँ।

तीन

पर्यावरण संबंधी मुद्दे

23

हरित धरा : हमारा संकल्प*

"पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है और यदि एक-एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए तो छोटे स्तर से ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।"

हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस हवा में साँस लेते हैं, उस परिवेश को स्वच्छ और हरा-भरा रखने का दायित्व भी हमारा ही है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने नगर को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखें, हरा-भरा रखें, ताकि हमें एक स्वस्थ वातावरण मिल सके।

हमारे वन परमार्थ सेवा के प्रतीक हैं। वृक्षों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, इनसे प्राकृतिक वातावरण रमणीक होता है। ये मानव के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ जीव-जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होते हैं।

हमारी संस्कृति में वृक्षों तथा वनों की पूजा करने की परंपरा रही है। आदिकाल से ही हम वनों के महत्त्व से अवगत हैं। हमारे सभी धर्मग्रंथों की रचना आचार्यों द्वारा प्राकृतिक परिवेश में ही की गई थी।

हमारा आयुर्वेद प्राकृतिक वनस्पति पर ही आधारित है। आज भी हम अपने दैनिक जीवन में वृक्षों की आराधना करते हैं, पूजन-सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं।

अभी कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज पैनल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार अभी भी तेजी से बढ़ रही है और अगले दो दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की संभावना है। यह पूरी मानवता के लिए एक भयावह स्थिति है। इतने कम समय में इस प्रकार से तापमान

---

* तुगलक रोड क्रिसेंट के निवासियों द्वारा आयोजित फलदार वृक्ष पौधरोपण कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2021

का बढ़ना पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जिससे कई प्रजातियों के अस्तित्व पर तत्काल संकट आ जाएगा।

समुद्र तट पर स्थित नगर पानी के अंदर चले जाएँगे। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए पृथ्वी के प्रत्येक वासी को अपने स्तर पर कार्य करना होगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

श्री ओम बिरला भारत आसियान मैत्री पार्क, तुगलक रोड क्रिसेंट में वृक्षारोपण करते हुए

जिस प्रकार आपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, इसी प्रकार के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर देश के अलग हिस्सों में होने चाहिए। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है और यदि एक-एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए तो छोटे स्तर से ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।

हमें पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ना है। सरकारें तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही हैं, परंतु इसमें सभी नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है।

किसी भी अभियान की सफलता के लिए जन-जागरूकता तथा जन-भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों के साथ-साथ समाजसेवी संगठनों, विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा जन-प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से व्यापक भागीदारी करनी होगी। इसके बिना पर्यावरण संरक्षण सफल नहीं हो सकता।

हमें आपसी व्यवहार में भी या सामाजिक अवसरों पर भी प्रयास करना चाहिए कि हम किसी वस्तु के स्थान पर पौधों का उपहार दें। वृक्षारोपण द्वारा महत्त्वपूर्ण अवसरों को हम यादगार बना सकते हैं।

मैं आपको हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि संसद भवन परिसर में भी समय-समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस अवसर पर सभी माननीय संसद सदस्य बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा अपने हाथों से पौधारोपण करते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि आज इस उद्यान में फल वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। आज हम सबने इस उद्यान में अपने हाथों से जो पौधे लगाए हैं, वे भविष्य में छायादार वृक्ष बनेंगे, फल देंगे, हमारे शहर को और हरा-भरा बनाएँगे तथा पर्यावरण की रक्षा करने में भी सहायक होंगे।

अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सबके द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।

चार

धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दे

24

भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी*

"आज जगत-माता के सान्निध्य में उनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। उनके तेजमय व्यक्तित्व ने समस्त विश्व को सदैव सन्मार्ग दिखलाया है। माताजी का जीवन अनवरत साधना एवं त्यागमय जीवन का एक अनूठा उदाहरण है।"

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज भारत गौरव गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की 88वीं जन्मजयंती शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर उनके श्रीचरणों में वंदन करने का, उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है।

आज शरद पूर्णिमा का दिन है और इस शुभ अवसर पर सत्, चित्त, आनंद, भक्ति, ज्ञान, दया और करुणा की साक्षात् प्रतिमूर्ति परम आदरणीय ज्ञानमती माता का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। वे जैन धर्म ही नहीं, समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश-स्तंभ हैं।

जैन धर्म की प्राचीन गौरवशाली परंपरा रही है। तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा दी गई सादगी, तपस्या और आत्मसंयम की शिक्षा के अनुसरण में माताजी का जीवन सभी के लिए प्रेरणामय रहा है। जैन धर्म जिस साधना, सेवा, त्याग एवं उच्च नैतिक आदर्शों के लिए जाना जाता है, श्री माताजी उसकी जीवंत प्रतिमूर्ति हैं।

श्री ज्ञानमती माताजी ने जिस लगन एवं तल्लीनता से समस्त देश में जैन तीर्थों को सुरक्षित, संवर्धित और सुपोषित करने का कार्य किया है, इसके लिए मैं उनका समस्त राष्ट्र की तरफ से साधुवाद करता हूँ।

---

* श्री ज्ञानमती माताजी की 88वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विनयांजलि सभा में उद्बोधन, नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2021

आज जगत-माता के सान्निध्य में उनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। उनके तेजमय व्यक्तित्व ने समस्त विश्व को सदैव सन्मार्ग दिखलाया है। माताजी का जीवन अनवरत साधना एवं त्यागमय जीवन का एक अनूठा उदाहरण है।

आप किशोर अवस्था से ही वैराग्य भाव से प्रभावित रहीं। कुमारी अवस्था में आर्यिका दीक्षा ग्रहण कर आपने एक अभिनव परंपरा का सूत्रपात किया। जिसके फलस्वरूप देश में आज शताधिक ऐसी आर्यिकाएँ हैं, जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व ही संसार की असारता का ज्ञान प्राप्त कर आर्यिका के महाव्रतों को अंगीकार किया है।

श्री ज्ञानमती माताजी के लिए आयोजित विनयांजलि सभा में उद्‌बोधन करते हुए

आपके विशद ज्ञान, उत्कृष्ट साधना एवं कठोर तपस्या का ही प्रभाव है कि आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक श्रावक/श्राविका आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। आपका सहज, सरल, सौम्य एवं मधुर व्यक्तित्व मानव मन को आकर्षित करता है, आप अपनी करुणा, ममता एवं वात्सल्य से युवाओं के हृदय को झंकृत करती हैं एवं अपनी तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विवेचनाओं से उनकी जिज्ञासाओं को तृप्त करती हैं।

उनके सान्निध्य में जहाँ एक ओर जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार होता है, वही संपूर्ण समाज में प्रेम, सद्‌भाव व उच्च नैतिक मूल्यों का प्रसार होता है।

जैन धर्म में न केवल अहिंसा पर बल दिया जाता है, बल्कि मानवता की सेवा पर भी बल दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने आस-पास इतने सारे अस्पताल, स्कूल और लोकोपकारी अन्य संस्थान दिखाई देते हैं, जिनकी स्थापना और प्रबंधन जैन धर्म के

लोगों द्वारा किया जा रहा है। उनके परोपकारी कार्यों से सभी की भलाई के लिए जनसेवा किए जाने और लोकोपकारी कार्य किए जाने की भावना को बढ़ावा मिलता है।

आज भारत गौरव गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी के 88वीं जन्मजयंती शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं उनके सुदीर्घ स्वास्थ्य, आध्यात्मिक रूप से उन्नत एवं प्रसन्नचित्त जीवन की कामना करता हूँ।

प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी आने वाले वर्षों में भी हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा, संरक्षण और आश्रय प्रदान करने का कार्य करते रहें एवं हम सबको सदैव धर्म मार्ग में लगाए रखें, ईश्वर से यही प्रार्थना है।

आपके श्रीप्रताप से समस्त मानव जगत में शांति, सुख–समृद्धि आए, ऐसी मंगलकामना करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।

25

भक्ति-ज्ञान-कर्म की त्रिवेणी : गीता*

"गीता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह हमारे मन में आए संशयों को दूर कर हमें सही दिशा देती है। गीता मानव जीवन का वह मैनुअल है, जिसमें हमें हर समस्या, हर कठिनाई, हर उलझन का समाधान मिलता है।"

हरियाणा राज्य की पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक धरती है। इस धरती पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन का दर्शन हैं और आज भी हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। मैं इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ।

श्रीगीता पर दुनिया के कई देशों के विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं और उन पर टीकाएँ लिखी जा रही हैं। आचार्य ज्ञानानंद जी के सान्निध्य में कुरुक्षेत्र भी भविष्य में गीता शोध का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनने जा रहा है, जहाँ पर श्रीमद्भगवद्गीता पर विस्तृत शोध भी किया जा सकेगा और देश-विदेश के लोग यहाँ आकर गीता के ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे।

श्रीमद्भगवद्गीता 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ है, परंतु इसकी महिमा विशाल है। यह भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग का अद्भुत संगम है।

गीता को अकसर धर्मग्रंथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह पूरी मानवता के लिए वरदान है। गीता धर्म ग्रंथ से अधिक जीवन का एक अद्भुत दर्शन है। यह कोई पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है।

गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है और यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता हमारा वह दिव्यतम ग्रंथ है, जिसमें हमारे पुरातन ज्ञान को बेहद प्रेरणास्पद तरीके से वर्णित किया गया है। जीवन का कोई भी तत्त्व या भाग ऐसा नहीं है, जो गीता के मंत्रों में मौजूद नहीं है।

---

* गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर संबोधन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा, 11 दिसंबर, 2021

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी श्रीमद्भगवद्गीता को माता मानते थे। उनका कहना था कि 'जो कोई इस माता की शरण में आता है, वह उसे अपने ज्ञानामृत से तृप्त कर देती है।'

गीता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह हमारे मन में आए संशयों को दूर कर हमें सही दिशा देती है। गीता मानव जीवन का वह मैनुअल है, जिसमें हमें हर समस्या, हर कठिनाई, हर उलझन का समाधान मिलता है।

गीता जयंती महोत्सव में उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए

गीता केवल उपदेश नहीं, उपचार भी है। यह आस्था ही नहीं, बल्कि जीवन पद्धति भी है। गीता सोच ही नहीं, चिंतन और दिशा भी है। व्यक्ति के जीवन में गीता सार उसकी वह पाठशाला है, जहाँ पढ़कर वह अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में गीता का अध्ययन करेगा, गीता के प्रति समर्पित रहेगा, निष्ठावान रहेगा, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा।

गीता को भारत में पंचम ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि हर घर में गीता हमें किसी-न-किसी रूप में अवश्य मिलती है। मैंने भी गीता के कुछ अंश पढ़े हैं और कुछ समझने की कोशिश की है। मैं इसके गूढ़ अर्थ तो नहीं समझ पाया, परंतु जितना भी मैं पढ़ और समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि यही जीवन का सत्य है।

वर्तमान समय में जब व्यक्ति तनाव में रहे, अनिर्णय की स्थिति में रहे, उलझन में रहे, परेशानियों में रहे, भविष्य की चिंताओं में रहे, उस समय गीता सार पढ़ने से वह व्यक्ति तनाव से मुक्त होगा, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होगा।

महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन संशय में थे, मोहग्रस्त होकर दुविधा में पड़ गए थे, तब महायोगी प्रभु श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। दोनों के बीच संवाद हुआ, चर्चा हुई और उससे जो दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वह आज हजारों वर्षों बाद भी हम सभी के जीवन को प्रेरणा दे रही है।

कृष्ण-कृपा और कृष्ण-इच्छा के बीच में मानव का जीवन पलता है। यही जीवन का सार है। हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है, तो उसे हम ईश्वर की कृपा मानते हैं और अच्छा नहीं होता है, तब उसे प्रभु की इच्छा समझते हैं। यही आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन की राह दिखाता है। यदि यह आध्यात्मिक चेतना न हो, तब आदमी हर घटना पर तर्क-वितर्क करेगा और फिर अवसाद में चला जाएगा, पर यदि वह भगवान को पूरी तरह समर्पित होगा, तब वह कर्म की राह पर आगे बढ़ेगा।

गीता का सार यही है कि हम कर्तव्यपथ पर निरंतर आगे बढ़े, कर्म का अहंकार भी न हो और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करें। इसका भावार्थ यह है कि जो भी व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करेगा और यदि उसके कर्म का अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, तो वह निराश हो जाएगा। यदि हम इस भाव से कर्म करते हैं कि मेरा दायित्व कर्म करना है, तब परिणाम नहीं आने पर भी कर्म के प्रति हमें विरक्ति नहीं होगी और इसलिए हम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहेंगे। अपने कर्म को लक्ष्य मानकर चलने वाले व्यक्ति को एक-न-एक दिन सुखद परिणाम मिलता ही है।

"भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के इस डिजिटल युग में युवा पीढ़ी बढ़ते तनाव, असुरक्षा और संशय की स्थिति का सामना कर रही है। उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है, परंतु बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान से ही उनके अंदर का तनाव और अवसाद दूर होगा। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए श्रीगीताजी का अध्ययन सर्वाधिक उपयुक्त है।"

मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी पंथ या संप्रदाय के अनुयायी हों, किसी भी भाषा, प्रांत अथवा देश के हों, गीता के सारतत्त्व को अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में गीता के अमर संदेश का अनुसरण करेगा, उसका मन विषम परिस्थिति में भी स्थिर और शांत रहेगा तथा वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करेगा।

गीता का संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। यह पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रकाश-स्तंभ है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का सार-तत्त्व है, जो संपूर्ण

विश्व को भारत की देन है। गीता भारतीय अध्यात्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। गीता के वचन देश, काल और परिस्थितियों से परे हैं और जीवन के शाश्वत मूल्यों को धारण करते हैं।

गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। एक ऐसा वैश्विक ग्रंथ जिसका दुनिया की डेढ़ सौ से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यानी जो कोई भी एक बार गीता के संपर्क में आया, यह उसकी मार्गदर्शक बन गई। गीता ने उसका जीवन बदल दिया, उसके जीवन को कल्याण के मार्ग पर चलने की दिशा दे दी।

यही बात मैं आज सभी से कहना चाहता हूँ कि गीता को अपने प्रतिदिन का भाग बनाएँ। गीता पढ़ने से मन में एक विश्वास जागृत होता है। आशा दिखाई देती है, जीवन में एक सकारात्मकता आती है।

भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के इस डिजिटल युग में युवा पीढ़ी बढ़ते तनाव, असुरक्षा और संशय की स्थिति का सामना कर रही है। वह ज्ञान की प्राप्ति तो कर रही है, उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास भी हो रहा है, परंतु बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान से ही उनके अंदर का तनाव और अवसाद दूर होगा। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए श्रीगीताजी का अध्ययन सर्वाधिक उपयुक्त है।

श्रीगीता हर मनुष्य के अंदर सही और गलत के बीच द्वंद्व का समाधान करती है। क्या सही है और क्या गलत है ? हम क्या करें और क्या नहीं करें ? ऐसा द्वंद्व हम सभी को परेशान करता है। संशय की ऐसी स्थिति में गीता का ज्ञान हमें नई राह दिखाता है, नई दिशा देता है।

इसलिए जब भी किसी के मन में शंका उत्पन्न हो, जब भी आपको लगे कि आप किसी दोराहे पर खड़े हैं, अनिर्णय की स्थिति हो, तय नहीं कर पा रहे हों कि क्या करना है, कर्म भूल रहे हों, उद्देश्य से भटक रहे हों, पलायन का मन कर रहा हो तो गीता की ओर देखिए। गीता से खुद को जोड़िए और वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि नई राहें खुल रही हैं, सही दिशा दिख रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। आपको लक्ष्य दिखने लगेंगे, आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगेंगे।

मेरा विश्वास है कि यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव संपूर्ण विश्व में गीता के आध्यात्मिक संदेशों के प्रचार-प्रसार में सफल सिद्ध होगा और संपूर्ण मानव जाति एवं समस्त विश्व के कल्याण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा।

यह अंतर्राष्ट्रीय पर्व हरियाणा, भारत और संपूर्ण मानव जाति के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उत्सव है। मैं आशा करता हूँ कि सभी भारतीय अपने आचरण में गीता के संदेश का अनुसरण कर एक नए भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

26

व्यक्तित्व-निर्माण से राष्ट्र-निर्माण की ओर*

"आजादी का यह अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना भी है तथा एक स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न भी है। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी है और आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प भी है।"

मानव कल्याण के लिए समर्पित वैश्विक संस्था ब्रह्मकुमारीज द्वारा राजस्थान की गौरवशाली धरती से 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर' अभियान के शुभारंभ से जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि इस अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से हो रहा है।

ब्रह्मकुमारी एक विश्वस्तरीय संस्था है, जो पिछले 8 दशकों से पूरे संसार में मानव-सेवा का पुनीत कार्य कर रही है। व्यक्तित्व-निर्माण से राष्ट्र-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण से खुशहाल विश्व-निर्माण के उद्देश्य के साथ कार्यरत ब्रह्मकुमारी आज दुनिया की एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक संस्था है।

सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक ब्रह्मकुमारीज ने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा से जोड़ देता है।

हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में सबसे अद्भुत था। हमने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया और इस विशाल देश को एक सूत्र में बाँधते हुए व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से आजादी प्राप्त की। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं मनीषियों की त्याग, तपस्या और बलिदान से ही संभव हुआ था। वास्तव में अमृत महोत्सव का आयोजन स्वराज से सुराज की लोकतांत्रिक यात्रा का ही उत्सव है।

---

* ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर' कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन, नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

'आजादी का अमृत महोत्सव' माननीय प्रधानमंत्रीजी की व्यापक संकल्पना है, जिसमें पिछले 75 वर्षों की विकास-यात्रा के साथ-साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए देश के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना भी समाहित है, ताकि जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हों, तब हमारा देश वैश्विक पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सामने आए।

आजादी का यह अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व है, जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना भी है तथा एक स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न भी है। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी है और आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प भी है।

ब्रह्मकुमारीज द्वारा आयोजित 'आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर' कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन करते हुए

ब्रह्मकुमारी जैसी मानवीय संस्थाओं का इस अभियान में शामिल होना इस ओर संकेत करता है कि देश की समाजसेवी संस्थाएँ इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं।

मानव सभ्यता के आरंभ से ही भारत अध्यात्म, शांति और मानवीय मूल्यों का केंद्र रहा है। अध्यात्म हमारी जीवन-शैली है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक अंग है। हमारे शास्त्रों ने हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। इसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्रीजी ने विश्व को 'वन अर्थ-वन हेल्थ' का मंत्र दिया तथा वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई।

आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में एक ऐसा विजन है, एक ऐसा विचार है, जिससे देश की अंतर्निहित शक्तियाँ राष्ट्र-निर्माण की ओर उन्मुख होती हैं। यह सबको जोड़ने का मंत्र है, एक समावेशी विचारधारा है, जिसका अंतिम लक्ष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण है।

इस अभियान में स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, किसानों, महिलाओं, शांति, पर्यटन तथा पर्यावरण जैसे ज्वलंत विषयों को रेखांकित किया गया है। यह दिखाता है कि स्वर्णिम भारत का निर्माण तभी हो सकता है, जब देश का हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का सामूहिक प्रयास करे। राष्ट्र-निर्माण के इस महायज्ञ में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करना है।

हमारा हर कार्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हमारे सभी प्रयास राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाएँ और हम एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान करें, तभी आजादी का यह पर्व भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रेरणा पर्व बन सकेगा।

27

अहिंसा परमो धर्मः*

"आपने अपनी इस यात्रा के क्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की पदयात्रा की। भारत ही नहीं, बल्कि भूटान और नेपाल में भी आपने लगभग 20 हजार किलोमीटर की पदयात्रा की और देश के हजारों-लाखों गाँवों, कस्बों और शहरों के लोगों से सीधा संपर्क किया, उन्हें सदाचार और नैतिकता को धारण करने तथा नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।"

परमपूज्य आचार्य श्री महाश्रमणजी की ऐतिहासिक सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आचार्य श्री महाश्रमणजी को मेरा विनीत नमन!

आज के दिन उस ऐतिहासिक सप्तवर्षीय यात्रा का समापन हो रहा है, जिसे आचार्य श्री ने 9 नवंबर, 2014 को भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से आरंभ किया था।

आपने अपनी इस यात्रा के क्रम में भारत के विभिन्न राज्यों की पदयात्रा की। भारत ही नहीं, बल्कि भूटान और नेपाल में भी आपने लगभग 20 हजार किलोमीटर की पदयात्रा की और देश के हजारों-लाखों गाँवों, कस्बों और शहरों के लोगों से सीधा संपर्क किया, उन्हें सदाचार और नैतिकता को धारण करने तथा नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।

अपने व्यक्तित्व तथा कार्यों से आचार्य महाश्रमण ने मानव चेतना के हर पहलू को प्रकाशमान किया है। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम नहीं है, जो उनके विचारों से अछूता रहा हो। उन्होंने जहाँ योग, ध्यान आदि के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला, वहीं विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति जैसे अनेक विषयों पर भी जीवन-दृष्टि प्रदान की है।

---

* महाश्रमण जी की सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में उद्‌बोधन, नई दिल्ली, 27 मार्च, 2022

महात्मा गांधी जी ने जिस सदाचार और नैतिकता की बात कही है, आचार्य श्री महाश्रमणजी की शिक्षाओं ने हमेशा ही उस सदाचार और नैतिकता को पोषित किया है।

आचार्य श्री महान जैन धर्म तथा अपने महान गुरुओं की शिक्षाओं को निरंतर आगे बढ़ाते हुए मानव जाति की उत्तम सेवा का कार्य कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के साथ-साथ उसे पूरे संसार के साथ साझा करने और विश्व को सन्मार्ग दिखाने के लिए आपके प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। आपका जीवन सद्भावना, नैतिकता, समाज में सदाचार एवं अहिंसा जैसे सद्गुणों के प्रसार के लिए समर्पित रहा है। आचार्य श्री के नेतृत्व में उनके लाखों शिष्य एवं अनुयायी भी आज समाज में सेवा कार्य कर रहे हैं।

मैं आपकी सेवा भावना और सन्मार्ग के लिए प्रेरित करती आपकी शिक्षाओं को नमस्कार करता हूँ। सर्वजनों से उनके अनुकरण का आग्रह करता हूँ।

आचार्य महाश्रमण जी की सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के समापन समारोह में उद्बोधन करते हुए

हमारा देश अध्यात्म के साथ-साथ हमेशा से ही शांति और मानवता के प्रति प्रेम का केंद्र रहा है। हमारे जनमानस और संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना निहित रही है। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति की इसी वैश्विक और मानवीय भावना को पोषित किया है। प्रेम, करुणा, त्याग, तप और मनुष्यता जैन धर्म की अनमोल शिक्षाएँ हैं। इन शिक्षाओं ने सारे संसार का मार्गदर्शन किया है। मानव और समाज की भलाई के पवित्र संदेशों को जन-जन तक ले जाकर आचार्य श्री ने मानवता और विश्व कल्याण में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।

आचार्य महाश्रमणजी का आदर्श व्यक्तित्व और कृतित्व आज यहाँ उपस्थित जन समूह के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र एवं पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। उनका सान्निध्य हमें शांति एवं रचनात्मक ऊर्जा से भर देता है। जय जिनेंद्र!

पाँच

राष्ट्रीय विकास

28

विश्व पर्यटकों की पहली पसंद : भारत*

"पर्यटन क्षेत्र में आगे विकास के लिए नए क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, अध्यात्म, शिक्षा और मेडिकल टूरिज्म में अपार संभावनाएँ हैं। हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं।"

'विश्व पर्यटन दिवस' के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए भारत को एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का विजन है, उसके लिए आपको साधुवाद।

पिछले डेढ़ वर्षों से कोविड महामारी के कारण देशी और विदेशी पर्यटन पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। इस स्थिति में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति, उनकी जीविका पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। परंतु अब हमारे देश में तथा विश्व के कई अन्य देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के कारण अब पर्यटकों के आने की पुनः शुरुआत हुई है।

अभी कुछ दिनों पहले मैं लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की यात्रा पर गया था, जहाँ मैंने देखा कि पर्यटक बड़ी संख्या में आए हुए थे। इसलिए पर्यटन सेक्टर के रिवाइवल के लिए हमें मजबूत संकल्प और स्पष्ट कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार हमने सामूहिक प्रयासों से कोरोना महामारी का मुकाबला किया, उसी सामूहिक संकल्प और प्रतिबद्धता से अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई पर ले जाना है।

भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश की अनूठी तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं भौगोलिक विविधताएँ पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करती है। मैं स्वयं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ, जो पूरे विश्व में हेरिटेज टूरिज्म के लिए जाना

---

* विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2021

जाता है। राजस्थान में पूरे विश्व से पर्यटक वहाँ की समृद्ध और गौरवशाली विरासत, प्राचीन किले, हवेलियाँ, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य जीवन देखने आते हैं।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस) का लोकार्पण करते हुए

पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन का काम करता है। विश्व में कई ऐसे देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। पर्यटन से परिवहन, आईटी क्षेत्र और होटल उद्योग तो सीधे तौर पर जुड़े हैं, पर व्यापक संदर्भ में यह विभिन्न प्रकार के कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा देता है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्त्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सेक्टर से देश की कुल जीडीपी का लगभग 5 प्रतिशत आता है और कुल रोजगार का लगभग 13 प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र में है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 9 करोड़ लोग पर्यटन से संबंधित रोजगार में हैं।

इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के कारण विश्व पर्यटन इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार आया है और हम पिछले 5 वर्षों में 65वें स्थान से ऊपर उठकर 34वें स्थान पर आ गए हैं। पर हमें अभी और ऊपर जाना है।

माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में पर्यटन सेक्टर की उन्नति तथा देश में नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 'स्वदेश दर्शन', 'प्रसाद', 'अतुल्य भारत अभियान' जैसी योजनाओं तथा 'भारत पर्व', 'पर्यटन पर्व' के आयोजन और वीजा प्रणाली को सुगम बनाने से देश में पर्यटन क्षेत्र को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 'भारत पर्यटन सांख्यिकी-2021—एक नजर में' पुस्तक का विमोचन करते हुए

पर्यटन क्षेत्र में आगे विकास के लिए नए क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, अध्यात्म, शिक्षा और मेडिकल टूरिज्म में अपार संभावनाएँ हैं। आज हमारे देश में सस्ती और उच्च गुणवत्ता के इलाज के लिए कई देशों से लोग आ रहे हैं। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। इसके क्रियान्वयन से भारत पूरी दुनिया के लिए एक महत्त्वपूर्ण एजुकेशन डेस्टिनेशन बनेगा। इस दिशा में भी हमें कार्य करना होगा।

हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र को सुगम बनाने और पर्यटकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है।

हमें सभी पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट फ्रैंडली बनाने के अधिकतम प्रयास करने होंगे। यदि हम पर्यटकों को सुविधा केंद्र, कुशल गाइड, बेहतर खान-पान, सेवाभाव एवं स्वच्छ आवास इत्यादि प्रदान कर सकें, तो वे निश्चित रूप से बार-बार यहाँ आना चाहेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। इन सारी सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए, ताकि उन्हें इसकी जानकारी मिल पाए।

आज निधि 2.0 डेटाबेस रिलीज किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह डेटाबेस इस सेक्टर में कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

हमारे कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं, जिनके बारे में पर्यटकों को अधिक जानकारी नहीं होती है। ऐसे पर्यटन स्थलों को टूरिज्म मैप पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

आने वाले समय में हमें ग्रामीण टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट कला, शिल्प, हस्तशिल्प इत्यादि कई प्रकार के उत्पाद हैं, जिनको ग्रामीण टूरिज्म के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुँचाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और सर्वांगीण विकास का नया युग आरंभ होगा।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए

भारत इस वर्ष अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाएँ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्त्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करें।

देश ने पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी सरकार घरेलू और विदेशी निवेश, दोनों के लिए सक्षम वातावरण भी तैयार कर रही है। हमें पर्यटन विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन का विकास समावेशी हो।

आइए, आज 'विश्व पर्यटन दिवस' के अवसर पर सामूहिक संकल्प लें कि हम भारत को विश्व में पर्यटन की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के सामूहिक संकल्प एवं प्रयासों से भारत विश्व में पर्यटन की एक महाशक्ति बनेगा।

29

वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन*

"हमें न सिर्फ कृषि उपज को बढ़ाना है, बल्कि हमें अपनी मिट्टी को भी बचाना है। धरती पूरी मानवता की थाती है। इसे हमें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।"

यह प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में इस महत्त्वपूर्ण जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह केंद्र सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के किसानों को वैज्ञानिक खेती करने के लिए प्रेरित करेगा।

यह ऐसा केंद्र होगा जहाँ पर इस क्षेत्र के किसान जैविक खेती के विषय में सीखने के लिए यहाँ आएँगे, यहाँ उस पद्धति को देखेंगे, सीखेंगे और जैविक खेती के माध्यम से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाएँगे बल्कि अपने खेत को भी सुरक्षित रख पाएँगे। निश्चित रूप से यह केंद्र इस संपूर्ण क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान कृषिक्षेत्र में खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। हमने अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। परंतु यह भी सत्य है कि इस सफलता को प्राप्त करने के क्रम में हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर अधिक दबाव पड़ा है।

आधुनिक खेती में अधिक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों इत्यादि के निरंतर उपयोग से भले ही हमारी उत्पादकता बढ़ी हो, परंतु मिट्टी के स्वास्थ्य पर, धरती की उर्वरा शक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, यह हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ है। यही कारण है कि आज जैविक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

---

* श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण समारोह में संबोधन, कोटा, राजस्थान, 2 अप्रैल, 2022

अब समय आ गया है कि हम रासायनिक खादों की जगह जैविक खेती को प्रोत्साहित करें। जैविक खेती के द्वारा पैदा किया गया अनाज ही एक सतत एवं सुरक्षित भविष्य का मार्ग है। आज अनेक देशों के संतों, वैज्ञानिकों एवं विद्वानों ने जैविक खेती के महत्त्व को समझा है और जैविक खेती के अभियान की शुरुआत की है।

श्री ओम बिरला श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करते हुए

मैंने ऐसा देखा है कि हम आज भी वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं। हमें न सिर्फ कृषि उपज को बढ़ाना है, बल्कि हमें अपनी मिट्टी को भी बचाना है। धरती पूरी मानवता की थाती है। इसे हमें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करते समय 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का आह्वान किया था। हमारे लिए यह सम्मान का विषय है कि यह क्रांतिकारी कदम राजस्थान की धरती से ही आरंभ किया गया था।

फसल तभी अच्छी होगी, जब धरती का स्वास्थ्य उत्तम होगा। इसलिए हमें खेत की मिट्टी की नियमित रूप से जाँच करानी चाहिए। मिट्टी के परीक्षण में जो भी कमी सामने आए, हमें उसी के अनुसार उपचार करना है। जैसे हम शरीर की बीमारी की जाँच करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी है।

इस पद्धति से यदि हम खेती करेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी है, कौन से बीज और कितने पानी का प्रयोग करना है, किस प्रकार का खाद और

कितनी मात्रा में कौन सी दवाई का उपयोग करना है, तभी उपज की गुणवत्ता और मात्रा में भी वृद्धि होगी, साथ ही हमारी धरती की उर्वरता भी सुरक्षित रहेगी।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार की वैज्ञानिक खेती के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। विकसित देशों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे भले ही आज समझे जा रहे हैं, परंतु हमारे लिए यह कोई नई अवधारणा नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे किसान प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करते हुए खेती का काम करते रहे हैं।

आज भी ऐसे कई किसान हैं, जो प्राकृतिक पद्धति से लाभकारी खेती कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारी प्राचीन कृषि पद्धति का गहन अध्ययन हो, उस पर रिसर्च हो तथा इस बारे में व्यापक जानकारी जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाए।

देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा उचित महत्त्व दिया जा रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु मॉडल पद्धतियाँ विकसित की जा रही हैं तथा इस पर अनुसंधान किए जा रहे हैं।

वैसे तो देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर वर्तमान क्षेत्रफल कुल कृषिक्षेत्र का मात्र 2 प्रतिशत ही है, पर देश भर में इसके व्यापक विस्तार की संभावनाएँ हैं।

सिक्किम पहले ही ऐसा राज्य बन चुका है, जहाँ पूरे तरीके से जैविक खेती होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के साथ-साथ राजस्थान भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

मेरा मानना है कि श्री राम शांताय केंद्र राजस्थान में जैविक कृषि के संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह मात्र एक अनुसंधान केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ इस पद्धति में प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाएगा।

जैसे-जैसे पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रसार होगा, अधिक संख्या में रीसोर्स पर्सन्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो देश के अंदर विभिन्न स्थानों में जाकर इस पद्धति के बारे में किसानों को शिक्षित करेंगे तथा लाभकारी कृषि करने में उनकी सहायता करेंगे।

आप आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के साथ निरंतर चर्चा-संवाद करेंगे, आप उनके साथ लगातार संपर्क रखेंगे तथा अभ्यास, मासिक बैठक, ग्राम चौपाल इत्यादि के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उनके उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में, पशुपालन के आधुनिकतम तरीकों के बारे में उनकी जानकारी में वृद्धि करेंगे।

दरअसल इस केंद्र का और अन्य स्थानों पर बनाए गए ऐसे केंद्रों का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि वे किस प्रकार किसानों के अंदर क्षमता संवर्धन कर सकते हैं, उनके कौशल में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। किसानों तथा वैज्ञानिक केंद्रों के बीच प्रभावी संवाद एक सशक्त कृषि-आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण का मजबूत आधार है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों का क्रियान्वयन किया है। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत कृषि और सतत विकास को भी बढ़ावा देना है। इन नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से कृषिक्षेत्र और सशक्त हुआ है। कोविड महामारी के दौरान जब अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स में कमी आ रही थी, तो कृषि क्षेत्र ने ही देश की जीडीपी को सँभाला।

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमरजी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जिसके लिए उनका साधुवाद। उनकी योजनाओं से उत्तर-पूर्व भारत सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैविक खेती योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक संसाधनों का उपयोग करके जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों को जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर मूल्यवर्धन, प्रमाणीकरण और बिक्री के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, दोनों की सुरक्षा के अलावा पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती के कई फायदे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें और अधिक शोध तथा निवेश करने की जरूरत है।

मुझे विश्वास है कि श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जैविक खेती पर शोध तथा इसके विकास में अग्रणी संस्थान बनेगा। यह संस्थान गौ और वैदिक कृषि के साथ-साथ जैविक कृषि से संबंधित सारे मुद्दों पर अपना शोध केंद्रित कर रहा है। देशी तथा पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आपके समस्त प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह केंद्र इस पूरे क्षेत्र में एक नई कृषि क्रांति का सूत्रधार बनेगा तथा किसानों की समृद्धि तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित एवं समर्पित होकर कार्य करेगा।

30

कौशल उन्नयन : सतत विकास का आधार*

"प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संगठन के अग्रणी अधिकारी एक ऐसा प्रभावी और कुशल कार्यबल तैयार कर सकते हैं, जो परिवर्तनशील व्यापारिक परिदृश्य के साथ कदम मिलाकर चलने के योग्य हो।"

आज यहाँ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग ऐंड डेवलपमेंट (ISTD) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठन संघ (IFTDO) के 49वें विश्व सम्मेलन और प्रदर्शनी, 2022 के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (ISTD) का साधुवाद कि उन्होंने इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस सम्मेलन में भारत सहित नाइजीरिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया, आयरलैंड, मॉरीशस, यूके, ओमान और जॉर्डन आदि देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

पिछले पाँच दशकों के दौरान ISTD ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों तथा अन्य व्यावसायिक निकायों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे महत्त्वपूर्ण वैश्विक संगठनों से भी संबद्ध है।

IFTDO ने लगभग पाँच दशक पहले जेनेवा में अपनी स्थापना के बाद से मानव संसाधन के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। संगठन ने व्यक्तिगत विकास, कार्य-निष्पादन, उत्पादकता और सतत विकास को बढ़ाने के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी की पहचान, विकास और अंतरण हेतु प्रतिबद्ध एक विश्वव्यापी नेटवर्क तैयार किया है।

---

* अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठन संघ (IFTDO) के 49वें विश्व सम्मेलन और प्रदर्शनी, 2022 का उद्घाटन समारोह, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 19 मई, 2022

यह दुनिया के ऐसे बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठनों में से है, जिसमें संगठन का नेतृत्व कर रहे निदेशक मंडल में सही मायने में काफी विविधता है। इसके सदस्यों से मानव संसाधन प्रबंधन और विकास संगठनों का वैश्विक स्तर पर एक व्यापक नेटवर्क निर्मित हुआ है, जो विभिन्न संगठनों और उद्यमों में काम कर रहे मानव संसाधन प्रोफेशनल्स को परस्पर जोड़ते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठन संघ
(आईएफटीडीओ) के 49वें सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

वर्तमान में यह नेटवर्क 30 से अधिक देशों में 50,000 से अधिक प्रोफेशनल्स का प्रतिनिधित्व करता है। IFTDO जीवन की बेहतरी के लिए विश्व भर में काम कर रहे मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रोफेशनल्स के लिए प्रभावी माध्यम होने के अपने विजन को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

सभी संगठनों में समय-समय पर आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, लेकिन कई संगठनों के लिए मौजूदा परिवर्तन पहले से कहीं अधिक तीव्र और चुनौतियों से भरा है। यह परिवर्तन कई कारणों से हुआ है, जैसे कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग आदि।

वैश्विक महामारी तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता जैसी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी एवं छोटी सभी कंपनियों के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर दी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक चुनौतियाँ भी हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को लगातार नवाचार करने के लिए प्रेरित करती हैं।

इस सम्मेलन का विषय 'त्वरित कार्य प्रणाली हेतु रणनीतियाँ : नए युग में पदार्पण' रखा गया है, जो कोविड उपरांत विश्व के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। दो वर्ष पहले कोविड महामारी ने पूरे विश्व की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

संपूर्ण विश्व के लिए यह एक अभूतपूर्व परिदृश्य था, जब अचानक सभी उत्पादन कार्य एवं व्यवसाय रुक गए थे। संभवत: यह इस सदी का सबसे बड़ा डिसरप्शन था। परंतु आप सबने मिलकर इसका समाधान निकाला, वर्क फ्रॉम होम की संकल्पना आई, और आज आप सबके प्रयासों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पुन: ट्रैक पर आ रही है।

डिसरप्शन का समय अत्यंत कठिन होता है, परंतु यह हमें नई सीख भी देता है, नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि सम्मेलन के दौरान इस विषय पर आप सभी विशेषज्ञों द्वारा गहन विचार-मंथन किया जाएगा।

इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन के सत्रों के लिए 'कौशल, प्रौद्योगिकी, बाजार तथा सस्टेनेबिलिटी' चार उप-विषय निर्धारित किए गए हैं।

विभिन्न क्षेत्रों से आए भारत और विदेश के अनेक विशेष वक्ता इन सत्रों में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण और विचार रखेंगे, जिनका ताना-बाना एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करेगा।

मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के अंदर विचार-विमर्श तथा यहाँ लिए गए निर्णयों से पूरे विश्व के कॉर्पोरेट जगत को, व्यवसाय जगत को एक नई दिशा मिलेगी। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स के लिए अपने उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा अवसर होगी।

यह सम्मेलन वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सभी हितधारकों को इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का एक उत्तम अवसर है। इस परिचर्चा के दौरान किया गया विचार-विमर्श हमारे भावी मार्ग को सुगम बनाएगा।

व्यवसाय तभी फल-फूल सकेंगे, जब उनमें बदलते माहौल के साथ तेजी से बदलने की क्षमता हो। कंपनी लीडर्स को अपने बिजनेस मॉडल्स के बारे में मंथन कर उनमें बदलाव लाना होगा। संगठनों और उनकी मानव संसाधन टीम को प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने कार्मिकों के कौशल को अप टू डेट रखना होगा।

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संगठन के अग्रणी अधिकारी एक ऐसा प्रभावी और कुशल कार्यबल तैयार कर सकते हैं, जो परिवर्तनशील व्यापारिक परिदृश्य के साथ कदम मिलाकर चलने के योग्य हो।

नित नई प्रौद्योगिकियों के कारण अब तक मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य अब मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं और ऐसे कार्यों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। इस

वजह से वैश्विक श्रम बाजार के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। यदि इस परिवर्तन का रचनात्मक उपयोग किया जाए, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सभी के जीवन में सुधार आएगा। परंतु यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्मिकों की कुशलता में कमी आएगी तथा असमानता और ध्रुवीकरण में वृद्धि होगी।

आज कार्मिकों को एक ही ढर्रे पर कामकाज करने के तरीके बदलकर एक अभिनव कार्यप्रणाली अपनानी होगी और इसके लिए उन्हें सीखने की क्षमता बढ़ाने की इच्छाशक्ति विकसित करनी होगी।

साथ ही जो लोग अपने रोजगार गँवा बैठे हैं, वे अपने कौशल का अन्यत्र उपयोग कर पाएँ अथवा नया कौशल सीख पाएँ, इसमें उनकी सहायता करने में नीति-निर्माताओं, विनियामकों और शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें नए, जल्दी सीखने वाले कार्यबल को तैयार करने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए, जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार लाना और बदलते समय तथा प्रौद्योगिकी के साथ चलने के लिए श्रम और शिक्षा संबंधी नीतियों में परिवर्तन करना शामिल है।

नई प्रौद्योगिकियाँ कारोबार में वृद्धि कर सकती हैं, रोजगार के अवसर सृजित कर सकती हैं और विशेष कौशलों की माँग को बढ़ा सकती हैं। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इनके कारण हमारे मानव संसाधन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन में इस पक्ष पर भी व्यापक विचार-विनिमय होगा तथा इस महत्त्वपूर्ण समस्या का एक उचित समाधान निकलेगा।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आईएफटीडीओ व्यक्ति और संगठन को और कार्यक्षम बनाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास को एक प्रभावी उपाय के रूप में बढ़ावा देता रहेगा।

31

मूलभूत सुविधाएँ–विकास का इंजन*

"माननीय प्रधानमंत्रीजी ने इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चाहे किसान हो, मजदूर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो, उन सारे सेक्टर्स के अंदर लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए काम किया है, अपने इसी विजन के अनुरूप उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को विशेष रूप से नई दिशा दी है।"

राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सीलेंस अवार्ड के इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरीजी तथा उनके विभाग को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्होंने राजमार्ग निर्माण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाली कंपनियों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि उनमें अच्छी एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।

जिन-जिन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वे भी बहुत सोच-समझकर तय किए गए हैं। प्रोजेक्ट प्रबंधन, ऑपरेशंस तथा मेंटेनेंस, टोल प्रबंधन, हाइवे सुरक्षा, नवाचार, ग्रीन हाइवे, कठिन क्षेत्रों में काम, पुल निर्माण एवं टनल निर्माण-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ये सभी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो एक सस्टेनेबल और वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी हैं।

आपके नेतृत्व में मंत्रालय ने पहले से चल रही परियोजनाओं की निगरानी तेज कर दी है। पेंडिंग कार्यों और बाधाओं को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं।

भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरीजी ने भारत के अंदर एनएचएआई और रोड के मामले में अभूतपूर्व काम किए हैं, उनके विजन, उनकी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, नई टेक्नोलॉजी के उपयोग, इनोवेशन और निर्णय की अद्‌भुत क्षमता के कारण इस विभाग ने

* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह, नई दिल्ली, 28 जून, 2022

उत्कृष्टता प्राप्त की है और देश की आम जनता का विश्वास एवं भरोसा सरकार के प्रति निरंतर बढ़ा है।

इस विभाग ने रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जहाँ कई प्रदेशों को जोड़ने का काम किया है, वहीं बड़े आधुनिक एवं नई टेक्नोलॉजी के पुल इत्यादि बनाकर लोगों के लिए आवागमन की सुविधाएँ भी बेहतरीन की हैं। माननीय गडकरीजी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी माननीय सदस्यगण सदन में भी करते हैं, क्योंकि माननीय संसद सदस्यों से निरंतर संवाद-चर्चा करना और चर्चा के बाद त्वरित निर्णय लेना माननीय नितिन गडकरी जी की विशेषता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित
राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह में विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए

माननीय प्रधानमंत्रीजी ने इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चाहे किसान हो, मजदूर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो, उन सारे सेक्टर्स के अंदर लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए काम किया है, अपने इसी विजन के अनुरूप उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को विशेष रूप से नई दिशा दी है।

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर नवनिर्माण एवं विकास के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी विभाग जैसे रेल, रोड, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर, इन सभी विभागों का आपसी समन्वय कर कम

समय एवं कम संसाधनों के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना सरकार का लक्ष्य रहा है।

गतिशक्ति योजना एक ऐसी योजना है, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। जहाँ एक ओर हमारे किसान बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अपनी फसल को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों का भी विकास आसानी से होगा।

गति शक्ति योजना एक समेकित योजना है, जिससे इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में विकास होगा, समृद्धि आएगी, एमएसएमई को लाभ मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी नए रास्ते खुलेंगे।

पहले मैं प्लेन से हरिद्वार जाता था, तो मुझे कई सदस्यों ने सड़क मार्ग से हरिद्वार जाने का सुझाव दिया था। इस बार जब मैं सड़क मार्ग से हरिद्वार गया और रास्ते में मैंने लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि किस प्रकार से हरिद्वार को धार्मिक टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। लोग हरिद्वार धार्मिक टूरिज्म के लिए भी आते हैं और रिवर राफ्टिंग के लिए भी आते हैं, ऐसे उदाहरण आपको देश के विभिन्न हिस्सों में मिलेंगे। यह दिखाता है कि किस प्रकार रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी क्षेत्र का व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास किया जा सकता है।

जब मैं असम गया था, अरुणाचल प्रदेश गया था, उत्तराखंड गया था, तो मैंने देखा था कि किस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में भी रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से, पुल निर्माण के माध्यम से आम जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन आ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा से निकलने वाले दिल्ली–मुंबई कॉरिडोर से लोगों का आवागमन भी सुगम होगा और उस क्षेत्र में इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होगा। कोरिडोर के क्षेत्र में उगाई जाने वाली सब्जियाँ दिल्ली एवं मुंबई के मार्केट में जल्दी पहुँचेंगी, जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा। सरकार की यही योजना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से टूरिज्म, इंडस्ट्रीज से लेकर सर्विस सेक्टर, किसान, मजदूर और हर वर्ग लाभान्वित हो।

आज हमारे देश में रोड नेटवर्क आर्थिक बदलाव का एक प्रतीक बन चुका है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, देश के जिस हिस्से में भी जाता हूँ, मैं हर जगह यही देखता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से कितने व्यापक परिवर्तन आए हैं।

सरकार के प्रयासों से आज हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो लगभग 63 लाख किलोमीटर का है। हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई एक लाख 47 हजार किलोमीटर से अधिक है।

आज 64 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से 40 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है

और शेष 24 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

मुझे खुशी है कि 'भारत माला परियोजना' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वेज, एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवेज और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है। ये हाइवेज हमारे देश के लिए ग्रोथ इंजन सिद्ध होंगे।

माननीय मंत्री जी सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नया विजन ला रहे हैं। आज देश के अंदर प्रतिदिन औसत 40 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। उन्होंने इस वित्त वर्ष में 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजमार्ग निर्माण की यह गति सुचारू रहती है तो 2025 तक भारत में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 लाख किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी।

"निकट भविष्य में हम दुनिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी में सबसे विकसित देश होंगे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या जलमार्ग हो, भारत दुनिया का अग्रणी राष्ट्र होगा।"

आज माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, वह वास्तव में युगांतरकारी है। पूर्व में लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव था। लोग कहते थे कि हमारे पास सड़क होनी चाहिए, बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी सरकार ने नागरिकों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम कर रही है, उससे निश्चित रूप से नागरिकों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन आए हैं।

आज एक ऐसा ढाँचा तैयार किया जा रहा है कि चाहे जैसी भी कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, फाइबर कनेक्टिविटी हो, जलमार्ग हो, हर क्षेत्र में भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है। आज परिवर्तन का एक नया युग शुरू हुआ है, जिसकी आकांक्षा देश की जनता वर्षों से कर रही थी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का आपस में निकट संबंध है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, हमारी लॉजिस्टिक उतनी ही बेहतर होगी। हम लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। हम अपनी लॉजिस्टिक लागत जितनी कम करेंगे, उतना ही दुनिया में आर्थिक प्रतिस्पर्धा में टिक पाएँगे।

आप सबको याद होगा कि किस प्रकार टोल नाके पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगती थी, जिससे समय और ईंधन दोनों व्यर्थ होते थे। आज फास्टैग तकनीक के उपयोग से समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। टोल प्रबंधन के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं।

विभाग का विजन है कि आने वाले समय में देश भर में नेशनल हाईवे से टोल नाके हटा दिए जाएँगे। टोल टैक्स के लिए जीपीएस आधारित तकनीक लाई जाएगी। लगातार कुछ नया करने की सोच ही माननीय गडकरीजी को विशेष बनाती है।

साथियो, मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज आपका मंत्रालय सड़क सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। आपने सड़क पर चलने वाले ड्राइवर्स से लेकर यात्रियों, सभी की सुरक्षा की चिंता की है। दुर्घटना वाले स्थानों (ब्लैक स्पॉट) को चिह्नित कर उनके समाधान का प्रयास किया है। आपने सड़क सुरक्षा को लेकर जो मापदंड बनाए हैं, उनसे भविष्य में निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

आज हमारा देश भविष्य को लेकर अत्यंत आशावान है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। माननीय गडकरीजी की टीम के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में हम दुनिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी में सबसे विकसित देश होंगे। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या जलमार्ग हो, भारत दुनिया का अग्रणी राष्ट्र होगा।

अंत में मैं पुरस्कार विजेताओं को एक बार पुन: बधाई देता हूँ, जो हमारे देश में सड़क और राजमार्ग के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं।

ये पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों का परिणाम हैं। इन पुरस्कारों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का परिवेश बनेगा और सभी हितधारक अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ।

छह

मीडिया और लोकतंत्र

32

विधायिका और मीडिया का अनूठा संगम : संसद टी.वी.*

"संसद टीवी देश का एकमात्र चैनल होगा, जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य होगा।"

आज हमारी संसद का ऐतिहासिक दिन है, जब लोक सभा और राज्य सभा के दोनों चैनलों को एकीकृत कर 'संसद टी.वी.' के रूप में देश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय उप राष्ट्रपतिजी एवं माननीय प्रधानमंत्रीजी का अभिनंदन करता हूँ।

आज पूरा विश्व 'अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस' मना रहा है। दुनिया में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। भारत में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन और कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

एक लंबे संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। हमारे देश के लोकतंत्र की यात्रा सजीव एवं जीवंत रही है। इस सफर में हमने लोकतंत्र को और सशक्त किया है तथा देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन भी लाए हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव के ऐसे क्षण में आज संसद टी.वी. का शुभारंभ बेहद खुशी का मौका है।

वर्ष 1989 में पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय का उद्‌बोधन टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किया गया था। इसके बाद समय

* संसद टी.वी. के उद्‌घाटन समारोह में संबोधन, नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2021

के साथ प्रसारण के दायरे का विस्तार होता गया। वर्ष 2006 में लोक सभा टी.वी. तथा वर्ष 2011 में राज्य सभा टी.वी. के रूप में दो अलग-अलग चैनलों की शुरुआत हुई। चैनल अपना काम और प्रभावी ढंग से करें, इसी उद्देश्य से आज ये दोनों चैनल एकीकृत होकर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 15 सितंबर, 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी।

भारत के तत्कालीन उप राष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से संसद टीवी का लोकार्पण करते हुए

मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टी.वी. संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर पाएँगे।

संसद टीवी देश का एकमात्र चैनल होगा, जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य होगा।

यह चैनल राजनीतिक और नीतिगत घटनाक्रमों पर सटीक जानकारी देगा, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को प्रामाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। यहाँ देश की सांस्कृतिक विविधताओं की झलक दिखेगी तो हमारे समृद्ध गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र की यात्रा के अनुभवों तथा ग्रामीण भारत के विकास के सकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाया जाएगा।

संसद टीवी के माध्यम से हम देश में पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र, संसद तथा संसदीय समितियों तथा विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा कर पाएँगे।

यह चैनल हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायी कार्यों को प्रकाश में लाएगा, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन प्रेरणा ले सकें। चैनल के जरिए देश-विदेश के विशिष्ट महानुभावों के अनुभव और विचार जानने को मिलेंगे जिससे सभी लाभान्वित होंगे।

संसद टी.वी. दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के अभाव को दिखाएगा तो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी देगा।

आज हमारे देश की बहुसंख्य आबादी युवा है। चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि हमारे युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हों, संविधान को जानें, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हों। हमारे युवा देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली अतीत से परिचित हों, हमारा यह भी प्रयास होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद टी.वी. राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों और घटनाओं को पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ दरशाने वाले एक श्रेष्ठ चैनल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा और जागरूकता, जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जनतंत्र को और सशक्त बनाएगा।

33

पत्रकारिता प्रशिक्षण की प्रतिष्ठित संस्था : आईआईएमसी*

"मीडिया की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। मीडिया सरकारों और राजनैतिक दलों की जवाबदेही अवश्य तय करे, लेकिन यह कार्य जन-सरोकारों को केंद्र में रखकर ही होना चाहिए।"

IIMC के सत्रारंभ कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन आप सभी विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण दिन है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान IIMC के साथ आपकी जो यात्रा शुरू हुई है, वह आप सभी के स्वर्णिम भविष्य का पहला पड़ाव है।

भारतीय जन संचार संस्थान देश में पत्रकारिता प्रशिक्षण के क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संस्था रही है। अपनी 56 वर्षों की यात्रा में IIMC ने मीडिया शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बनाई है। यहाँ के छात्र आज देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मीडिया, सूचना और संचार संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारे देश के युवा कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने परिश्रमी हैं। मैं इस सत्र में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को इस उत्कृष्ट केंद्र का हिस्सा बनने पर बधाई देता हूँ।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया इस लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सामाजिक-राजनैतिक चेतना जाग्रत करने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मनीषी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में मीडिया की प्रभावी भूमिका को भली-भाँति समझते थे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वह देश के जनमानस को समझे और बिना किसी भय के उसे मुखर अभिव्यक्ति दे। पत्रकार का दायित्व

* भारतीय जन संचार संस्थान के सत्रारंभ कार्यक्रम में संबोधन, नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2021

है कि वह देश की सामाजिक-राजनैतिक चेतना का वाहक हो। पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र समाज सेवा ही होना चाहिए। महात्मा गांधी के ये वचन, पत्रकारिता के लिए मूलमंत्र हैं और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इन्हें आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र की सफलता इस बात से निश्चित होती है कि वहाँ की मीडिया कितनी स्वतंत्र है तथा कितनी प्रभावी है। मीडिया की भूमिका के बारे में हमारे महापुरुषों की एक स्पष्ट सोच थी। हमें उसी सोच को अपना मार्गदर्शक बनाते हुए आगे बढ़ना होगा।

भारतीय जन संचार संस्थान के विद्यार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए

आज पूरा देश स्वतंत्रता की हीरक जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी 75 वर्षों की यह यात्रा विभिन्न आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रों में हमारी प्रगति की यात्रा रही है। इन 75 वर्षों में भारतीयों ने अपने परिश्रम, इनोवेशन और उद्यमशीलता से देश को सशक्त बनाया है। आज हम प्रगति के जिस पड़ाव पर हैं, वह हमारे किसानों, हमारे

श्रमिकों, उद्यमियों, बहादुर जवानों के साथ-साथ अनगिनत पत्रकारों के भी अथक प्रयासों का प्रतिफल है। पूरी दुनिया हमारी कर्मठता, हमारे नवाचारों, हमारी संकल्पशक्ति और सामूहिकता की शक्ति से परिचित है।

ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और प्रतिभा की गूँज है।

हमें इस बात पर गर्व है कि हमने विकास और समृद्धि की यह यात्रा संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप चलते हुए प्राप्त की है। यह हमारे पत्रकारों और इतिहासकारों के लिए गहन शोध का विषय होना चाहिए कि किस प्रकार हमारा विशाल, विविधतापूर्ण देश आज एकता और सामूहिकता से आगे बढ़ रहा है।

आज मीडिया का प्रसार अत्यंत व्यापक है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण आपकी खबरें देश के कोने-कोने में तत्काल पहुँच रही हैं। प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते आयाम से पत्रकारिता का दायरा अतीत की तुलना में व्यापक रूप से बढ़ा है। इससे आपकी पहुँच और आपकी शक्ति तो बढ़ती ही है, परंतु इससे आपका दायित्व भी कई गुना बढ़ जाता है।

स्वतंत्रता के समय देश में मीडिया की संख्या भी कम थी और उनकी रीच भी सीमित थी। परंतु उस समय भी वे राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर जनमत का निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आज आपका दायित्व है कि आप अपनी स्टोरीज के माध्यम से जनता को शिक्षित करें, सही सूचना का प्रसार करें तथा देश में एक रचनात्मक और सकारात्मक संदेश पहुँचाने का प्रयास करें।

आप सभी पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए कि मीडिया को रेस्पांसिबल, रेस्पांसिव तथा रीचेबल होना बहुत जरूरी है।

मैंने देखा है कि हमारी मीडिया ज्यादातर बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती है। पर आपको वास्तविक स्टोरीज हमारे गाँवों में, हमारे किसानों-मजदूरों के पास मिलेंगी। ग्रामीण भारत ही हमारे देश की आत्मा है। आपको उस आत्मा तक पहुँचना होगा।

मीडिया की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। मीडिया सरकारों और राजनैतिक दलों की जवाबदेही अवश्य तय करे, लेकिन यह कार्य जन-सरोकारों को केंद्र में रखकर ही होना चाहिए।

मीडिया शासन-प्रशासन तथा जनता के बीच द्विपक्षीय संवाद को सुगम बनाता है और दोनों के बीच पुल का काम करता है। महामारी के इस दौर में मीडिया की यह भूमिका और

अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। संक्रमण के विरुद्ध इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मेरा मानना है कि डिजिटल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया ने देश और दुनिया में एक बड़ी जनसंचार क्रांति को जन्म दिया है। इसने जन-सामान्य को बड़ी सरलता से आपस में जोड़ा है।

पत्रकारिता का मुख्य काम लोक शिक्षण है, जिसे याद रखना बहुत आवश्यक है। लोक शिक्षण के लिए आवश्यक है कि मीडिया आत्मशिक्षण भी करे। आपको पत्रकारिता को मात्र एक व्यवसाय अथवा एक कॅरियर के रूप में नही लेना है, बल्कि एक पत्रकार के रूप में आप समाज की चेतना के रक्षक बन जाते हैं। समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना को राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना भी पत्रकारिता का दायित्व है।

"एक पत्रकार के रूप में आप समाज की चेतना के रक्षक बन जाते हैं। समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना को राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना भी पत्रकारिता का दायित्व है।"

जब आप रिपोर्टिंग का काम करेंगे तो आपके ऊपर कई प्रकार के दबाव भी आएँगे, प्रलोभन भी आएँगे। वैसे समय में आपके सामाजिक दायित्व आपको सही मार्ग दिखाएँगे। आप यह याद रखें कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं। आपको सच को ही समाज के सामने रखना होता है। अत: आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, निर्भीक रहें, निडर रहें, निष्पक्ष रहें और सच पर अड़े रहें। यह एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य है।

आज से आप अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप सदैव याद रखें कि आप पत्रकार होने के साथ-साथ इस देश के भविष्य भी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। एक पत्रकार के रूप में आप अपने कार्यों से राष्ट्र-निर्माण के लिए अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं, एक स्वस्थ तथा ज्ञानयुक्त पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं।

34

शासन और जनता के बीच सेतु मीडिया*

"आज के कार्यक्रम का विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा भारत कैसे अपने लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है', बेहद महत्त्वपूर्ण और सामयिक है।"

ऑनलाइन न्यूज पोर्टल प्रभासाक्षी डॉट कॉम की 20वीं वर्षगाँठ पर पोर्टल के समस्त परिवार को हार्दिक बधाई। आपका पोर्टल वर्ष 2001 में उस समय आरंभ हुआ था, जब देश में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभिक कालखंड था। उस समय ज्यादातर ऑनलाइन न्यूज अंग्रेजी में ही होते थे। ऐसे में हिंदी पाठकों के लिए आपका यह प्रयास पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन बीस वर्षों में आपका पोर्टल पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ है।

मैंने आपका पोर्टल देखा है। आपके कंटेंट में व्यापक रूप से विषयों को कवर करते हुए उसे रुचिकर तथा पठनीय तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। यही आपकी लोकप्रियता का कारण है।

आज के कार्यक्रम का विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा भारत कैसे अपने लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है', बेहद महत्त्वपूर्ण और सामयिक है।

हमारी आजादी की लड़ाई सत्य, अहिंसा और व्यापक जनभागीदारी पर आधारित थी। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद और समृद्ध भारत का सपना देखा। सामाजिक-आर्थिक न्याय पर आधारित समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश की आजादी के नायकों और हमारे मनीषियों ने देश के लिए संविधान की रचना की। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधारभूत मूल्यों को शामिल किया गया।

---

* प्रभासाक्षी डॉट कॉम द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भाषण, नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

पिछले 75 वर्षों में हमारे लोकतंत्र की यात्रा गौरवशाली रही है। इसी संदर्भ में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा आजादी का यह अमृत महोत्सव 21वीं सदी के भारत के लिए एक युगांतरकारी आयोजन है। यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को उनके गौरवमय अतीत, समृद्ध इतिहास एवं जीवंत सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाएगा।

आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें हर क्षण देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा।

लोकतंत्र भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में रचित मैग्ना कार्टा को भले ही आधुनिक जगत में लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता हो, परंतु भारत में हमें लोकतंत्र हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास की एक बहुमूल्य विरासत के रूप में मिला है।

"मीडिया शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। लोकतंत्र के सशक्तीकरण में इसका व्यापक योगदान है। स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करता है।"

आज भारत के लोकतंत्र की शक्ति देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। यही कारण है कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए भारत प्रेरणा का आदर्श स्रोत है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरंत बाद हमारे लिए पहली चुनौती थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए किस प्रकार अपने देशवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएँ। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारे मनीषियों ने अपने समय का सबसे प्रगतिशील एवं विकास उन्मुखी संविधान बनाया। उसमें नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा भी निर्धारित की गई।

संविधान में शासन के तीनों अंगों—विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कर्तव्य निर्धारित किए गए एवं उनकी सीमाएँ भी निर्दिष्ट की गईं। इससे उनके बीच परस्पर सद्भावपूर्ण संबंध विकसित हुए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए यह अनिवार्य था।

लोकतंत्र में शासन के तीनों ही अंग जनता की सेवा एवं संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र तभी सशक्त हो सकता है, जब ये तीनों अंग जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करें।

इसके साथ-साथ लोकतंत्र में मीडिया का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। मीडिया शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। लोकतंत्र के सशक्तीकरण में इसका व्यापक योगदान है। स्वतंत्र, सशक्त और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसलिए एक सकारात्मक और उत्तरदायी मीडिया के रूप में आपकी भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पिछले सात दशक में हमारी लोकतांत्रिक यात्रा अत्यंत सजीव और जीवंत रही है और हमने लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है। हम देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं।

"लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इसी में है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी स्वयं को शासन का अंग समझे तथा देश की विकास प्रक्रिया में स्वयं को बराबर का हिस्सेदार समझे।"

हमारे लोकतंत्र की शक्ति एवं सशक्त बुनियाद इस बात से भी साबित होती है कि देश में लोक सभा एवं विधान सभा के 400 से भी अधिक आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों के बाद सत्ता-परिवर्तन पूर्णत: शांतिपूर्ण तथा बिना किसी मन-मुटाव या टकराव के हुए हैं। इन चुनावों में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। इससे पता चलता है कि हमारी जनता सजग है, जागरूक है और सतर्क भी है।

संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद एवं विधान मंडलों में अभिव्यक्त होती है। अलग-अलग राजनीतिक दल के सदस्य सदन में विभिन्न विषयों पर अपनी विचारधारा के अनुसार अपनी बात रखते हैं। परंतु उनके प्रयासों के केंद्र में जनता का विकास और उनकी कठिनाइयों-अभावों को दूर करना ही होता है।

संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। यहाँ नागरिकों की आस्थाओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है, उनके कल्याण के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ सदन में किए जाने वाले विचार-विमर्श के माध्यम से कार्यपालिका के अंदर व्यापक जवाबदेही तथा पारदर्शिता तय की जाती है।

इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सदन में सभी जनप्रतिनिधि जनता के कल्याण से संबंधित विषय उठाएँ तथा बिना किसी व्यवधान के चर्चा-संवाद के द्वारा नागरिकों की समस्याओं का हल निकालें। एक प्रभावी सदन जनता की आकांक्षा ही नहीं बल्कि उनका अधिकार भी है।

एक सजग, सतर्क, न्यायप्रिय एवं जिम्मेदार सांसद और संसद निश्चय ही लोकतंत्र को मजबूत करने के सबसे सशक्त माध्यम हैं। संसद एवं विधान मंडलों की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सदस्य सदैव जनता की आवश्यकता और अपेक्षाओं के प्रति सचेत और संवेदनशील रहें और उनकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।

अभी तक हम लोकतंत्र में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं। परंतु अब समय आ गया है, जब हम प्रतिनिधित्व से भी आगे बढ़कर भागीदारी की बात करें। लोकतंत्र को सही मायने में सशक्त तभी बनाया जा सकेगा, जब इसमें युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इसी में है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी स्वयं को शासन का अंग समझे तथा देश की विकास प्रक्रिया में स्वयं को बराबर का हिस्सेदार समझे। हमने लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुँचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अब लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों एवं ऑटोनॉमस काउंसिल जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं का सशक्तीकरण बेहद आवश्यक है।

लोकतंत्र सफल एवं सशक्त तभी हो सकता है, जब प्रशासन के साथ-साथ हमारी गैर-सरकारी संस्थाएँ, सिविल सोसाइटी, समाजसेवी संस्थाएँ, हमारी मीडिया, इत्यादि जिम्मेदारी तथा राष्ट्रसेवा की भावना से कार्य करें तथा नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करें।

कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस प्रकार सरकार के साथ-साथ देश के हर एक व्यक्ति ने, हर एक संस्था ने सामूहिक भावना के साथ अपना योगदान दिया तथा अपने आस-पास लोगों की मदद करने का कार्य किया।

मीडिया ने कोरोना काल में भी जनता को जागरूक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए हम कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर सके। यदि हममें से हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने दायित्वों को पूर्ण करे तो लोकतंत्र की शक्ति और बढ़ेगी तथा हम एक समृद्ध, शांतिपूर्ण एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे।

35

प्रतिभाओं का सम्मान–अचीवर्स अवाड्र्स*

"स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है अपितु यह आम जनता और प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करता है।"

गुवाहाटी के इस ऐतिहासिक शहर में आप सबके बीच आकर और असम के 'प्रतिदिन मीडिया ग्रुप' द्वारा शुरू किए गए 'अचीवर अवार्ड' समारोह में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। कामाख्या माता की नगरी गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश–द्वार है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इस शहर को आस–पास मौजूद पर्वत–श्रृंखला और भी आकर्षक बना देती है।

गुवाहाटी एक ओर असम का वाणिज्यिक केंद्र है, वहीं यह राज्य का शैक्षिक केंद्र भी है। मैं भी यहाँ आकर असम के लोगों के प्रेम और स्नेह से अभिभूत हो गया हूँ।

असम की बात करते हुए सबसे पहले असम के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई की याद आती है। एक विजनरी नेता के रूप में उन्होंने देश के पूर्वोत्तर कोने से एकता की सरिता प्रवहमान की। आज यहाँ से मैं पद्म पुरस्कार और फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से विभूषित स्व. श्री भूपेन हजारिका का भी स्मरण करता हूँ।

हम सभी जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है अपितु यह आम जनता और प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में भी काम करता है।

'सदिन प्रतिदिन' समूह अपने दैनिक और साप्ताहिक समाचार–पत्रों, महिला पत्रिका और लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। इस

---

* असम के प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के अचीवर्स अवाड्र्स समारोह में संबोधन, गुवाहाटी, असम, 24 दिसंबर, 2021

समूह ने असम की सभी जनजातियों और समुदायों को एकजुट करने तथा उनकी समृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

मैं आज के समारोह में पुरस्कार पाने वाले सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ। आप सभी ने कला और संस्कृति, पत्रकारिता और खेल, विज्ञान, समाज-सेवा, व्यापार और पर्यावरण जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से असम और देश को गौरवान्वित किया है।

प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के अचीवर्स अवार्ड्स समारोह में उद्घाटन भाषण देते हुए

हमारे देश में सर्वप्रथम अखबारों का प्रकाशन करीब 240 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक अखबार अंग्रेजी में थे, लेकिन जब देशी और हिंदी भाषा में अखबार छपने लगे, तो एक सामाजिक क्रांति उत्पन्न हुई। इन अखबारों ने अंग्रेजों के जुल्म और स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को जनता के सामने रखने में अहम भूमिका निभाई। ये अखबार भारतीय जनमानस के विवेक और चिंतन को स्पर्श करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में अखबारों ने प्रारंभ से ही सामाजिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। यही कारण रहा कि पत्रकारिता को हमारे यहाँ सदैव से ही मिशन की संज्ञा दी गई।

महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तक आप किसी भी मनीषी का नाम ले लें, सभी ने स्वयं को किसी-न-किसी अखबार से न सिर्फ संबद्ध किया, बल्कि लंबे समय तक उनमें लेखन भी किया।

आजादी से पहले समाचार-पत्रों ने देशवासियों को स्वयं को मातृभूमि के लिए समर्पित करने की प्रेरणा दी। वहीं आजादी के बाद अखबार देश की प्रगति के पथ-प्रदर्शक बने।

अखबारों ने सरकारों के कार्यों पर निगरानी की तथा विपक्ष को जागरूक रखने की भूमिका भी बेहद जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ निभाई।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी मीडिया की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई।

पिछले 75 वर्षों में जो भी चुनौतियाँ आईं, मीडिया जगत ने उसका मुखरता से सामना किया तथा जनता के विश्वास और देश के भरोसे को बनाए रखा। लेकिन अब समय के साथ बदलते स्वरूप में मीडिया के स्वरूप और कार्य करने की पद्धति में बदलाव आया है, जिसमें सुधार की आवश्यकता भी जताई जाने लगी है।

मीडिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना। सोशल मीडिया के जमाने में आजकल सूचनाओं का वायरल होना आम बात हो गई है। खबर सही हो या गलत तुरंत फैल जाती है। इनमें गढ़ी हुई खबरें तथा गलत खबरें भी होती हैं। इन गढ़ी हुई और झूठी खबरों को ही हम फेक न्यूज के नाम से पहचानते हैं। फेक न्यूज का जो मकड़जाल है, उसने आम लोगों को उलझा दिया है और मीडिया की विश्वसनीयता को कसौटी पर ला खड़ा किया है।

ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह नकारात्मक है। इसका उजला पक्ष हमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था, जब एक ट्वीट पर या एक फेसबुक पेज पर लोग मदद के लिए उमड़ पड़ते थे। कोरोना के उस चुनौतीपूर्ण समय में सोशल मीडिया लाखों लोगों तक मदद पहुँचने का सहारा बना था। लेकिन उसी दौरान हमें इंफोडेमिक से भी जूझना पड़ा था। इसके बारे में मीडिया के मेरे साथी बेहतर समझते हैं।

इसी कारण मैंने कहा कि मीडिया की अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना होगा। हमें अपनी खबरों को इतना प्रामाणिक करना होगा कि हम फेक न्यूज के इस भ्रमजाल को तोड़ सकें। आमजन का मीडिया पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब भी कोई न्यूज सामने आए, वह उस समाचार-पत्र या चैनल की वेबसाइट पर जाकर या किसी भी माध्यम से संपर्क कर खबर को चेक और कन्फर्म कर सके। जब यह आदर्श स्थिति आ जाएगी, तो हम फेक न्यूज को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल हो जाएँगे।

यह विश्वसनीयता आप लोगों को ही उत्पन्न करनी है। आपके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान इस प्रकार हो कि कोई सही और जनोपयोगी सूचना छूटे नहीं और कोई गलत और भ्रामक सूचना आगे बढ़े नहीं।

एक और चीज, जो मुझे अब मीडिया में अधिक दिखाई देने लगी है, जो मुझे चिंतित भी करती है, वह है नकारात्मक खबरों को मिल रही प्रमुखता। निगेटिव समाचार हमारे

अखबारों के स्पेस और टीवी चैनलों के स्क्रीन पर अधिक दिखाई देते हैं। इसमें समाज में हो रहे सकारात्मक कार्य और परिवर्तन कहीं पिछड़ से जाते हैं।

यदि मैं सदन की कार्यवाही का ही उदाहरण दूँ, तो हंगामे को पूरा दिन दिखाया जाता है, सदन में डिबेट नहीं होने पर शाम को प्राइम टाइम में डिबेट भी होती है। लेकिन यदि सदन शांतिपूर्ण चले, सदन में विधेयक पर या जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो, तो वह उतनी प्रमुखता से सामने नहीं आ पाता। यह स्थिति उचित नहीं है। हमें सकारात्मक खबरों को, सकारात्मक विमर्श को अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि निगेटिव खबरों को दिखाया ही नहीं जाए, परंतु उनको अनावश्यक विस्तार दिए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है।

समाचार-पत्रों और मीडिया ने शासन की जवाबदेही और कार्यों में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। मीडिया अब सामाजिक सरोकारों को भी प्रोत्साहित कर रही है। मीडिया के माध्यम से अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है।

ऐसे सम्मान न केवल पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को बढ़ावा देते हैं, अपितु दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन्हें देखकर समाज में एक भावना का निर्माण होगा कि यदि सभी अपने कर्तव्य समर्पण और संकल्प भावना के साथ करेंगे, तो हम सामाजिक-आर्थिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करते हुए नए भारत का निर्माण कर सकेंगे।

मीडिया सरकार और देश के नागरिकों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। जनता मीडिया पर विश्वास करती है, क्योंकि यह लोगों को प्रेरणा देने और उन्हें एकजुट करने का कार्य करता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

सात

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

36

सुलभ-सस्ती स्वास्थ्य सेवा*

"मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।"

संत परमानंद अस्पताल के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह हर्ष का विषय है कि इस 102 बिस्तर वाले अस्पताल को अति-आधुनिक विश्वस्तरीय ऑर्थोपेडिक अस्पताल बनाने की संकल्पना की गई है। मुझे आशा है कि इस अस्पताल से दिल्ली तथा आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सुविधा और भी अच्छे तरीके से दी जा सकेगी।

रेवाड़ी के भागवत भक्ति आश्रम के महात्मा संत परमानंदजी महाराज के आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है कि चिकित्सा और देखभाल के क्षेत्र में संत परमानंद अस्पताल ने इतनी ख्याति प्राप्त की है। आज दिल्ली के अंदर आपके अस्पताल का एक नाम है, आपसे लोगों की आशाएँ जुड़ गई हैं। आपके लिए यह प्रसन्नता के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी विषय है।

यह अस्पताल 1933 में नेत्रालय के रूप में शुरू किया गया था और अब यहाँ सभी बीमारियों के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं तथा यहाँ ज्वॉइंट रिप्लेसमेंट, विश्वस्तरीय प्रसूति सेवाएँ, आर्थोस्कोपिक सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी और एम.आई. सर्जरी हेतु उत्कृष्ट केंद्र (सेंटर फॉर एक्सिलेंस) मौजूद हैं।

संत परमानंद जी का मानना था कि 'दृढ़ निश्चय से जिस कार्य को करने का संकल्प लिया जाए और फिर उस दिशा में अथक परिश्रम किया जाए, तो निश्चय ही मनुष्य की हरेक इच्छा पूरी हो सकती है।'

---

* संत परमानंद अस्पताल परिसर के उद्घाटन के अवसर पर संबोधन, नई दिल्ली, 27 मार्च, 2022

वास्तव में संत परमानंद स्पेशल सर्जरी अस्पताल ऐसी ही एक इच्छा की पूर्ति है। इस योजना से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में निहित विश्वास, संकल्प और परिश्रम ने इस इच्छा को पूरा करने में सहयोग दिया है। महाराजजी ने सेवा की जिस भावना को आत्मसात करने की सीख दी थी, यह अस्पताल उसी भावना को आगे बढ़ाता है। मैं इस उपलब्धि के लिए आपमें से प्रत्येक को हार्दिक बधाई देता हूँ।

संत परमानंद अस्पताल परिसर के उद्घाटन के अवसर पर

हमारे समाज में ऐसे कई वर्ग हैं, कई व्यक्ति हैं, जो आर्थिक कमजोरी की वजह से अपना उत्तम इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने की दिशा में किए गए प्रत्येक प्रयास के पीछे महात्मा संत परमानंदजी सदैव ही सबके प्रेरणास्रोत रहे हैं। मैं महाराज जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने मानवता की सेवा करने की सोच रखी और उस दिशा में कार्य किया।

महाराजजी ने अहंभाव को त्यागकर सेवाभाव के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया, जो परमब्रह्म की प्राप्ति का सन्मार्ग है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संत परमानंद अस्पताल भी सबकी सेवा करने हेतु उसी पथ पर अग्रसर है।

अपनी स्थापना से अब तक संत परमानंद अस्पताल ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करके इस क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित किए हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता के कारण आज यह अस्पताल मेडिकल के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक बन गया है।

'समर्थ वर्ग से शुल्क लेने और वंचित वर्ग का नि:शुल्क उपचार करने' की इस अस्पताल की कार्यप्रणाली अनूठी है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति, जो भुगतान करने में समर्थ हैं,

उन्हें अस्पताल से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु भुगतान करना चाहिए। अस्पताल के रखरखाव हेतु अस्पताल की फीस का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

मुझे बताया गया है कि यह अस्पताल हर साल जरूरतमंद लोगों को इलाज में लगभग 6–7 करोड़ रुपए तक की नकद छूट देता है। अस्पताल द्वारा नि:शुल्क नेत्र शिविर, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, नि:शुल्क ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं जैसी धर्मार्थ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस अस्पताल द्वारा अंधेपन और पोलियो उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं।

मुझे विश्वास है कि यह अस्पताल आने वाले समय में अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करेगा और अपने संत परमानंदजी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर निरंतर चलता रहेगा।

इस स्पेशल सर्जरी अस्पताल के उद्घाटन से गंभीर समस्याओं से जूझ रहे आर्थोपेडिक्स रोगियों को बहुत लाभ होगा। अस्पताल नवीनतम चिकित्सकीय उपकरणों से सुसज्जित है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य, अनुभवी और समर्पित डॉक्टरों की टीम यहाँ उपलब्ध है।

मुझे बताया गया है कि अस्पताल ने ज्वॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए पूरी तरह से स्वचालित रोबोट खरीदा है, जो दुनिया का नवीनतम और सबसे उन्नत स्वचालित रोबोट है। इससे निश्चित रूप से सभी रोगियों को लाभ होगा।

मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

माननीय संसद सदस्यों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मैं स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन को प्रोत्साहित करता हूँ। ये शिविर और कार्यक्रम अन्य बीमारियों के साथ-साथ हेपेटाइटिस, ब्रेस्ट कैंसर, तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक-से-अधिक निवेश कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब-से-गरीब व्यक्ति को भी स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले।

स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को सुगम बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का काम कर रहे हैं। देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों का एक साथ कार्यान्वयन करने से हम सभी स्तरों पर मेडिकल केयर की प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था में खामियों को दूर करने में सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता के अधिकतम उपयोग के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में एक रेसिलिएंट, स्थायी, समावेशी और व्यवधान रहित स्वास्थ्य देखभाल-तंत्र विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं। हमारी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचना को सुधारने के लिए देश के पिछड़े जिलों में 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना बना रही है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को रोगी की पृष्ठभूमि, उनके टेस्ट और उनकी रिपोर्टों की ट्रेकिंग की सुविधा से युक्त एक विशिष्ट हेल्थ आईडी जारी किए जाने से निश्चित रूप से लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार होगा। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को और सशक्त करने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

मुझे विश्वास है कि इन पहलों से हमारी जनता को 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' अभियान की सच्ची भावना के अनुरूप एक समान, कुशल, प्रभावी, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

मेरा यह भी मानना है कि 'फिट इंडिया और स्वच्छ भारत' जैसे अभियानों से हमारे देश में 'स्वास्थ्य ही धन है' जैसा मूल मंत्र पूरी तरह से साकार हो सकेगा।

मेरे लिए आज यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि संत परमानंद अस्पताल ने देश में महामारी के चरम पर होने के दौरान भयावह स्थिति में भी रोगियों के मन में विश्वास की भावना पैदा करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।

श्री महाराज जी ने लोगों को यह उपदेश दिया कि "सभी आपके हैं और आप सभी के हैं।" संत परमानंद अस्पताल जीवन के इस पहलू को पूरी तरह से साकार करता है। मानव जाति की सेवा हेतु आपने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए मैं इस अस्पताल से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नमन करता हूँ।

लोगों का जीवन बचाने के लिए यहाँ के डॉक्टरों, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने अनुकरणीय और असाधारण प्रयास किए हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी लगन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करेंगे और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करेंगे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय के साथ यह अस्पताल अपनी अवसंरचना को उन्नत करता रहेगा, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। साथ ही समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा करता रहेगा।

37

स्वस्थ तन-मन के लिए खेलों का महत्त्व*

"खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है।
तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए खेल बहुत जरूरी हैं।"

गुलाबी नगरी जयपुर में आज आप सम्मानित डॉक्टर्स के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। समर्पित भाव से सेवा करने वाले, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने वाले डॉक्टर्स स्वयं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए भी नियमित तौर पर खेलों में भागीदारी करते रहते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है।

मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग अब तक जिस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 'टैबलिंटन' का आयोजन जिला स्तर पर करते आ रहे हैं, अब उसका आयोजन आप नेशनल लेवल पर करने जा रहे हैं।

जयपुर की डॉक्टर कम्युनिटी अपनी हेल्थ को लेकर तथा आपसी मेल-जोल बढ़ाने के लिए यह जो कदम उठा रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके इस कार्यक्रम की सराहना करता हूँ।

आपने मुझे बताया है कि जब इस वर्ष सितंबर में आप टैबलिंटन का आयोजन करेंगे, तो करीब एक हजार डॉक्टर्स पूरे देश से इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। टूर्नामेंट में खेलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। टूर्नामेंट का यह विस्तार निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है। इससे आपके और साथी भी इस आयोजन से जुड़ेंगे।

खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए खेल बहुत जरूरी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन-शैली और तकनीक आप डॉक्टर्स से बेहतर तो कौन बता पाएगा! इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा शुरू किया गया यह खेल आयोजन समाज के अन्य वर्गों एवं लोगों को भी प्रेरित करेगा।

डॉक्टर्स की बात ही ऐसी होती है कि जो कह दिया उसे लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं। उस पर काम करते हैं। आपकी बात कभी हल्के में

* जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 'टैबलिंटन' कार्यक्रम में संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 25 मई, 2022

नहीं ली जाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी आपकी यह सक्रियता देखकर प्रेरित होंगे।

दो साल पहले कोरोना महामारी के समय पूरी दुनिया जब इस असमंजस में थी कि इस बीमारी से कैसे बचाव होगा? इस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा! तब आप डॉक्टर्स ने तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने संकटमोचक बनकर काम किया। अनेक डॉक्टर्स ने दिन-रात मेहनत कर लाखों लोगों का जीवन बचाया और कोरोना से जंग में अपना जीवन भी न्योछावर कर दिया। मैं उन सभी डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

'जयपुर डॉ. वेलफेयर सोसायटी के टैबलिंटन' कार्यक्रम में संबोधित करते हुए

डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वह ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे, जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे? लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौके पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं।

कोरोना के समय में हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों, सभी ने मिलकर जो काम किया है, वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

पूरे देश के लिए यह खुशी की बात है कि अभी हाल ही में आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में मजबूत कड़ी के रूप में आशा बहनों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका

है। परिवार कल्याण और जन स्वास्थ्य के प्रति उनके निस्स्वार्थ समर्पण का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

मेरा अपना अनुभव है कि राजस्थान के डॉक्टर्स बड़े कुशल हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। बस जरूरत है नई तकनीक के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अपडेट और आधुनिक बनाने की।

आज राजस्थान दुनिया भर में अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। हम चाहते हैं कि इसी तरह आने वाले समय में राजस्थान दुनिया में मेडिकल हब के रूप में जाना जाए। हमारा यह सपना है कि बड़ी-से-बड़ी बीमारी का इलाज हमारे प्रदेश राजस्थान में सुलभ हो। यहाँ के गाँवों, कस्बों और हरेक नगर में उन्नत तकनीक से युक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि गाँव के आदमी को भी उसी के गाँव में वह इलाज मिल सके, जिसके लिए उसे महानगरों में जाना पड़ता है। हमारे गाँवों में हेल्थ सिस्टम के विकास एवं जन-जन में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।

राजस्थान में दुनिया का बेहतर-से-बेहतर इलाज हो सके, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ इतनी सुविकसित और सुलभ हों, इसके लिए आप डॉक्टर्स को नए रिसर्च और नई तकनीक के विकास पर भी काम करना होगा।

राजस्थान में योग और आयुर्वेद जैसी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा हेल्थ सिस्टम डेवलप हो, जहाँ सभी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश हो।

कोरोना से पहले हमारे यहाँ मेडिकल क्षेत्र में आधारभूत संरचना की कहीं न कहीं एक कमी थी। कोरोना के दौर में हमने अपने हेल्थ सेक्टर को डेवलप किया है। बड़े स्तर पर वेंटीलेटर, दवाओं का उत्पादन हुआ है। ऑक्सीजन और बेड्स के मैनेजमेंट में सुधार हुआ है। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं तथा आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है।

भारत ने अपने बल पर दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया है। हमने अपने लेवल पर वैक्सीन, मास्क, पीपीई किट्स का प्रोडक्शन किया। हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने 135 करोड़ देशवासियों की पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की, यह बड़ी बात है। आपकी सेवा, आपका श्रम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के हमारे संकल्प को सिद्ध करता है।

आपमें से अनेक डॉक्टर्स महीने या साल में प्रायः निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाते होंगे। आपमें से बहुत से लोग किसी एनजीओ के साथ जुड़े होंगे, अनेक डॉक्टर कई मौकों पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने का काम करते होंगे। आपके ये कार्य अनुकरणीय हैं। निःशुल्क

स्वास्थ्य शिविर से समाज का वह तबका लाभान्वित होता है, जो कहीं न कहीं अच्छे इलाज से वंचित रह जाता है।

जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है, तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है, तो वह निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते कुछ वर्षों में हमारे हेल्थ सेक्टर में जितनी भी योजनाएँ लागू की गईं, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे यही सोच है।

मैं आपसे आज यह अपील करता हूँ कि आप अपने सेवा कार्यों का विस्तार करें। आप सप्ताह में कोई दिन, दिन का कोई समय, या महीने में विशेष दिन निर्धारित कर सकते हैं, जब आप जरूरतमंद मरीजों को फ्री उपचार व परामर्श दें। इस दायित्व को देश और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी मानकर गंभीरता से निभाएँ। मानवता के हित में निश्चित ही यह आपका बड़ा योगदान होगा।

मैंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा-बूँदी में 'हर गाँव स्वस्थ-हर परिवार स्वस्थ' एक हेल्थ कैंपेन चलाया है। इसमें मेरी सोच है कि गाँव-गाँव में भी यदि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, तो उसका संपूर्ण निदान हो। इसके लिए पंचायत समितियों के स्तर पर हम नि:शुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन करते हैं।

मेरा प्लान है कि गाँव का कोई व्यक्ति उस कैंप में आकर अपनी जाँच करवाए। जाँच में जो बीमारी सामने आती है, उसका इलाज यदि वहाँ संभव है, तो वहाँ हो जाए, सीएचसी में संभव है, तो वहाँ हो जाए, जिला अस्पताल में संभव हो, तो वहाँ इलाज हो जाए। गाँव-कस्बे का हर एक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य सबका अधिकार होना चाहिए; इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

हमारे देश के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में अपना कौशल, अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। भारत के चिकित्सकों की काबिलियत दुनिया में सबसे बेहतर है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और विकसित देश हैं, हम जहाँ भी देखते हैं, वहाँ हेल्थ सेक्टर में भारत के डॉक्टर सबसे ज्यादा मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे मानव संसाधन की यह क्षमता, हमारे देश की यह ऊर्जा ही हमें 21वीं सदी में शीर्ष पर पहुँचाएगी।

जब हम कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में भारत की सदी होगी, जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा; तब यह स्वाभाविक है कि ऐसा भारत स्वस्थ और निरोगी भारत होगा। स्वस्थ और नीरोगी भारत बनाने की यह बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप अपने प्रयासों में सफल हों, भारत की भावी तरक्की के प्रमुख भागीदार बनें, ऐसी शुभकामनाएँ मैं आपको देता हूँ।

आठ

विविध

38

लोकतंत्र के बिरवा*

"हमारे बालक समाज के, देश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं, हमारे कर्णधार हैं। उनके संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करना मात्र हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।"

प्यारे बच्चो, आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमारे बालक समाज के, देश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं, हमारे कर्णधार हैं। उनके संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करना मात्र हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।

आप हमारे भावी नीति-निर्माता हैं, देश की लोकतांत्रिक एवं विकास-यात्रा को गति देने वाले हैं तथा एक विकसित और समृद्ध देश के निर्माण के लिए कार्य करने वाले हैं। यही कारण है कि हमारा संविधान बालकों के अधिकारों के प्रति इतना सचेत रहा है।

हमारा संविधान एक अत्यंत प्रगतिशील दस्तावेज है, हमारे संविधान निर्माताओं की एक अनुपम देन है। यह देश की लोकतांत्रिक चेतना एवं आकांक्षाओं का वाहक रहा है। हमारा संविधान नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का एक अद्‌भुत मिश्रण है, जिसका उद्‌देश्य यही रहा है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र-निर्माण एवं विकास में अपना अधिकतम योगदान करने का उचित अवसर मिल सके।

संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि शासन के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएँ निर्धारित हैं। सभी अंगों से यही अपेक्षा होती है कि वे संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर आपसी सामंजस्य की भावना से कार्य करेंगे। हमारा अभी तक का अनुभव यही रहा है कि सामान्यत: शासन के सभी अंगों ने अपने क्षेत्राधिकार में ही रहकर कार्य किया है। इसी भावना को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

---

* राजस्थान विधान सभा के 'विधान सभा बाल सत्र' में संबोधन, जयपुर, राजस्थान, 14 नवंबर, 2021

आप जानते हैं कि जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है। वे प्रतिनिधि विधान मंडल में अपने मतदाताओं के कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा-संवाद करते हैं, उन्हें कार्यपालिका के समक्ष रखते हैं, ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके।

आपने जो अभी 'प्रश्न काल' तथा 'शून्य काल' का संचालन किया, वे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका है। जिस प्रकार आपने अपने महत्त्वपूर्ण विषयों को उठाया तथा उन पर 'सरकार' का जवाब माँगा, उसी प्रकार संसद में भी तथा राज्यों के विधान मंडलों में भी माननीय सदस्य लोक महत्त्व के विषय उठाते हैं तथा उन पर सरकार के उत्तर की माँग करते हैं।

राजस्थान विधान सभा में 'विधान सभा बाल सत्र' को संबोधित करते हुए

प्रश्न काल संसदीय पद्धति का सबसे महत्त्वपूर्ण समय होता है। यह लोकतंत्र की आत्मा है, एक पारदर्शी जवाबदेह सरकार के निर्माण का माध्यम है। एक घंटे का यह समय कार्यपालिका की जनता के प्रति जवाबदेही, उनके कार्यकरण में पारदर्शिता तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी के लिए समर्पित है।

इसी प्रकार शून्य काल का समय भी लोक महत्त्व के अविलंबनीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। इस संसदीय पद्धति से माननीय सदस्य ज्वलंत मुद्दों को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हैं। शून्य काल हमारे विशिष्ट संसदीय लोकतंत्र का एक नवाचार है, क्योंकि इस काल का उल्लेख संसदीय नियम अथवा प्रक्रियाओं में नहीं मिलता। इसका आरंभ

इसलिए किया गया, ताकि जन-प्रतिनिधि लोक महत्त्व के विषय तत्काल सदन में उठा सकें।

मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दो वर्षों में संसद में प्रक्रियागत कई सुधार किए गए हैं, ताकि लोक महत्त्व के विषयों पर और त्वरित कार्यवाही हो सके। इन सुधारों में सबसे महत्त्वपूर्ण है कि सदन में उठाए गए लगभग सभी विषयों पर सरकार के उत्तर अब समय पर प्राप्त हो रहे हैं।

अभूतपूर्व रूप से शून्य काल में भी उठाए गए विषयों पर सरकार उत्तर दे रही है, जिसे माननीय सांसदों तक शीघ्र पहुँचाया जा रहा है। यह कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अद्‌भुत सहयोग का एक उदाहरण है।

लोकतंत्र जनता का शासन है। सदन में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सदन के अल्पमत को अवसर नहीं दिया जाए। लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता इसी में है कि सदन में समाज के सभी वर्गों के स्वर आएँ, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।

"देश को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखने वाले बच्चों की आवश्यकता है। आज पूरा देश युवाओं के साथ है, युवा हौसलों, युवा सपनों के साथ है। हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है। इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की जरूरत है।"

चूँकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं और उनके अभावों, समस्याओं और कठिनाइयों को निकटता से समझते हैं, इसलिए विधि निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सतत संवाद, सहमति, सहयोग, सहकार, स्वीकार और सम्मान का भाव प्रबल होना ही चाहिए। यही लोकतंत्र की विशेषता है। इसी में संसदीय परंपरा की महिमा और गरिमा है।

इसलिए विधान मंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि सदन में जो भी विषय उठाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो और विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदन में विरोध, मतभेद या असहमति नहीं हो। वास्तव में विरोध, मतभेद, सहमति-असहमति, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और मत-भिन्नता हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इनसे हमारा लोकतंत्र और अधिक समृद्ध और जीवंत हुआ है।

परंतु सभा में वाद-विवाद और विरोध के दौरान एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार, आदर और सम्मान बना रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर या बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो संसदीय लोकतंत्र की कार्यक्षमता और उसकी गरिमा को कम करे।

सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रहे। यह तभी हो सकता है, जब जनप्रतिनिधि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करें, जिससे लोकतंत्र के प्रति जनमानस की आस्था बढ़े।

आपने जिस प्रकार अपने शून्य काल और प्रश्न काल संचालित किया, उससे पता चलता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में आपकी गहरी समझ है। दरअसल हमारी युवा पीढ़ी, जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य है, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों और आदर्शों के बारे में भी पूरी समझ होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पूरे देश में 'नो योर कॉन्स्टिट्यूशन' (केवाईसी) अभियान चलाया जा रहा है।

एक सशक्त मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब हमारे नागरिक संविधान के उच्च आदर्शों, मूल्यों के बारे में पूरी तरह जानकार हों।

आप सभी मेधावी छात्र हैं। आप सभी का उज्ज्वल भविष्य है। मेरा सुझाव होगा कि आप लगातार नई-नई स्किल के लिए अपने आपको तैयार करें। इससे आपकी प्रगति तो होगी ही, देश की भी प्रगति होगी।

देश को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखने वाले बच्चों की आवश्यकता है। आज पूरा देश युवाओं के साथ है, युवा हौसलों, युवा सपनों के साथ है। हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है। इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आपकी सफलता, सशक्त, सक्षम और समृद्ध भारत के संकल्प को भी सिद्ध करेगी। आप अपने लक्ष्यों में सफल हों, अपने जीवन में सफल हों।

39

ग्रामीण खेलों का महाकुंभ*

**"जो अपनी समस्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में एकत्र करके
अपने आप को एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लगाते हैं, वे खिलाड़ी होते हैं।
उनके विचारों में अग्नि की-सी पवित्रता होती है।
उनके मन, कर्म और विचार एक जैसे होते हैं।"**

आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के निर्देश पर आयोजित यह सांसद खेल महाकुंभ वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक अवसर है।

यह खेल महाकुंभ कुछ-कुछ ओलंपिक का देसी वर्जन कहा जा सकता है। मुझे बताया गया है कि जिले के कोने-कोने से आने वाले युवा खिलाड़ी क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो-खो, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊँची कूद, बैडमिंटन, रोड टेबल टेनिस जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास करेंगे।

मेरे विचार से सांसदों द्वारा युवा खेल प्रतिभाओं को अवसर देने का यह एक सुनहरा मौका है। इसके आयोजन के लिए आयोजकगण का भी प्रयास सराहनीय है।

अब तक हमने सुना था कि 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब' पर अब यह बदलाव का युग है। हमें अपने युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, खपाना है। हमें उनकी प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है एवं उनके साथ न्याय करना है। उनके अंदर छिपी असीमित ऊर्जा का सदुपयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि युवा है, जो समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। वे चाहे तो समाज की दशा और दिशा को रातोरात बदल सकते हैं।

---

* सांसद खेल महाकुंभ 2021, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश, 23 नवंबर, 2021

सांसद खेल महाकुंभ उन्हीं अवसरों में से एक है, जब हम उन प्रतिभाओं को मौका देकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

शास्त्रों में लिखा है कि अच्छे विचार सभी ओर से, और सभी दिशाओं से हमारी तरफ आने चाहिए। मेरा मानना है कि हमें सभी दिशाओं में उन प्रतिभाओं की तलाश करनी चाहिए, जिन्हें हम पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, गीता फोगाट, नरसिंह यादव, दीपिका कुमारी और मेरी कॉम बना सके।

जिला स्तर पर आयोजित यह खेल महाकुंभ वास्तव में प्रतिभाओं की नर्सरी सिद्ध हो सकती है, यदि हम निष्पक्ष रूप से और पूरे मनोयोग से खेल प्रतिभाओं की तलाश करेंगे, तो हमें अवश्य ऐसे रत्न मिलेंगे।

खिलाड़ी होना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपके अंदर जोश, स्टैमिना, लगन, परिश्रम और निरंतरता की भावना होनी चाहिए। जो अपनी समस्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में एकत्र करके अपने आप को एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लगाते हैं, वे खिलाड़ी होते हैं। उनके विचारों में अग्नि की-सी पवित्रता होती है। उनके मन, कर्म और विचार एक जैसे होते हैं।

"मेरा यह भी मानना है कि एक खिलाड़ी होना एक तपस्वी होने की तरह है। आप लंबे समय तक तप करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, कइयों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अंत में विजय रूपी सफलता आपके कदम चूमती है।"

मेरा यह भी मानना है कि एक खिलाड़ी होना एक तपस्वी होने की तरह है। आप लंबे समय तक तप करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, कइयों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अंत में विजय रूपी सफलता आपके कदम चूमती है।

खिलाड़ियों में टीम भावना होती है और यही टीम भावना उन्हें देश का भावी सभ्य नागरिक बनने में बहुत मदद करती है। खेलों के माध्यम से हमें उन सभी सद्भावना और अच्छे गुणों की प्रस्थापना करनी चाहिए, जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। विकास की इस नई धारा में हमें बेहतरीन युवाओं की आवश्यकता है। खेल उनके अंदर इस प्रकार के सद्गुणों में वृद्धि करने का उत्तम उपाय है।

सभी खेलों के कोचों से भी यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने आस-पास में उन प्रतिभाओं को ढूँढ़ें और उन्हें वह मौका दें, जिसके लिए वे पात्र हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्रीजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए यह नई परियोजना हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

मैं माननीय सांसद महोदय और हमारे साथी श्री जगदंबिका पालजी की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने जमीनी स्तर पर ऐसा आयोजन करके यह संदेश दिया है कि वे राष्ट्र को बदल सकते हैं। आदरणीय जगदंबिका पाल जी मन, कर्म और विचार से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति समर्पित हैं। अपने कर्तव्य के प्रति वे पूर्णतया समर्पित हैं और उन्होंने अपने कर्तव्यों से यह दर्शा दिया है कि राजनेता वास्तव में उनके जैसा ही होना चाहिए।

'सांसद खेल महाकुंभ, 2021' में उद्घाटन भाषण देते हुए

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसा मित्र प्राप्त हुआ है। वह बार-बार हमसे चर्चा-संवाद करते रहते हैं और किस प्रकार हम ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकें, इस विषय में हम लोग निरंतर आपस में विचार-विमर्श करते रहते हैं।

आज इस अवसर पर सभी युवा शक्तियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे स्वामी विवेकानंदजी से प्रेरणा लेते रहें, जिन्होंने कहा था कि "उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो, जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है।" आप अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो और निर्धारित लक्ष्य-प्राप्ति में अपना सबकुछ झोंक दो। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी।

आज हमारे सामने विभिन्न खेलों के खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि आप अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ देकर देश का मान बढ़ाएँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने खेल के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को अपने-अपने खेल में सफलता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना करता हूँ।

40

भारत माँ के लाल–अमर शहीद हेमू कालानी*

"हेमू कालानी वह व्यक्ति थे, जिन्होंने 'इनकलाब-जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए अपने हाथों से फाँसी का फंदा गले में डाला, जैसे वे कोई फूलों की माला पहन रहे हों और जब फाँसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। देश की माटी के ऐसे लाल को मैं शत-शत नमन करता हूँ।"

आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा विशेष दिन है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में शहीद-ए आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और आज ही के दिन साल 1923 में शहीद हेमू कालानी का जन्म हुआ था। माँ भारती के इन सच्चे सपूतों ने आजाद भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन वीरों ने छोटी उम्र में शहादत दी।

मैं शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शहीद हेमू कालानी जी के प्रति कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके श्रीचरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ।

20 वर्ष से भी कम आयु में हेमू कालानी जी देश के लिए बलिदान हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद संसद परिसर में श्री हेमू कालानी की स्मृति संजोए रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज हम इसी परिसर से अमर शहीद हेमू कालानी जी की जयंती के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करने जा रहे हैं।

इसी वर्ष हमारा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष भी पूरे कर रहा है। कितना सुखद संयोग है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ अपने अमर सपूत की

---

* अमर शहीद हेमू कालानी के जयंती शताब्दी वर्ष शुभारंभ के अवसर पर संबोधन, नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

जयंती का शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। यह अवसर शहीद हेमू कालानी के जीवन संदेश को, उनकी अनमोल विरासत को और अधिक समृद्ध बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

एक कहावत है कि 'पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं', यानी बचपन में ही पता लग जाता है कि यह व्यक्ति किन गुणों का धनी बनेगा। शहीद हेमू कालानी बचपन से ही साहसी और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। 7 वर्ष की आयु में वे तिरंगा लेकर अंग्रेजों के सामने से गुजरते और अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। किशोर आयु में ही उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।

अमर शहीद हेमू कालानी के जन्मशती समारोह का शुभारंभ करते हुए

साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी हेमू ने भागीदारी की। हेमू को जेल में यातनाएँ दी गईं, उनके साथियों के नाम पूछे गए; मगर हेमू कालानी जी ने अपने एक भी साथी का नाम बताने से इनकार कर दिया।

सोचिए, उस उम्र में क्या साहस रहा होगा! क्या प्रतिबद्धता रही होगी! क्या हिम्मत रही होगी! जब उन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई। तब भी वह 19-20 साल का युवा निराश

नहीं हुआ, देशप्रेम के अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। इतना मजबूत मन, इतना साहसी व्यक्तित्व विश्व के इतिहास में गिने–चुने ही देखने को मिलते हैं।

हेमू कालानी वह व्यक्ति थे, जिन्होंने 'इनकलाब–जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए अपने हाथों से फाँसी का फंदा गले में डाला, जैसे वे कोई फूलों की माला पहन रहे हों और जब फाँसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। देश की माटी के ऐसे लाल को मैं शत–शत नमन करता हूँ।

आप गण्यमान्यों ने इस कार्यक्रम के लिए पहल की, इसके लिए आपका साधुवाद है। देश के नौजवानों को उन हुतात्माओं के बारे में जानना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाते वक्त अपनी उम्र की परवाह नहीं की, जिन्होंने राष्ट्रहित को अपना धर्म माना, देश के लिए जीना–मरना ही अपना परम कर्तव्य समझा।

शहीद हेमू कालानी जैसे क्रांतिवीर देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा का अविरल स्रोत हैं, आज जरूरत है कि देश की युवा पीढ़ी इनके बारे में पढ़े और उनके जीवन का ध्येय समझे। मेरी कामना है कि आज का यह समारोह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो।

शहीद हेमू कालानी के जीवन–वृत्त से जुड़ा साहित्य देश के हर प्रांत, हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करे, इसी अभिलाषा एवं शुभेच्छा के साथ आपको बहुत–बहुत शुभकामनाएँ।

□□□